An Investigation Into the Problems of Free and Compulsory Primary Education of Girls in Satna District

BY
Smt. Shanker Devi Mishra,
M. A., B. Ed.

UNIVERSITY OF SAUGOR,
SAGAR.

सतना जिले की बालिकाओं की नि:शुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं में अनुसन्धान

।

।

।

।

।

मास्टर आव् एजुकेशन डिग्री की

आंशिक प्रपूर्ति में

सागर विश्वविद्यालय को सम्प्रेषित,

१९६२.

।

।

।

।

मार्ग-प्रदर्शक-

श्री के०एन०रैना,

एम०ए०, बी०एस०सी०, बी०टी०, एम०एड०,

प्राध्यापक,

प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय, जबलपुर ।

।

।

।

लेखिका - Shankar Devi Mishra

शंकर देवी मिश्र, 20.4.62

एम० ए०, बी० एड०.

विषय-सूची

परिशिष्ट

प्राक्कथन

सदियों की दासता के पश्चात् भारत ने १५ अगस्त सन् १९४७ को स्वतंत्रता प्राप्त की । भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के वातावरण में सांस लेने का अधिकारी हो गया । स्वतंत्र भारत के नवजात शिशु को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा । समस्याओं के निराकरण और समाधान के प्रयास आरम्भ होने लगे । निर्माण और योजनाओं की श्रंखला प्रारम्भ हुई । जनतंत्रीय ढांचे को अपनाने वाले इस विशाल देश के समक्ष सबसे विकराल समस्या " निरक्षरता " की थी । साक्षरता और शिक्षा जनतंत्रीय राष्ट्र के आधारभूत तथ्य हैं । इनके अभाव में जनतंत्र की सफलता असम्भव है । यही कारण था कि भारतीय संविधान के भाग ४ में राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों के अन्तर्गत धारा ४५ में उल्लेख किया है कि राज्य संविधान के प्रारम्भ से १० वर्ष की कालावधि के अन्दर सभी बालक-बालिकाओं को १४ वर्ष की अवस्था समाप्ति तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा ।

अत: शिक्षा को नये सामाजिक ढांचे में लाने के लिये शैक्षणिक समस्याओं का पूर्ण मनन कर योजनायें बनाने की आवश्यकता हुई । हमें यह भी देखना अति आवश्यक हो गया है कि हम अपनी बहुमुखी समस्याओं का वास्तविक रूप तथा अर्थ का विवेचन करके उसके अनुसार अपनी योजनायें बनावें । हमें अपनी शिक्षा पद्धति का इस ढंग से पुनर्गठन करना है कि वह सांस्कृतिक पुनर्जागरण को प्रोत्साहित कर सके । इसके लिये प्रत्येक ग्राम, नगर, व शहर में वर्तमान शिक्षा की प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर तीनों अवस्थाओं में सुधार करना आवश्यक है । शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में एक अटूट व घनिष्ट सम्बन्ध है । राष्ट्रीय जीवन से घनिष्टता व विशालता के नाते सम्बन्ध तथा आधारभूत महत्व के दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की अपेक्षा

अधिक महत्वशाली है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा की सफलता पूर्ण रूपेण प्राथमिक शिक्षा के निपुण शिक्षण पर निर्भर है।

शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में भारत प्रगति करने लगा। प्रौढ़ शिक्षा तथा नारी शिक्षा अभियान प्रारम्भ होने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि ज्ञान और शिक्षा अभाव भारत समाप्त करके ही रहेगा। उच्च शिक्षा और ज्ञान की अभिवृद्धि का आधार प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा नींव का पत्थर है जिस पर शिक्षा और ज्ञान की भव्य इमारत की आधारशिला रखी जाती है। प्राथमिक शिक्षा विशेष वर्ग या समुदाय से सम्बन्धित नहीं है, वरन् देश की सम्पूर्ण जनसंख्या से सम्पर्क रखती है। यह जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है और किसी भी दूसरी एकांगी और सामाजिक, शैक्षणिक या राजनैतिक क्रिया की अपेक्षा राष्ट्रीय आदर्शों और चरित्र निर्माण में अति लाभदायक है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य प्रारम्भिक रूप से सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान प्रदान करना है। सरकार का विश्वास है कि प्राथमिक शालाओं में कुशल शिक्षण के फलस्वरूप साक्षरता आवेगी क्योंकि साधारणत: यह कहा जाता है कि जिन बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया है वे साक्षर हैं। नारी शिक्षा और बालिका प्राथमिक शिक्षा समाज में और भी अधिक आवश्यक हैं क्योंकि नारी का परिवार में और भी अधिक योगदान है।

सरकार ने अनुभव किया कि जन शिक्षा का प्रारम्भिक अभिप्राय निरक्षरता का लोप करना है। इसी सम्बन्ध में कहा गया है कि प्रजातांत्रिक सरकार के लिये भारत में सबसे अधिक आवश्यकता साक्षर मतदाताओं की है। किसान देश के मेरुदण्ड के समान हैं और यह सच है कि सरकार में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। लेकिन यदि वे राजनैतिक प्रश्नों में बुद्धिमत्ता पूर्ण भाग लेना चाहते हैं तो कम से कम उन्हें साक्षर अवश्य होना चाहिये। केवल प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और नि:शुल्क कर देने से ही इस पुनीत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इसके लिये उपयुक्त

वातावरण, योग्य अध्यापक, कुशल निरीक्षक आदि का प्रबन्ध करना भी आवश्यक है। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य अनिवार्यता के सिद्धान्त को अपनाये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा उसको स्वेच्छापूर्वक अपनाने के लिये पर्याप्त प्रचार की आवश्यकता है। हम अनुभव करते हैं कि ग्रामों तथा नगरों में सफलतापूर्वक अनिवार्यता लागू करने हेतु निरीक्षक वर्ग व उपस्थिति अधिकारी के द्वारा तथा अन्य उपायों से माता पिता तथा जनता के समक्ष इस प्रकार के विचार रखने चाहिये कि छात्रों की स्कूल में अनुपस्थिति एक बहुत ही गंभीर एवं अनुचित बात है।

जहाँ तक मेरी समस्या " सतना जिले की बालिकाओं की अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अन्वेषण का सम्बन्ध है मैंने यह कार्य भर्ती, उपस्थिति, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शाला भवन, पाठन व खेल सामग्री, शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा, पाठ्क्रम, सहशिक्षा, अवरोध और क्षति आदि समस्याओं का ध्यान में रखते हुए किया है और इस बात को भी जानने का प्रयास किया है कि अनिवार्यता को वास्तव में कौन कौन सी समस्याएं प्रभावित करती हैं तथा सतना जिले में अनिवार्यता को कहाँ तक और किस सीमा तक लागू किया गया है।

इस कार्य की पूर्ति के उपलक्ष में मैं अपने गाइड श्री के०एन० रैना, आचार्य, प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय, जबलपुर की अति कृतज्ञ हूं जिन्होंने समय समय पर अपने अमूल्य सुझावों द्वारा मेरा पथ प्रदर्शन किया तथा प्रोत्साहन देकर मुझे साहस प्रदान किया। मैं अपने जिले के शाला निरीक्षक श्री आर० एस० मिश्र जी के प्रति भी बहुत आभार प्रकट करती हूं जिनकी अमूल्य सहायता से सभी आंकड़े प्राप्त हुए हैं। मैं सतना जिले के सहायक शाला निरीक्षकों तथा प्राथमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों व प्रधानाध्यापिकाओं की भी आभारी हूं जिन्होंने सस्नेह अपना सहयोग प्रदान कर मुझे कृतार्थ किया।

Shankar Devi Mishra
(शंकर देवी मिश्र)

दिनांक २० अप्रैल १९६२.

अध्याय - १

(अ) स्त्री शिक्षा का महत्त्व

वर्तमान समय में अन्य समस्याओं के साथ स्त्री शिक्षा की समस्या भी अपनी ओर देश के कर्णधारों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित कर रही है। भावी भारत को उन्नतिशील देखने की इच्छा रखने वाले समस्त विचारक इसका हल शीघ्र से शीघ्र खोजने में व्यस्त हैं। स्त्री शिक्षा के बिना देश व समाज की उन्नति कल्पना से परे है। इतिहास बताता है कि संसार में जितने भी युग प्रवर्तक महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन निर्माण में उनकी माताओं का विशेष हाथ रहा है।

इसके अतिरिक्त संसार सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन नौका के सुचारु संतरण के लिये दो मांझियों की आवश्यकता होती है - एक स्त्री, दूसरा पुरुष। यदि उनमें से एक सुबोध है, साक्षर और बुद्धिमान है तथा दूसरा विवेकहीन एवं अज्ञ है तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि नौका सकुशल तट तक जा सके। गृहस्थी के रथ के स्त्री और पुरुष दो चक्र कहे जाते हैं। यदि एक गतिशील है, दृढ़ है तथा सचेत है तथा दूसरा अकर्मण्य, चेतनाहीन और अबोध है तो फिर यह कैसे निश्चित कहा जा सकता है कि वह यात्रा उचित प्रकार से निश्चित समय में निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच सकेगी। छोटे बालकों का सबसे बड़ा कालेज उसका घर है और मां उसकी प्रोफेसर। वह अपने परिवार के व्यक्तियों से ही समस्त गुणों व अवगुणों का अर्जन करता है, परन्तु भावी जीवन के इन आधारभूत शिक्षकों में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा मां का स्थान महत्त्वपूर्ण है। मां उसकी सबसे बड़ी जीवन शिक्षिका है, मां के अनुपम स्नेह के कारण ही उसकी प्रत्येक बात बालक के लिये वाक्य है। उन ब्रह्मवाक्यों को मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक किसी न किसी रूप में स्मरण करता ही रहता है। स्त्री मां के रूप में निस्सन्देह हमारी गुरु और पत्नी के रूप

में एक विज्ञ एवं विवेकशील मित्र है । अशिक्षित पत्नी अपने पति को, अशिक्षित माँ अपने पुत्र को तथा अशिक्षित बहिन अपने भाई को न योग्य सम्मति ही दे सकती है, न आपदाओं के समय में कुशल मंत्रणा । अत: स्त्री जाति का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है ।

प्राचीन भारत में सरस्वती के पावन मन्दिर के कपाट शिक्षा अर्थनार्थ स्त्री व पुरुष दोनों के लिये समान रूप से खुले थे । वह युग भारत में शिक्षा के चरमोत्कर्ष का युग था । लौकिक एवं आध्यात्म शिक्षा के द्वार स्त्री और पुरुषों के लिये समरूप से खुले थे । वैदिक काल में स्त्रियों ने भी ऋचाओं का सृजन किया था । प्राचीन काल की नारियां एक तत्वदर्शी दार्शनिक, सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की सृष्टा, एक सहृदय कवियित्री तथा एक गंभीर विचारक के रूप में हमारे सामने आती हैं । गार्गी, मन्दालसा आदि इस बात की उदाहरण हैं । शनै: शनै: संसार परिवर्तित हुआ, समय के साथ मनुष्य की बुद्धि, विचार और भावनाओं ने करवटें लीं । वैदिक कालीन नारी के वरदान शनै: शनै: अतीत के गर्भ में समाविष्ट होते गये । उनकी विद्वता, स्वतंत्रता और निर्भीकता का स्थान अज्ञता, शोषण, भीरुता तथा दासत्व ने ले लिया । सामाजिक विषमतायें उन्हें पतनोन्मुख करती गईं । वर्तमान युग महिलाओं के लिये नवजागृति, नवचेतना, और नवस्फूर्ति का सन्देशवाहक बनकर आया और साथ में शिक्षा का बहुमूल्य उपहार लाया । महिला समाज में अपने उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों के प्रति एक विशेष जागृति हुई और शिक्षा की ओर ध्यान गया ।

(ब) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के नियम पर एक दृष्टिपात तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन

भारतीय संविधान की धारा ४५ के अनुसार १४ वर्ष की आयु तक सभी बालक एवं बालिकाओं के लिये नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान

करना है और उसके लिये २६ जनवरी सन् १९५० से, जबसे कि संविधान लागू किया गया है, १० वर्ष के अन्दर प्रयास किया जायेगा । यद्यपि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग सबसे प्रथम स्वर्गीय श्री गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सन् १९१०ई में, जब उन्होंने केन्द्रीय विधान सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, रखी गई थी परन्तु अभी भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रचलित न हो सकी । यद्यपि सिद्धान्त रूप से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विचार लगभग सभी प्रान्तों में प्रकट किये जाते हैं परन्तु पूर्ण रूप से कार्य में परिणत अभी नहीं हो सके । निस्सन्देह यह बहुत ही उचित कार्य है और इसको सफल बनाने के लिये सभी संभव प्रयत्न होने चाहिये । शिक्षा बच्चों के जीवन के लिये अनुपम ज्योति है और उसे यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र जगाना चाहिये । शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है । अत: अनिवार्यता की योजना शीघ्र लागू करना अधिक उत्तम होगा ।

सन् १९१७ से ब्रिटिश भारत में अनिवार्य शिक्षा से संबंधित कई नियम पारित हुए । इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करना है । प्राथमिक शिक्षा ऐक्ट के अन्तर्गत कुछ प्रान्तों में अनिवार्यता केवल बालकों के लिये तथा कुछ प्रान्तों में बालकों एवं बालिकाओं दोनों ही के लिये लागू किये जाने की व्यवस्था थी ।000

साधारणतया सभी अनिवार्य शिक्षा नियम या तो गोखले के अग्रसर बिल पर आधारित हैं या पटेल ऐक्ट पर आधारित हैं और उनमें बहुत सी सामान्य बातें हैं । इसलिये उनका यहां केवल सामान्य विश्लेषण करके अनिवार्य शिक्षा के आगे के विकास पर प्रकाश डालना अधिक उपयुक्त होगा ।

प्रथम यह सभी नियम स्थानीय संस्थाओं को प्रदत्त क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा लागू करने में कार्य करने के लिये उत्तरदायी बनाते हैं ।

---

000 भारतीय गणतंत्र का विधान, अध्याय ४ - राज्य की नीति के निर्देशक तत्व - धारा ४५ ।

यह भी प्रावधान है कि यदि कोई स्थानीय संस्था इस कार्य को नहीं करती है तो सरकार को अपने उत्तरदायित्व पर यह कार्य करना चाहिये। लेकि यह सभी प्रावधान अधिकांश में केवल कागजों में लिखे रह गये और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का भार स्थानीय संस्थाओं पर छोड़ दिया गया है।

इन सभी नियमों में दूसरी बात यह मानी गई कि अनिवार्यता का नियम लागू होने के पूर्व स्वेच्छाकृत आधार पर कुछ सीमा तक प्रसार होने के शर्त अवश्य होनी चाहिये क्योंकि नियम के अन्तर्गत स्थानीय संस्थाओं को क्रमश: एक क्षेत्र के बाद दूसरे में अनिवार्यता लागू करने का अधिकार मिला।

इन नियमों में तीसरी बात यह मानी गई कि बालिकाओं में भी अनिवार्य शिक्षा का प्रयोग आवश्यक है और इस ओर अग्रसर होना अवश्यम्भावी है।

साधारणतया यह समझा गया था कि अनिवार्यता का प्रयोग प्रथम बालकों में, तत्पश्चात् बालिकाओं में विस्तृत किया जावेगा। इस प्रकार कुछ नियमों ने बालिकाओं के लिये अनिवार्यता को बिल्कुल छोड़ दिया और कुछ नियमों ने यह निर्धारित किया कि अनिवार्यता का प्रयोग जब कुछ समय तक बालकों में हो चुके तभी बालिकाओं में लागू किया जाये। केवल गोन्डल ऐक्ट के अनुसार यह कहा गया था कि यदि सभी बालिकायें शिक्षित होंगी तो लड़के किसी प्रकार स्वयं शिक्षित बन जावेंगे।

इन नियमों में चौथी बात अनिवार्यता की आयु सीमा थी। कुछ नियमों ने चार वर्ष सीमा निर्धारित की और कुछ ने पांच वर्ष के समय को माना।

इन नियमों की पांचवीं बात अर्थ सम्बन्धी थी। प्रारम्भ में सरकार अनिवार्यता के लिये कोई वैधानिक आर्थिक उत्तरदायित्व नहीं संभालना चाहती थी, परन्तु बाद में सरकार ने अपनी नीति बदल दी और

अनिवार्य शिक्षा के लिये आर्थिक क्षेत्र में वैधानिक अनुदान स्वीकार करने प्रारम्भ कर दिये ।

स्वतंत्रता रूपी प्रभात के उदय होते ही प्रारम्भिक शिक्षा कीसमस्या ने एक नई स्थिति उपस्थित की और राष्ट्रीय सरकार ने पूर्ण देश में निरक्षरता की अनियंत्रित दशा को अनुभव किया । देश के सभी लोगों को साक्षर बनाना सरकार का कर्तव्य है, जिससे कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उचित पालन कर देश के योग्य नागरिक बन सकें । जब तक कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना कार्यान्वित नहीं की जाती, राष्ट्र की उन्नति की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती । जनता की निरक्षरता एक अभिशाप है जो हमारे समाज को अत्यन्त प्रभावित करती है । जैसा कि बर्ट्रेण्ड रसेल ने कहा है कि " किसी भी जनसंख्या में ज्ञानहीन समूह की स्थिति समुदाय के लिये भयपूर्ण है । " जब एक विचारणीय प्रतिशत निरक्षर हो तो सरकार की पूरी मशीनरी को इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है । एक ऐसे राष्ट्र में जहाँ कि अधिकांश जनता न पढ़ सकती हो, प्रजातन्त्र का अपने आधुनिक रूप में चलना नितान्त असम्भव है ।

इसलिये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना को पूर्ण करने को आज के सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जानी चाहिये । केवल राज्य ही प्रत्येक बालक के व्यावहारिक जीवन के लिये आवश्यक बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दे सकता है ।

हम इस सत्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निरक्षर है ।

निरक्षरता के इस अभिशाप को पूर्ण जिले में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा (प्राथमिक) की पूर्व नियोजित योजना द्वारा ही दूर किया जा सकता है । प्राइमरी शिक्षा का अभिप्राय वर्नाक्यूलर के माध्यम से उन विषयों का निर्देश देना होना चाहिये जो उनकी बुद्धि को प्रोत्साहित कर सकें और जीवन में अपनी स्थिति को उचित दशा में

व्यवस्थित करने में सहायता दे सकें। इसके विपरीत प्राइमरी शिक्षा को यूनिवर्सिटी के लिये आवश्यक शिक्षा का एक अंग न मानना चाहिये।

प्राइमरी शिक्षा की वर्तमान स्थिति का सारांश व सही मूल्यांकन श्री के०जी०सैयदन द्वारा उनकी पुस्तक " शैक्षणिक पुनर्संगठन की समस्या " में किया गया है। उन्होंने लिखा है कि -

यद्यपि परम्परा रूप से भारतीयों ने शिक्षा और ज्ञान को जीवन में सर्वोच्च महत्ता दी है, फिर भी आधुनिक भारत में शिक्षा की महत्ता का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है। हमें ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्रीय जीवन से विशाल और घनिष्ट सम्बन्ध तथा आधारभूत गौरव के दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण न होकर कहीं अधिक है। यह किसी विशेष वर्ग व समुदाय से सम्बन्धित नहीं है वरन् इसका देश की पूर्ण जनसंख्या से सम्पर्क है। यह जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है और किसी भी दूसरी एक सामाजिक, शैक्षणिक या राजनैतिक क्रिया की अपेक्षा राष्ट्रीय आदर्शों और चरित्र के बनाने में अधिक सहायता देती है। अत: हमें जो कि प्राथमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य से सम्बन्धित हैं, उसकी समस्याओं और उद्देश्यों को गांव के स्कूलों की उपयुक्त स्टाफ व साधन सामग्रीहीन काली और अंधेरी इमारतों की कल्पना से असम्बद्ध करके उसके अन्तिम परिणाम और उद्देश्यों की पृष्ठभूमि का विचार करते हुए देखना चाहिये।

स्वयं यह विचार उत्पन्न होता है कि इस देश में प्राथमिक शिक्षा इतनी क्षीण और अनुपयुक्त, इतनी अपर्याप्त, शिक्षण में, विधि में, इतनी पिछड़ी, संगठन में इतनी पुरातनपंथी, इतने अल्प शिक्षित व अल्पवेतनभोगी शिक्षकों के हाथों में सौंपी हुई) क्यों है? जबकि ग्रेट ब्रिटेन में सम्बन्धित आंकड़े ५०० रु० प्रति बालक हैं, तो सरकार प्रति बालक प्रतिवर्ष ८ रु० ही खर्च करके किस प्रकार संतुष्ट है? जहां तक बजट और जनता के ध्यान का प्रश्न है, शिक्षा के साथ वास्तव में सौतेली मां जैसा

व्यवहार होता है । प्राइमरी शिक्षा शैक्षणिक परिवार की सिन्ड्रेला बन गई है ।

यद्यपि मार्ग में विभिन्न समस्याएं सम्मुख आती हैं परन्तु ये समस्याएं सावधानी पूर्वक समझकर हल की जा सकती हैं । वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारे देश में सम्पूर्ण प्राथमिक शैक्षणिक ढंग से बहुत क्षति और विफलता है ।

कक्षा ४ में छात्रों की एक बहुत छोटी संख्या पहुंचती है । अधिकांश छात्र या तो प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किये बिना स्कूल छोड़ देते हैं या एक ही कक्षा में एक से अधिक साल रुकते हैं । इस प्रकार उनकी शिक्षा पर व्यय किया हुआ सारा धन और समय एक प्रकार से व्यर्थ सिद्ध होता है ।

जैसा कि हम जानते हैं कि केवल इस जिले में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारतवर्ष में अनिवार्यता की योजना कुछ गिने चुने क्षेत्र में ही पाई जाती है और वह भी अधिकांश नगरों में ही ।

मध्यप्रदेश में यद्यपि अनिवार्यता के नियम को मान्यता दी गई, परन्तु उसको लागू कुछ ही स्थानों में किया गया है । सतना जिले में यद्यपि प्राथमिक शिक्षा की उन्नति व प्रसार की ओर काफी ध्यान दिया गया परन्तु अनिवार्यता अभी लागू नहीं की गई है । फलस्वरूप उपस्थिति की संख्या बहुत कम है । बालकों की अपेक्षा बालिकायें तो और भी कम संख्या में स्कूल जाती हैं । कोई दबाव न होने के कारण अधिकांश स्कूल जाने योग्य आयु की बालिकायें स्कूल नहीं जाती हैं ।

अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को सम्पूर्ण जिले में लागू किया जाये तो परिणाम स्वरूप प्रारम्भिक शालाओं में बालकों की प्रवेश संख्या में वृद्धि होगी । समझाने बुझाने तथा अभिभावकों के साथ व्यक्तिगत सम्बन्धों के कारण अधिकारियों द्वारा संरक्षकों को प्रताड़ना दिये बिना ही अनिवार्य क्षेत्र में औसत उपस्थिति प्रतिशत को बनाये रखने में काफी सहयोग मिलेगा । चुने हुए मोहल्लों में विद्यालय-भवनों का विकेन्द्रीकरण भी अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करने में सहायक होगा ।

(स) अन्वेषण की आवश्यकता

आज भारत स्वतंत्र है और हमारे देश में प्रजातंत्रीय शासन-प्रणाली अपनाई गई है। प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब देश के सभी नागरिक - पुरुष व स्त्री अपने अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें। प्रजातन्त्र को सफल बनाने में सतना जिले का भी उतना ही योग है जितना कि अन्य स्थानों का। बड़े बड़े नगरों की संख्या तो बहुत कम है, अधिक संख्या तो छोटे नगरों व ग्रामों की ही है। कालेज व उच्च विद्यालयों का संबंध तो बहुत थोड़े से लोगों से है, परन्तु प्रायमरी स्कूलों का सम्बन्ध तो भारत की सारी जनतासे है। प्रायमरी शिक्षा ही न्यूनतम सीमा है जहाँ तक कि भारत के प्रत्येक स्त्री व पुरुष को शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिये। इस न्यूनतम शिक्षा के अभाव में हमारे भारत में प्रजातंत्र की सफलता असंभव है। अत: प्रायमरी शिक्षा का प्रसार व पुनर्संगठन अति आवश्यक है। हमारे संविधान में भी १० वर्ष में नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है परन्तु समय का बड़ा भाग बिना किसी उचित प्रगति के समाप्त हो गया है।

साथ ही साथ मात्रा और गुण दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। गुण की अपेक्षा केवल मात्रा को प्रधानता नहीं दी जा सकती। अत: प्रायमरी शिक्षा में अन्वेषण आवश्यक है, विशेषकर बालिकाओं की प्रायमरी शिक्षा में जिसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी वर्तमान स्थिति का अध्ययन तथा इसे प्रभावित करने वाले तत्वों और परिस्थितियों का विवेचन कर हम केवल उसके दोषों को ही दूर करने में सफल न होंगे वरन् इसके प्रसार व स्तर को उन्नत करने के लिये एक उचित योजना बना सकेंगे।

सिद्धान्त रूप में शिक्षा की महत्ता अधिक है तथा मनुष्य के जीवन को अति प्रभावित करती है। परन्तु लगभग ५०४५२ बालक व बालिकाएं सतना जिले में अब शिक्षा की आयु के होते हुए भी स्कूल में नहीं जाते।

शिक्षा पर व्यय पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है परन्तु क्षति व अवरोध भी इतना अधिक है कि उसका उचित प्रतिफल नहीं मिलता । दैनिक उपस्थिति भी बहुत कम है तथा अधिकारी वर्ग इसका उचित सुधार न कर सके । शिक्षकों की योग्यता की समस्या भी कठिन है, प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत संतोषप्रद नहीं है । शाला भवन अनुपयुक्त हैं उनमें स्थान, वायु व प्रकाश की कमी है । पाठन सामग्री अनुपयुक्त ही नहीं वरन् कुछ स्कूलों में उसकी अत्यन्त कमी है । नियंत्रण व शासन के स्तरको भी और ऊंचा उठाकर शिक्षकों में नैतिकता बढ़ाने की आवश्यकता हैं । निरीक्षण व प्रबन्ध के लिये नियुक्त अधिकारी यदि अपने कर्तव्य क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करें और इन सब बातों की ओर ध्यान दें तभी उन्नति की कुछ आशा की जा सकती है । राजनीतिज्ञ व नेता गण वर्तमान शिक्षा पद्धति की टीका या आलोचना कर भले ही अपने को गौरवान्वित समझें परन्तु वास्तव में यह अतिशयोक्ति होगी । शिक्षा पद्धति पर सीधा लांछन लगाना बहुधा वास्तविकता से दूर भागना था । परन्तु एक शिक्षा विशारद ऐसा नहीं कर सकता । इस प्रकार के लांछनों से कोई फल नहीं निकलता । सरकार, प्रबन्धसमितियां, शिक्षक व शिक्षा पद्धति बहुत सी आवश्यक बातों को वास्तव में छोड़ देते हैं परन्तु ऐसा जनबूझकर नहीं किया जाता । प्रायमरी शिक्षा की प्रगति में बाधा अनेक समस्याओं के कारण है । यह समस्याएं एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । प्रायमरी शिक्षा केबे बाधक कारणों को दूर करने के लिये हमें सांख्यिक आंकड़ों का अध्ययन तथा प्रत्येक कारणों का विवेचन करके उनके लिये सुझाव देना चाहिये और इस अन्वेषण में मैंने यही प्रयास किया है ।

अध्याय - २

(अ) प्रक्रिया

अन्वेषण की समस्या को हल करने के पहले विभिन्न पुस्तकों, वार्षिक प्रतिवेदनों, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी पत्रिकाओं, विभिन्न शिक्षा नियमों का मैंने अध्ययन किया । किताबों व पत्रिकाओं के नाम जो सन्दर्भ में दिये गये हैं, वे ग्रन्थ सूची (अनुक्रमणिका `स`) में सम्मिलित किये गये हैं ।

सतना जिले की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की समस्या के सम्बन्ध में मैंने सर्वप्रथम जिला विद्यालय नरीक्षक, सतना और जिले के सहायक जिला शाला निरीक्षकों से विचार-विमर्श किया क्योंकि उनको जिले की प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याओं के विभिन्न विषयों में प्रगाढ़ और गहन अनुभव है । उनसे विचार विनिमय के पश्चात् मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रारम्भिक शिक्षा में अनिवार्य शिक्षा की वर्तमान योजना के विषय में तथा उसका राष्ट्रीय उन्नति से सम्बन्ध के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, परन्तु अभी जिले में इसे स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया है । नगरपालिका ने भी इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया है । अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सभी जनपदों व ग्राम सभाओं आदि द्वारा लागू करने की बहुत कम आशा है । इस प्रकार से अन्वेषण का क्षेत्र राजकीय स्कूलों तक ही सीमित हो जाता है ।

अन्वेषण नार्मेटिव सर्वे विधि द्वारा किया गया जिसमें निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग किया गया:-

(१) प्रश्न-पत्र पद्धति

(२) साक्षात्कार व साक्षात् पद्धति

(३) निरीक्षण पद्धति

(४) विभिन्न पुस्तकों व प्रतिवेदनों से संदर्भ प्राप्त करने की पद्धति ।

(१) प्रश्न-पत्र पद्धति -

इस विधि के अन्तर्गत एक प्रश्नपत्र तैयार किया गया जिसको निम्नलिखित मुख्य भागों में बांटा गया:-

(क) शाला का विवरण

(ख) अवरोध और क्षति

(ग) शिक्षकों का प्रशिक्षण

(घ) शाला भवन

(च) पाठ व आवश्यक सामग्री

(छ) सहपाठ्य क्रियाएं

(ज) शारीरिक शिक्षा व हस्तकला

(झ) पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें

(ट) केन्द्र-शालाएं

(ठ) सह-शिक्षा

(ड) अनिवार्य शिक्षा की समस्याएं ।

प्रश्नपत्र हिन्दी भाषा में छापा गया जिसमें कुल २६ प्रश्न थे । अधिकांश प्रश्नों के उत्तर नीचे दिये गये थे और उत्तरकर्ता को अपने मत के अनुसार उनके सम्मुख `हां` या `नहीं` लिखना था । बहुत से प्रश्नों के उत्तर स्कूल रिकार्ड देखकर भरने थे । कुछ प्रश्न प्रोफार्मा के रूप में थे ।

मैंने लगभग २५० प्रश्नपत्र भेजे । पत्रों के साथ प्रश्नपत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश व डाक टिकट भेजे गये । मुझे केवल १०० प्रश्नपत्रों के उत्तर प्राप्त हुए जिससे अनुमान होता है कि बहुत से प्रधानाध्यापक व अध्यापिकाओं को प्रश्नपत्र में आवश्यक सूचना ६ साल के पुराने रजिस्टरों से संकलित करके भरने में रुचि नहीं है ।

सतना जिले के प्रायमरी स्कूलों की संख्या अत्यधिक है तथा वे चारों तहसीलों में फैले हुए हैं । अत: मेरे लिये प्रत्येक स्कूल में जाकर

स्वयं प्रश्नपत्र देना व उत्तर प्राप्त करना कठिन था इसलिये मैंने सहायक जिला शाला निरीक्षकों से विभिन्न स्कूलों के पते ज्ञातकर प्रश्नपत्र आवश्यक डाक टिकट सहित भेजे ।

(२) साक्षात्कार -

चूंकि प्रश्नपत्रों के उत्तर देर में प्राप्त हुए तथा सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए, इसलिये सतना जिले के सभी स्कूलों के विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिये मैं जिला शाला निरीक्षक, सहायक जिला शाला निरीक्षक तथा कुछ प्रधानाध्यापक व प्रधानाध्यापिकाओं से मिली और उनसे कुछ प्रश्नों के आधार पर विचार विनिमय किया । प्रश्नों की सूची अनुक्रमणिका (द) में दी गई है ।

(३) निरीक्षण विधि -

कुछ स्कूलों में स्वयं जाकर निरीक्षण भी किया गया तथा उपर्युक्त दोनों विधियों से प्राप्त तथ्यों का निरीक्षण कर विश्लेषण किया और उनके परिणामों से अन्वेषण में कारणों व सुझावों का प्रतिपादन किया गया ।

(४) शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों व पत्रिकाओं से सन्दर्भ प्राप्त करने की पद्धति-

अन्वेषण विषय से सम्बन्धित पुस्तकों व पत्रिकाओं तथा पूर्व में हुए इस विषय से सम्बन्धित अन्वेषणों का अध्ययन किया गया । पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की सूची अनुक्रमणिका (स) में दी गई है ।

कठिनाइयां-

समय की कमी की समस्या ने सबसे अधिक कठिनाई उत्पन्न की । चुनाव के कारण प्रश्नपत्रों के उत्तर आने व आंकड़े प्राप्त करना कठिन हुआ । समय पर उत्तर न प्राप्त हो सके फलत: मुझे साक्षात्कार पर अधिक निर्भर रहना पड़ा । कुछ प्रश्न पत्रों के उत्तर इस प्रकार के प्राप्त हुए जिनके आधार पर सही ज्ञान प्राप्त करना कठिन था, क्योंकि ऐसी

घटनायें भी हुईं जिनमें प्रधानाध्यापकों ने साक्षात्कार में अपने विचार अन्य भाँति प्रकट किये व प्रश्नपत्रों में अन्य भाँति। परन्तु साक्षात्कार पद्धति के प्रयोग से वास्तविक परिस्थिति के जानने में बड़ी सहायता मिली और इस पद्धति का प्रयोग आवश्यक सिद्ध हुआ।

उत्तर या प्रतिवचन -

प्रश्नपत्र कुछ १९६२ के जनवरी के द्वितीय, तृतीय व अंतिम सप्ताह में भेजे गये, कुछ फरवरी के प्रथम सप्ताह में। परन्तु उत्तर प्राप्त होने में देर हुई तथा वह कम संख्या में प्राप्त हुए जैसा कि इस तथ्य से प्रकट है कि २५० प्रश्नपत्रों में से कुल १०० प्रश्नपत्रों के उत्तर प्राप्त हुए और वह भी फरवरी के अंतिम सप्ताह व मार्च के प्रथम और द्वितीय सप्ताह तक प्राप्त हो सके।

समय की कमी के कारण अधिक उत्तरों की प्रतीक्षा न की जा सकी और मार्च के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त होने वाले उत्तरों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर तथ्यों का प्रतिपादन करना पड़ा। आवश्यक सूचनाओं के लिये सहायक जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय से सहायता ली गई।

(ब) जिले का सामान्य निरीक्षण

किसी भी क्षेत्र की सर्वे के पहिले उसके सामान्य निरीक्षण की आवश्यकता होती है। सतना जिले का सामान्य विवरण इस प्रकार है:-

इस जिले में नगर और ग्राम दोनों हैं। जिले में चार तहसीलें तथा जनगणना कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सतना जिले की जनसंख्या निम्न प्रकार से है:-

तालिका क्रमांक १

सतना जिले के नगर व ग्रामों की जनसंख्या

क्षेत्र	पुरुष	स्त्रियां	योग
१- नगर	३२३०३	३११४९	६३४५२
२- ग्राम	३२१४९८	३१०००७	६३१५०५

सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार सतना जिले की कुल जनसंख्या ६९४९५७ है। अत: ऊपर दिये हुए आंकड़ों से प्रतीत होता है कि नगर की जनसंख्या ६३४५२ है तथा ग्रामों की जनसंख्या ६३१५०५ है। सतना जिले की चारों तहसीलों की जनसंख्या निम्नलिखित है जिसे मैंने जनगणना कार्यालय से प्राप्त किया है।

तालिका क्रमांक २

सतना जिले की तहसीलों की जनसंख्या

क्रमांक	तहसील	पुरुष	स्त्रियां	योग
१-	रघुराजनगर	१५८६९६	१४९०३४	३०७७३०
२-	अमरपाटन	७०५८८	७१५२९	१४२११७
३-	नागौद	६९४१४	६६५५८	१३५९७२
४-	मैहर	५५१०३	५४०३५	१०९१३८

जनसंख्या प्रतिवर्गमील २४६ है। सन् १९५६-५७ में कुल प्रायमरी स्कूलों की संख्या ६१५ थी जबकि जिले का क्षेत्रफल २८२३ वर्गमील है। दूसरे शब्दों में प्रति ४.६ वर्गमील क्षेत्र में एक स्कूल था लेकिन अब सन् १९६०-६१ में प्रायमरी स्कूलों की संख्या बढ़कर ७२१ हो गई है और इस प्रकार प्रत्येक स्कूल लगभग ४ वर्गमील क्षेत्र की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

सतना मध्यप्रदेश की रीवां कमिश्नरी में एक जिला है। यह मध्यप्रदेश की उत्तरी सीमा है के निकट है। इसको रीवां रियासत के रघुराजसिंह ने बसाया था और इसीलिये इसका प्राचीन नाम रघुराजनगर है। इसके उत्तर में जिला बांदा, पूर्व में रीवां, पश्चिम में पन्ना और जबलपुर तथा दक्षिण में शहडोल है। जिला विशेषकर कृषिप्रधान है। इसकी मुख्य दो नदियां हैं सतना व तमस जो कृषि व अन्य उपयोग में आती हैं। मैहर तहसील में कुछ जंगली क्षेत्र हैं, जलवायु साधारण वर्षा ४० होती है। सेन्ट्रल रेल्वे की मुख्य लाइन कलकत्ता से बम्बई यहां से होकर जाती है।

सतना व मैहर इस जिले के मुख्य स्टेशन हैं। बस सर्विस द्वारा अन्य जिलों - पन्ना, रीवां आदि से आवागमन होता है।

अध्याय - ३

भर्ती और व्यय

बस्ती में केवल प्रायमरी स्कूल होना ही पर्याप्त नहीं है, मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने योग्य आयु के अधिक से अधिक बालकों की भर्ती होना है। प्रायमरी शिक्षा की वर्तमान स्थिति सामान्यत: स्कूलों की उपलब्धि की अपेक्षा अधिक असंतोषप्रद है। सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार सतना जिले की कुल जनसंख्या ६६४६५७ है। १२.४६ प्रतिशत की दर से ४२५०८ बालिकायें होती हैं जिसमें से केवल ७४६२ बालिकायें जिले में मान्यताप्राप्त तथा अमान्यता प्राप्त स्कूलों में भर्ती हैं। इस प्रकार जिले में लगभग १८ प्रतिशत स्कूल जाने योग्य बालिकायें शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मैंने जनगणना कार्यालय में स्वयं जाकर सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े प्राप्त किये तथा जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय से अन्य आवश्यक सूचना प्राप्त की जिसके आधार पर निम्नलिखित तालिका बनी है। इससे सतना जिले की अनिवार्य शिक्षा आयु की बालिकाओं की कुल संख्या व स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या ज्ञात होगी।

तालिका क्रमांक ३

सतना जिले की स्कूल जाने योग्य आयु की शिक्षा प्राप्त करती हुई बालिकाओं की प्रतिशत

क्षेत्र	कुल जनसंख्या	१२.४६ की दर से पूर्ण जनसंख्या पर स्कूल जाने योग्य प्र प्राप्त आयु की बालिकाओं की संख्या।	सन् १९६०-६१ की बालिकाओं की कुल भर्ती।	प्रतिशत
नगर	६३४५२	३८८१	४७५४	१२२
देहात	६३१५०५	३८६२७	२७३८	७ ८

उपर्युक्त तालिका से विदित होता है कि नगर-क्षेत्रों में देहाती क्षेत्रों की अपेक्षा बालिकाओं की अधिक भर्ती है। इसका कारण यह हो सकता है कि कुछ नगर के निकट वाले गांवों से बालिकाएं शहरों के स्कूलों में पढ़ने आती हैं तथा कुछ बालिकाओं की उम्र कम करके लिखा दी जाती है। इसीलिये नगरों की शिक्षा योग्य आयु की बालिकाओं की संख्या स्कूल में भर्ती की संख्या से कम है। सतना जिले में स्कूल जाने वाली बालिकाओं का प्रतिशत केवल १८ प्रतिशत होता है।

निम्नलिखित सूची सतना जिले की बालिकाओं की सन् १९५१ से १९६१ तक की शिक्षा-प्रगति दर्शाती है:-

जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार जिले में स्कूलों की संख्या भिन्न है।

तालिका क्रमांक ४

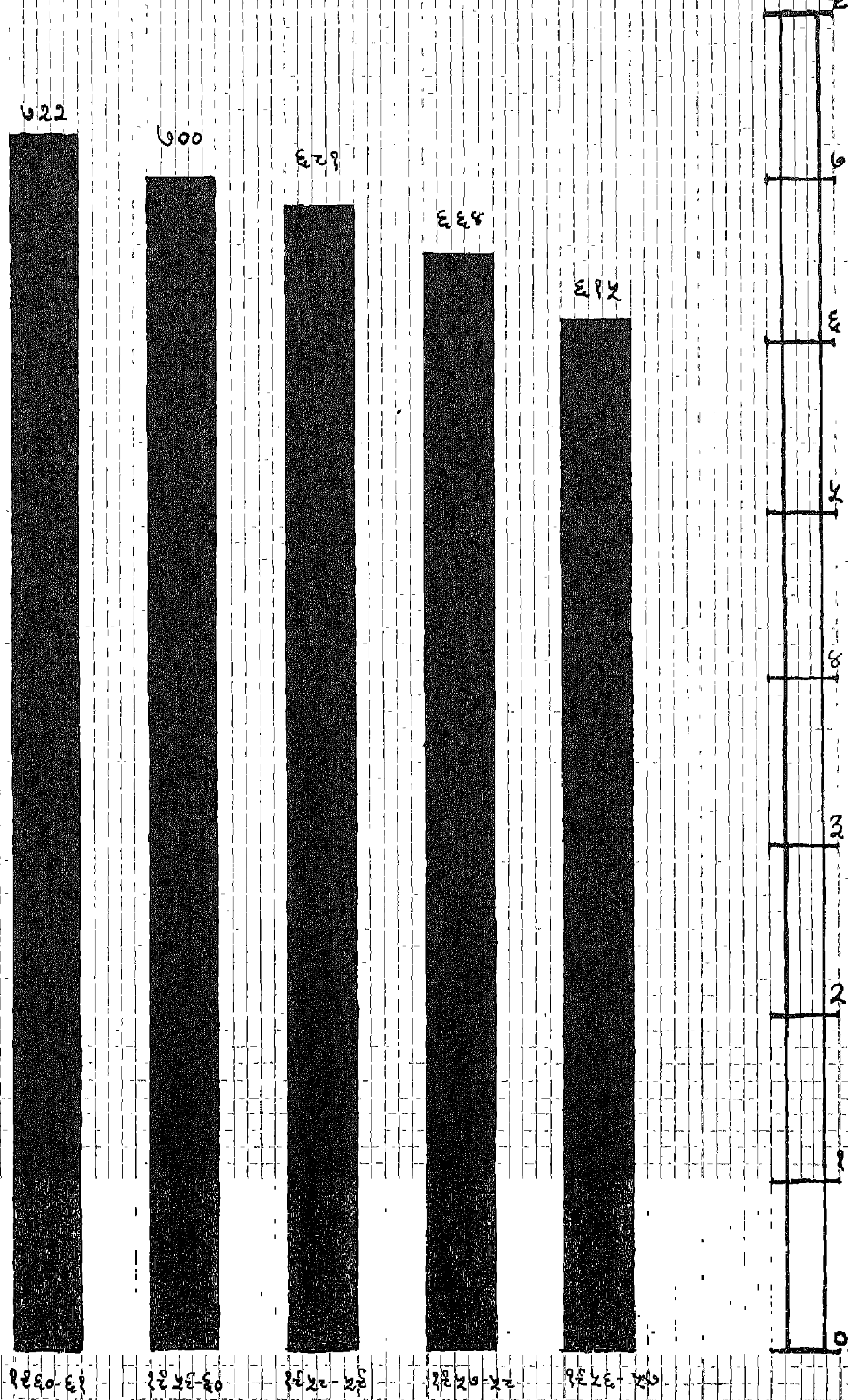
सतना जिले के प्राथमिक स्कूलों की संख्या

वर्ष (सेशन)	स्कूलों की संख्या	प्रायमरी स्कूलों की संख्या में उन्नति या अवनति।
१९५६-५७	६१५	४९
१९५७-५८	५५४ ६६४	१७
१९५८-५९	६८१	१९
१९५९-६०	७००	२२
१९६०-६१	७२२	

ऊपर की तालिका से स्पष्ट होता है कि शिक्षा में उन्नति हुई है परन्तु वह क्रमबद्ध नहीं है। सन् १९५७-५८ में १९५६-५७ से ४९ स्कूल अधिक खुले परन्तु सन् १९५८-५९ में कुल १७ स्कूलों की वृद्धि हुई। १९५९-६० में १९ स्कूलों की वृद्धि हुई और १९६०-६१ में फिर २२ स्कूल और खुले। इससे प्रकट है कि यद्यपि पांच वर्षों में उन्नति हुई है परन्तु

सतना जिले में प्राथमिक शालायें

पैमाना १" = १०० शालायें



पहले की अपेक्षा बाद में प्रगति कम हुई । हो सकता है कि प्रसार की अपेक्षा प्रकार में अधिक ध्यान देना अधिकारियों ने अपनी नीति बनाई हो । फिर भी इन आंकड़ों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पिछले वर्षों में शिक्षा में उन्नति हुई है । यद्यपि इन आंकड़ों से प्रकट है कि जिले में शिक्षा की ओर रुचि बढ़ रही है परन्तु फिर भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये स्कूलों की अधिक संख्या की आवश्यकता है ।

संलग्न ग्राफ से पिछले पांच वर्षों में स्कूलों में उन्नति का स्पष्ट ज्ञान होता है । अनिवार्य शिक्षा योजना सारे देश में लागू की जाना है । परन्तु वह अभी कतिपय स्थानों में ही लागू की गई है, जैसे जबलपुर में, सतना जिले में नहीं लागू की गई है ।

प्राथमिक शिक्षा की उन्नति स्कूलों में भरती की संख्या पर निर्भर है । अनिवार्य आयु के बच्चों की भरती के अतिरिक्त इन प्राथमिक शालाओं में बहुत सी बालिकाओं की सात से अधिक आयु में पहली कक्षा में भरती होने अथवा छात्रों की मातृभाषा हिन्दी, उर्दू तथा मराठी से भिन्न होने के कारण वे अनिवार्यता की श्रेणी में नहीं आतीं । बालिकायें भी अनिवार्यता के नियम में नहीं आती हैं । ऐसी बालिकायें जो अनिवार्यता में नहीं आती हैं, निम्न तालिका में सम्मिलित नहीं हैं । जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सतना जिले में पढ़ने वाली कुल बालिकाओं की संख्या विभिन्न वर्षों में निम्नलिखित रही है:-

तालिका क्रमांक ५

अनिवार्य शिक्षा की आयु प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं की संख्या

वर्ष (सेशन)	बालिकाओं की संख्या	बालिकाओं की संख्या में कमी या अधिकता ।
१९५६-५७	५३५५	
१९५७-५८	६२३३	~~१६१~~ ८७८
१९५८-५९	६४२३	१९०
१९५९-६०	६५९१	१६८
१९६०-६१	७४९२	९०१

उपर्युक्त आंकड़ों से प्रकट है कि सन् १९५६-५७ में बालिकाओं की संख्या ५३५५ थी जो कि सन् १९६०-६१ में बढ़कर ७४९२ हो गई। ऊपर के आंकड़ों से यह भी प्रकट होता है कि यद्यपि उन्नति बराबर हुई परन्तु उसकी प्रतिशत बीच में कम हो गई। जैसा कि १९५८-५९ तथा १९५९-६० में छात्राओं की संख्या में उन्नति क्रमशः १९०, १९८ ही हुई जबकि सन् १९५७-५८ में सन् १९५६-५७ की अपेक्षा छात्राओं की संख्या में ८७८ की वृद्धि हुई और सन् १९६०-६१ में यह वृद्धि फिर ९०१ की संख्या में हुई। जिसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षा में प्रसार की अपेक्षा प्रकार पर अधिक ध्यान दिया गया अर्थात् पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का पहले प्रयत्न किया गया और उसके पश्चात् प्रसार की ओर ध्यान दिया गया। फलतः सन् १९६०-६१ में ९०१ की संख्या में वृद्धि हुई। संलग्न ग्राफ से उन्नति का ज्ञान स्पष्ट होता है।

किसी भी कार्य के प्रसार में उसके व्यय में भी वृद्धि होती है। फलस्वरूप जब शिक्षा के प्रसार में उन्नति हुई तो उसके व्यय में भी पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई। सन् १९५६-५७ की अपेक्षा सन् १९६०-६१ में व्यय में काफी वृद्धि हुई। प्राथमिक शिक्षा में व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि विभिन्न वर्षों में व्यय में बढ़ोतरी हुई है। फलस्वरूप प्रति छात्र भी व्यय बढ़ा है।

सतना जिले में प्राथमिक शिक्षा पर व्यय की तालिका नीचे दी गई है। आंकड़ों के घटने बढ़ने का कारण परिस्थितियां हैं। कम व्यय होने का कारण यह है कि बहुत से स्कूल दो पाली में लगते हैं। जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले पांच वर्षों में व्यय की धनराशि निम्न है :-

तालिका क्रमांक ६

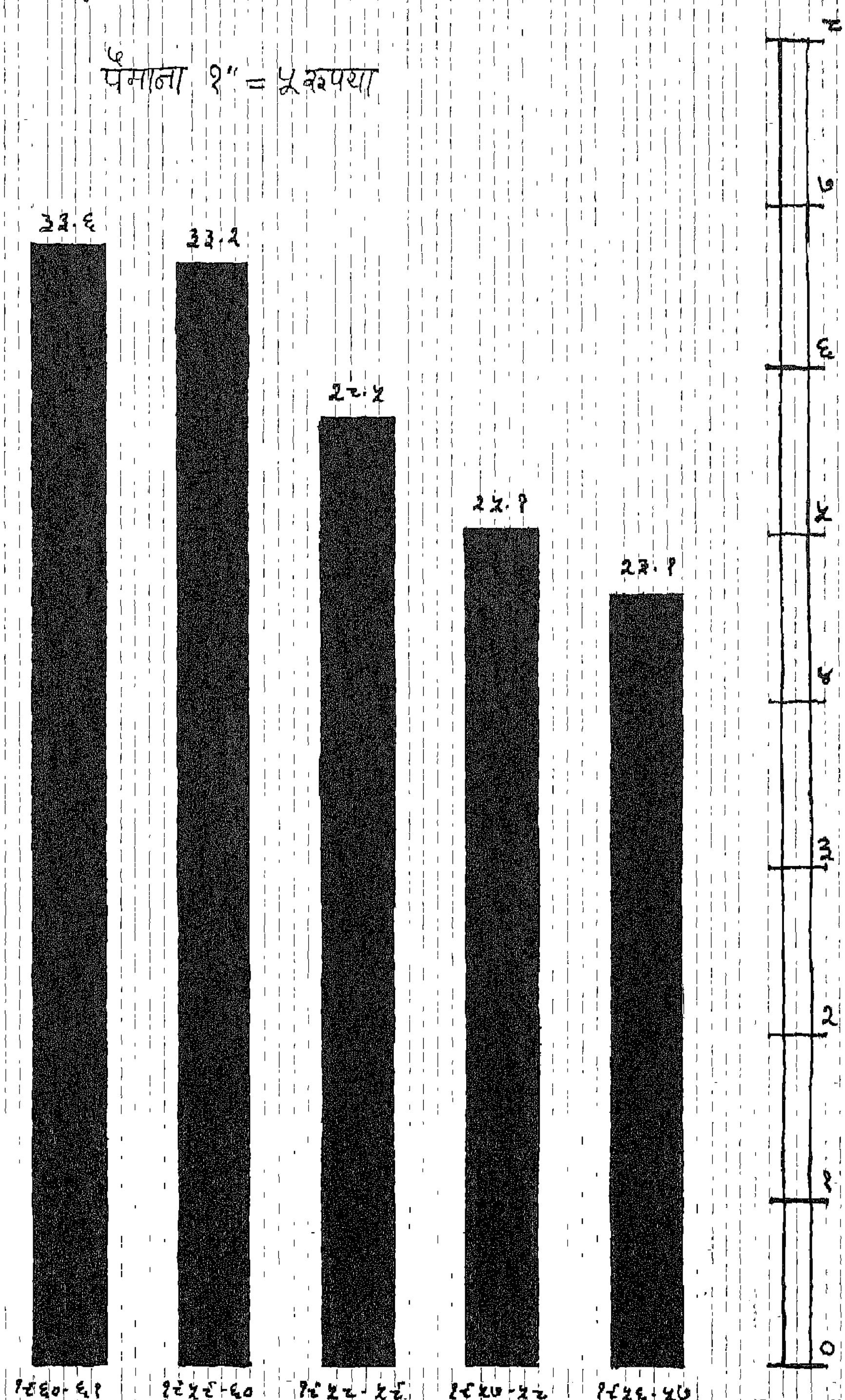
वर्ष (सेशन)	छात्र संख्या	व्यय	औसत प्रति छात्र व्यय
१९५६-५७	३९४६४	९१३४७७	२३.१
१९५७-५८	४२६[illegible]	१०८११९५	२५.१
१९५८-५९	४२८८३	१२१६२६४	२८.५
१९५९-६०	३९७९१	१३२३४५०	३३.२
१९६०-६१	४२८०४	१४४१४१२	३३.६

ऊपर की तालिका से प्रकट होता है कि प्रति छात्र पर व्यय का प्रतिशत विभिन्न वर्षों में भिन्न भिन्न है। सन् १९५६-५७ में प्रति छात्र व्यय २३.१ रु० था और सन् १९५७-५८ में २५.१ रु० हो गया। सन् १९५८-५९ में २८.५ रु० था, सन् १९५९-६० से सन् १९६०-६१ तक व्यय ३३.२ से ३३.६ तक बढ़ गया। इसका मुख्य कारण यह है कि छात्राओं की भरती की संख्या इस अनुपात से नहीं बढ़ी जबकि व्यय पहले से अधिक है। नये स्कूलों के बनने से व्यय तो अधिक हो गया परन्तु छात्रों की संख्या न बढ़ने से प्रति छात्र व्यय अधिक है। सन् १९५७-५८ के बाद तो छात्रों की संख्या बढ़ने की अपेक्षा घट गई है। जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि जितना ध्यान नये स्कूलों के खोलने को दिया गया, उतना ध्यान छात्राओं की भरती की ओर नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि होने से व्यय अधिक हुआ।

भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में प्रति बालक पर व्यय के तुलनात्मक अध्ययन से विषय स्पष्ट होगा। जबलपुर नगर में `अनिवार्य शिक्षा का प्रभाव` नामक अन्वेषण जो श्री ऊषा चौहान ने किया है (जबलपुर विश्वविद्यालय) सन् १९४८-४९ में विभिन्न प्रान्तों में शिक्षा पर व्यय निम्न भांति था :-

सतना जिले की प्राथमिक शिक्षा पर प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय

पैमाना १" = ५ रुपया



तालिका क्रमांक ७

सन् १९४८-४९ में प्राथमिक शाला के प्रति छात्र पर व्यय

राज्य	औसत व्यय प्रति बालक
	रु०
मद्रास	१९.४
बम्बई	२६.६
बंगाल	११.३
उत्तरप्रदेश	१०.[illegible]
पंजाब	२३.६
मध्यप्रदेश	२०.६
आसाम	६.९
बिहार	१२.५
उड़ीसा	११.१

उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि विभिन्न राज्यों में प्रति बालक व्यय भिन्न भिन्न था। बम्बई में सबसे अधिक (२६.द रु०) और आसाम में सबसे कम (६.९ रु०) था। इस भिन्नता के कई कारण हैं जिनमें से तीन मुख्य हैं:-

(१) शिक्षकों का वेतन

(२) राज्य द्वारा संचालित शालाएं और वे प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित।

(३) छात्रों और शिक्षकों की संख्या में अनुपात।

विदेशों में प्रति बालक व्यय भारत संघ के किसी भी राज्य की अपेक्षा अधिक है। यूनाइटेड किंगडम में सन् १९४५-४६ में प्रायमरी शालाओं में प्रति बालक व्यय ४०७ रु० था और सन् १९४७-४८ में २४१ रु० था।

अब प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा में अधिक व्यय उसी अनुपात में अधिक फलदायक सिद्ध हुआ है?

इसके लिये यह देखना आवश्यक है कि क्या जिले में प्राथमिक शिक्षा सामान्य रूप से प्रभावकारी है और मुख्यत: अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। चूंकि प्रश्नपत्रों के उत्तर सभी स्कूलों से प्राप्त नहीं हुए अत: उनसे स्पष्ट सूचना नहीं मिल पाई। इसलिये जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े सन् १९५६ से सन् १९६१ तक के उन बच्चों का प्रतिशत दर्शित करेंगे जो लिये हुए समय में सतना जिले में प्रायमरी शिक्षा सफलतापूर्वक समाप्त कर सके।

तालिका क्रमांक ८

अवरोध और क्षति - बालिकाओं की प्रायमरी शालाओं में

वर्ष (सेशन)	चार वर्ष पहले कक्षा १ में भरती होने वाली छात्राओं की संख्या।	क्षति	अवरोध का प्रतिशत।	निश्चित समय में प्रायमरी परीक्षा पास करने वाली छात्राओं का प्रतिशत।
१९५६-५७	१०००	५४७ या ५४.७ प्रतिशत	२५५ या २५.७ प्रतिशत	१९८ या १९.८ प्रतिशत
१९५७-५८	१८१७	११३९ या ६२.७ प्रतिशत	४११ या २२.६ प्रतिशत	२६७ या १४.७ प्रतिशत
१९५८-५९	२१८४	१३१५ या ६०.२ प्रतिशत	५४२ या २४.८प्रतिशत	३२७ या १५ प्रतिशत
१९५९-६०	२६५३	१४५९ या ५५ प्रतिशत	७१६ या २७ प्रतिशत	४७८ या १८ प्रतिशत
१९६०-६१	२९४९	१७११ या ५८ प्रतिशत	७९० या २६.८ प्रतिशत	४४८ या १५.२ प्रतिशत

तालिका क्रमांक ६ के अनुसार सन् १९५६-५७ में सतना जिले की प्राथमिक शिक्षा पर कुल व्यय ९१३४७७ रु० था और कुल छात्र ३९४९४ थे जिनमें बालक व बालिकाएं दोनों सम्मिलित हैं। इससे प्रकट है कि उस वर्ष प्रति छात्र औसत व्यय २३.१ रु० था।

छात्रों व छात्राओं की सफलता अर्थात् प्रायमरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या को देखें तो प्रकट होगा कि सन् १९५६-५७ में कुल १९८ छात्राओं ने प्रायमरी शिक्षा कोर्स पास करने में सफलताप्राप्त की जबकि चार साल पहले सन् १९५२-५३ में कक्षा १ में १००० छात्राएं भरती हुईं। इस प्रकार १००० छात्राओं पर वार्षिक व्यय जो चार पहले कक्षा १ में भरती हुईं थीं २३.१ रु० प्रति छात्र की दर से कुल २३१००.० रु० हुआ और कुल उपयोग १९८ २३.१ रु० अर्थात् ४५७३.८ रु० हुआ। इससे प्रकट होता है कि प्रति सफल छात्रा प्रायमरी शिक्षा पर वार्षिक व्यय ११६.७ रु० हुआ।

इसी प्रकार सन् १९६०-६१ में २९४९ छात्राओं में जोकि चार वर्ष पहले सन् १९५६-५७ में कक्षा १ में भरती हुईं थीं केवल ४४८ या १५.२ प्रतिशत निश्चित समय में प्रायमरी कोर्स पास कर सकीं। सन् १९६०-६१ में प्रति छात्र औसत व्यय ३३.६ रु० था। इस प्रकार वार्षिक व्यय २९४९ छात्राओं पर ३३.६ रु० की दर से कुल ९९०८६.४ रु० हुआ। जिससे प्रकट होता है कि प्रति सफल छात्रा जिसने निश्चित अवधि में प्रायमरी कोर्स पास किया हो वार्षिक व्यय २२१.२ रु० हुआ।

इससे प्रकट है कि अधिक व्यय उसी अनुपात से अधिक सफलता नहीं देता है। इसके दो मुख्य कारण हैं :- (१) छात्राओं का उचित संख्या में भरती न होना (२) अधिक क्षति व अवरोध का होना।

छात्राओं की भरती में कमी :-

व्यय तो स्कूलों की अपेक्षा शिक्षकों की संख्या के अनुपात से होता है। यदि स्कूल अधिक है और शिक्षक अधिक हैं तो व्यय भी उचित होगा। फिर चाहे उन स्कूलों में छात्र व छात्राओं की संख्या कम हो अथवा उचित मात्रा में हो। उदाहरण के लिये एक शिक्षक एक घण्टे में एक कक्षा में पढ़ायेगा फिर चाहे उस कक्षा में ४० छात्र हों जोकि एक कक्षा व वर्ग की उचित संख्या है, चाहे कम छात्र हों। परन्तु यदि छात्रों की संख्या कम है तो प्रति छात्र व्यय अधिक आवेगा। अतः छात्र व छात्राओं की भरती की ओर उचित ध्यान देना आवश्यक है। स्कूल

जाने योग्य आयु की बालिकाओं में से बहुत कम संख्या में स्कूल जाती हैं। ग्राम क्षेत्रों में तो स्कूल जाने योग्य आयु की बालिकाओं की केवल ८ ७ प्रतिशत स्कूल जाती हैं। अत: अधिकांश संख्या में बालिकाएं स्कूल जायें इसके लिये उचित प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये जायें तो लाभ होगा :-

भरती को देखने के लिये शिक्षा संचालक के आफिस में एक सह शिक्षा संचालक उत्तरदायी होना चाहिये। इसी प्रकार जिलों में एक सहायक जिला शाला निरीक्षक भरती पर ध्यान देने के लिये नियुक्त होना चाहिये। सह-संचालक को ब्लाक के तथा जिले के अन्य अधिकारियों की सहायता से भर्ती की ओर ध्यान देना व प्रबन्ध करना चाहिये।

ब्लाक स्तर पर एक कमेटी बनाई जाये जिसमें निरीक्षक स्टाफ, महिलायें व हरिजन सदस्य हों। इस कमेटी का कार्य शिक्षा की आयु योग्य बालिकाओं व बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रेरित करना चाहिये।

ग्रामों में इस प्रकार की कमेटी में ग्राम पंचायत के सदस्य महिला सदस्य तथा स्कूल का हेड मास्टर हों जो सेक्रेटरी का काम करे और इस कमेटी को बालकों को स्कूल में भरती कराने का प्रयत्न करना चाहिये।

शासन द्वारा ऐसा प्रपत्र निकलना चाहिये जिसमें अन्य विभागों के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में सहयोग देने की प्रार्थना होनी चाहिये।

एक प्रैस कान्फ्रेन्स द्वारा इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि अखबारों द्वारा इस सम्बन्ध में उचित प्रचार हो। बालिकाओं के लिये अधिक प्रचार की आवश्यकता है। "अपनी बालिकाओं को निकटतम स्कूल में भेजो" के नारे का अधिकाधिक प्रचार होना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार भी रेडियो आदि द्वारा इस प्रचार में सहायता दे सकती है।

उपर्युक्त कमेटियों को चाहिये कि वे एक ऐसा रजिस्टर बनायें

जिसमें स्कूल जाने योग्य आयु के बालक व बालिकाओं का विवरण हो और फिर उन बालकों के जो स्कूल नहीं जाते हैं माता-पिता को समझाकर उन्हें उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिये राजी करना चाहिये। रजिस्टर का नमूना निम्नलिखित हो:-

स्कूल जाने योग्य आयु के बालक व बालिकाओं का विवरण:-

१- क्रम संख्या

२- संरक्षक का नाम

३- संरक्षक का पता

४- बालक या बालिका का नाम

५- जन्म तिथि

६- मातृभाषा

७- जाति (जहां आवश्यक हो)

८- स्कूल जाने योग्य आयु में प्रवेश करने की तिथि

९- यदि बालक स्कूल जाता है, तो कक्षा जिसमें वह पढ़ता है

१०- विशेष।

राज्य सरकार को चाहिये कि वह कुछ निम्न प्रकार के इनाम घोषित करे जो विभिन्न ग्रामों व ब्लाकों में प्रतिद्वन्दिता की भावना उत्पन्न कर भरती बढ़ाने में सहयोग दें।

१- ब्लाक में सर्वाधिक भरती पर

२- ग्रामों में बालिकाओं की सर्वाधिक भरती पर

३- छात्रों को वर्ष के अन्त में अधिकतम उपस्थिति पर।

इस प्रकार यदि उपर्युक्त उपाय काम में लाये जायें तो मेरे विचार से अधिकाधिक छात्र व छात्राएं स्कूलों में भरती होने लगेंगी और हमारे उस धन का जोकि हमारी सरकार शिक्षा पर व्यय करती है, अधिकाधिक सदुपयोग होगा।

धन की क्षति का दूसरा कारण हमने शिक्षा में क्षति व अवरोध बताया था, उसके विषय में अन्य अध्याय में वर्णन किया जावेगा।

नोट :- प्रश्नपत्र में व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रश्न इसलिये नहीं रखा गया

था कि व्यय का सम्बन्ध प्रधानाध्यापकों व प्रधानाध्यापिकाओं से न होकर प्रबन्ध समितियों व जिला शाला निरीक्षक से है। अतः इसकी सूचना प्राप्त करने का प्रबन्ध साक्षात्कार द्वारा किया गया है। अतएव इस अध्याय के सभी तथ्य जिला शाला निरीक्षक से साक्षात्कार कर उनके कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार दिये गये हैं।

अध्याय - ४

क्षति और अवरोध

पहले " क्षति " शब्द का अर्थ " शिक्षा में हुई प्रत्येक प्रकार की क्षति " माना जाता था। परन्तु बाद में इसका प्रयोग एक निश्चित अर्थ से होने लगा और अब क्षति शब्द उन परिस्थितियों के विषय में प्रयुक्त होता है जिनमें बालक व बालिकायें प्राथमिक शिक्षा की अंतिम कक्षा अर्थात् पांचवीं कक्षा को बिना पास किये हुए स्कूल छोड़ देती हैं।

अवरोध और क्षति का स्पष्ट अर्थ समझने के लिये हरटाग कमेटी की रिपोर्ट में उद्धृत शब्दों का पढ़ना अधिक उपयोगी होगा। रिपोर्ट के अनुसार " शिक्षा में ह्रास होने के दो मुख्य कारण हैं - क्षति और अवरोध। " क्षति का अर्थ किसी बालक व बालिका के प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किये बिना ही किसी भी स्तर पर स्कूल छोड़ देना। यह वास्तव में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संख्या में प्राकृतिक कारणों से ह्रास है, जैसे मृत्यु, बीमारी आदि। परन्तु मृत्यु संख्या देखने से पता चलता है कि इस प्रकार ह्रास कुल ह्रास का एक अल्पांश ही है। " अवरोध " का अर्थ) किसी बालक व बालिका का एक कक्षा में एक या एक से अधिक वर्ष रहना है, दूसरे शब्दों में कक्षा में असफल होना है।

निस्सन्देह जब हम सतना जिले की प्रायमरी शिक्षा में क्षति व अवरोध पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि शिक्षा में यह सबसे बड़ी बुराई है। हम देखते हैं कि बालक और बालिकाओं का बहुत अल्प प्रतिशत, जो प्रायमरी स्कूल में पढ़ते हैं, निश्चित समय अर्थात् पांच वर्ष में प्रायमरी शिक्षा को पूर्ण करते अथवा पास करते हैं। ऐसा प्रत्येक बालक व बालिका जो प्रायमरी शिक्षा के पांच वर्ष का कोर्स पूरा नहीं कर सका, साक्षर नहीं कहा जा सकता है। प्रायमरी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य साक्षर बनाना है और जब वह अपने लक्ष्य को बहुत अल्प रूप में

प्राप्त कर पाती है तो उसमें क्षति होना ही कहा जायेगा । प्रश्नपत्रों के उत्तरों से प्राप्त व जिला शाला निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित तालिका से सतना जिले की प्राथमिक शिक्षा में क्षति व अवरोध का ज्ञान होता है ।

तालिका क्रमांक ६

सतना जिले में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा में क्षति व अवरोध का प्रतिशत ।

वर्ष (सेशन)	४ वर्ष पहले कक्षा कक्षा में भरती होने वाली छात्राओंकी संख्या ।	क्षति का प्रतिशत	अवरोध का प्रतिशत	प्राथमिक शिक्षा पास करने वालों की प्रतिशत ।
१९५६-५७	१०००	५४७ या ५४.७ प्रश०	२५५ या २५.५ प्रति०	१९८ या १९.८ प्रति०
१९५७-५८	१८१७	११३९ या ६२.७ प्रति०	४११ या २२.६ प्रति०	२६७ या १४.७ प्रति०
१९५८-५९	२१८४	१३१५ या ६०.२ प्रति०	५४२ या २४.८प्रति०	३२७ या १८ प्रति०
१९५९-६०	२६५३	१४५९ या ५५ प्रति०	७१६ या २७ प्रति०	४७८ या १८ प्रति०
१९६०-६१	२९४९	१७११ या ५८ प्रति०	७९० या २६.८ प्रति०	४४८ या १५.२ प्रति०

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस जिले में बालिकाओं की शिक्षा में क्षति व अवरोध बहुत अधिक है जिससे समय व धन दोनों की अति हानि हो रही है । सन् १९५६-५७ से १९५७-५८ तक क्षति का प्रतिशत बढ़ा है । तालिका से स्पष्ट है कि १९५६-५७ में क्षति ५४.७ प्रतिशत और १९५७-५८ में ६२.२ प्रतिशत है जबकि अवरोध घटा है क्योंकि १९५६-५७ में अवरोध २५.५ प्रतिशत और १९५७-५८ में २२.६ प्रतिशत था । सन्

१९५८-५९ और १९५९-६० में अवरोधन का प्रतिशत कम हुआ है जैसा कि तालिका में क्रमश: ६०.२ और ५५.२ है परन्तु अवरोध का प्रतिशत बढ़ा है और १९५८-५९ व १९५९-६० में अवरोध का प्रतिशत क्रमश: २४.८ और २७ प्रतिशत है। सन् १९६०-६१ में क्षति का प्रतिशत फिर बढ़कर ५८ प्रतिशत हो गया परन्तु अवरोध का प्रतिशत कम होकर २६.८ प्रतिशत हुआ।

इससे हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस वर्ष क्षति अधिक होती है, अवरोधन कम होता है। अर्थात् जो बालिकायें पढ़ने में रुचि न होने के कारण तथा अन्य कारणों से स्कूल छोड़ देती हैं वे यदि परीक्षा में सम्मिलित भी होती हैं तो उनमें से अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाती हैं। दूसरे शब्दों में जो बालिकायें स्कूल में पांचवीं कक्षा में रह जाती हैं उनमें असफल होने वाली तथा कक्षा में अन्य कारणों से रुकने वाली छात्रायें कम ही होती हैं। जिससे स्पष्ट है कि क्षति का कारण वे बालिकायें हैं जिनकी रुचि शिक्षा में नहीं होती है और इसकी ओर वे ध्यान नहीं देती हैं।

परन्तु इस प्रकार केवल शिक्षा में ही क्षति नहीं होती है बल्कि धन की भी हानि होती है, क्योंकि जो छात्रायें कक्षा पांचवीं पास किये बिना स्कूल छोड़ देती हैं, उन पर हुआ व्यय व्यर्थ)हो जाता है।

व्यय धन के रूप में अवरोध व क्षति -

इस जिले में सन् १९५६-५७ से १९६०-६१ तक प्राथमिक शिक्षा पर कुल व्यय ६१३४७७ से १४४१४१२ रु० हो गया और इन वर्षों में कुल छात्र संख्या ३६४६४ से ४२८०४ हो गई। इस प्रकार इन वर्षों में प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रति छात्र प्रति वर्ष २३.१ से बढ़कर ३३.६ रु० व्यय हो गया। तालिका क्रमांक १० से इन वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में क्षति व अवरोध के कारण प्रति वर्ष होने वाली धन की हानि का ज्ञान होता है।

तालिका क्रमांक ६ के आधार पर पिछले ५ वर्षों में प्रति वर्ष धन के रूप में कितना धन क्षति व अवरोध हुआ है, यह निम्न तालिका से ज्ञात हो सकता है। इस तालिका से सम्बन्धित सूचना जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त हुई है।

तालिका क्रमांक १०

धन के रूप में क्षति व अवरोध

वर्ष (सेशन)	प्रायमरी कोर्स पास किये बिना स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं पर व्यय।	फेल होने वाली परीक्षा न देने वाली छात्राओं पर व्यय।	कुल हानि
१९५६-५७	५४७ x २३.१ = १२६३५.७	२५५ x २३.१ = ५८९०.५	१८५२६.२
१९५७-५८	११३६ x २५.१ = २८५८८.६	४११ x २५.१ = १०३१६.१	३८९०५.०
१९५८-५९	१३१५ x २८.५ = ३७४७७.५	५४२ x २८.५ = १५४४७.०	५२९२४.५
१९५९-६०	१४५६ x ३२.२ = ४८४३८.८	७१६ x ३३.२ = २३७७१.२	७२२०९.०
१९६०-६१	१७११ x ३३.६ = ५७४८९.६	७६० x ३३.६ = २६५४४.०	८४०३३.६

इस प्रकार इन वर्षों में धन का कुल ह्रास जोकि उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है लगभग २६६,५६८.३ रु० हुआ। क्षति व अवरोध से राष्ट्रीय धन की हानि होती है। इसके अतिरिक्त इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा बालकों की एक बहुत बड़ी संख्या के लिये अरुचिकर है और उनके विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती। इसलिये शिक्षा में क्षति व अवरोध की समस्या पर प्राथमिक शिक्षा में भी गम्भीरता से विचार होना चाहिये व इसको रोकने के लिये इसके कारणों को दूर करने के प्रयत्न होने चाहिये।

शिक्षा में अवरोध बालकों व संरक्षकों पर बड़ा अनैतिक प्रभाव डालता है। इससे समय, धन व प्रयत्न का भी ह्रास होता है। अवरोध क्षति का भी कारण होता है क्योंकि जब बालक या बालिका बार बार

कक्षा में असफल होते हैं तो उनके संरक्षक उन्हें स्कूल से निकाल लेते हैं। अतएव यह सदैव ध्यान में रखना चाहिये कि " विद्यालय छात्रों को सिखाने व पढ़ाने के लिये खोले गये हैं न कि इसलिये कि वे असफल हों। "

अब हम शिक्षा में क्षति व अवरोध के कारणों पर विचार करेंगे। इसमें उनकारणों को दूर करने के कुछ सुझाव भी सम्मिलित हैं। कारणों से सम्बन्धित प्राप्त मतों की प्रतिशतता का ग्राफ साथ में संलग्न है।

अवरोधन के कारण -

(१) पहिली कक्षा में अनिपुण शिक्षण:-

इस कारण से सम्बन्धित सूचना जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त हुई है। संलग्न ग्राफ में यदि हम कक्षावार अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि सबसे अधिक क्षति व अवरोध पहिली कक्षा में तथा सबसे कम पांचवीं कक्षा में होता है। स्पष्टीकरण के लिये १९६०-६१ में कक्षावार क्षति व अवरोध की तालिका नीचे दी जाती है।

तालिका क्रमांक ११

सन् १९६०-६१ की कक्षावार क्षति व अवरोध की प्रतिशतता

कक्षा	दर्ज छात्राओं की संख्या	क्षति		अवरोध		पास करने वाली छात्राएं	
पहिली	४५१४	२२५७	५० प्रति०	१३३७	३० प्रति०	९२०	२० प्रति०
द्वितीय	१६३७	७५९	४७ प्रति०	३२७	२० प्रति०	५४१	३३ प्रति०
तृतीय	१०८३	३८०	३५ प्रति०	२७०	२५ प्रति०	४३३	४० प्रति०
चतुर्थ	८२०	२४६	३० प्रति०	१६३	२० प्रति०	४११	५० प्रति०
पंचम	५५९	६१	११ प्रति०	५०	९ प्रति०	४४८	८० प्रति०

प्रोफेसर किनी (Kinnie) ने[१] "मैसूर के शैक्षणिक अन्वेषण" की रिपोर्ट में कहा था कि जब बालक पहिली कक्षा पास कर लेते हैं तो वे आगे पढ़ने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। उपर्युक्त तालिका में भी यही प्रकट है कि सबसे अधिक क्षति व अवरोध कक्षा पहिली में होता है जिनकी प्रतिशतता ५० और ३० तक है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्कूल मेंपहिली कक्षा सबसे कम महत्वपूर्ण समझी जाती है। दूसरे प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव रहता है। तीसरे यदि शिक्षक प्रशिक्षित भी हुए तो वे बालकों के साथ उतने प्रेम से बर्ताव नहीं कर पाते हैं जितना स्त्री शिक्षिकाएं कर सकती हैं। चूंकि पहिली कक्षा में सबसे छोटे बालक होते हैं अतएव उनको संभालने के लिये सबसे अधिक प्रेम व धैर्य की आवश्यकता है। इसीलिये अमेरिका में छोटी कक्षाओं में अधिकांशत: स्त्री शिक्षक होती हैं। इन्हीं सब कारणों से पहिली कक्षा में बहुत से छात्र और छात्रायें विद्यालय छोड़ देते हैं, बहुत से परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं और यदि शाला का परीक्षाफल दिखलाने के लिये उच्च कक्षा में उन्हें तरक्की दे दी जाती है तो वे अगली कक्षा में क्षति व अवरोध उत्पन्न करते हैं। अतएव यदि पहिली कक्षा में ही योग्य, प्रशिक्षित व अनुभवी महिला शिक्षक रखकर छात्र व छात्राओं के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये तो क्षति व अवरोध कम हो सकते हैं।

(२) <u>एक शिक्षक स्कूल:-</u>

प्रश्नपत्र में प्रश्न ७ के दूसरे भाग में क्षति व अवरोध के कारण पूछे गये थे। ४० प्रतिशत प्रश्नपत्रों में एक शिक्षक स्कूल को एक मुख्य कारण स्वीकार किया गया है। इस प्रकार के स्कूलों के कारण भी बहुत क्षति व अवरोधन होता है। शिक्षा प्रसार के लिये सरकार ने यह नीति अपनायी है कि ५०० जनसंख्या वाले ग्रामों में जहाँ लोग एक या दो एकड़ भूमि अनुदान में दें, एक शिक्षक स्कूल खोले जायें। इन स्कूलों का प्रबन्ध जनपद व ग्राम पंचायतों के द्वारा हो। परन्तु यह किस प्रकार सम्भव है कि एक

---

१ मैसूर में ~~शैक्ष~~ शैक्षणिक सर्वे की रिपोर्ट १९२७-२८, वा० १, पृष्ठ २१५।

शिक्षक चार-पांच कक्षाओं की उचित देखभाल कर सके? स्वाभाविक है कि ऐसे स्कूलों में शिक्षण उचित ढंग से न होगा । हमारी सरकार को शिक्षा प्रसार के लिये ऐसे स्कूल खोलने ही पड़ते हैं परन्तु फिर भी कम से कम तीरी कक्षा खुलते ही एक शिक्षक ऐसे स्कूलों में और दिया जावे ताकि सुधार हो सके । स्कूलों में सुधार हेतु कुछ उपायों को काम में लाने के लिये निम्नलिखित कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं:-

(अ) ऐसे स्कूलों में आवश्यक सामान तुरन्त दिया जाये । सहायक जिला निरीक्षक अपने निरीक्षण में देखें कि आवश्यक सामग्री इन स्कूलों में पूर्ण हो क्योंकि कहीं कहीं तो आवश्यक रजिस्टर भी नहीं पहुंचते हैं ।

(ब) भूमि शीघ्रताशीघ्र दी जाये तथा शाला भवन बनवाये जायें अन्यथा शाला भवन न होने से ऐसे स्कूल केवल नाम मात्र को होते हैं तथा क्रियात्मक कार्य कुछ नहीं हो पाता है ।

(स) कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति बन्द हो । यथा-सम्भव प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति हो ।

(द) ऐसे स्कूलों में शिफ्ट प्रणाली हो । जिन स्कूलों में चार कक्षायें हों उनमें पहिली व दूसरी कक्षा एक शिफ्ट में और तीसरी, चौथी व पांचवीं कक्षाएं दूसरी शिफ्ट में हों । इससे शिक्षक अधिक ध्यान दे सकेगा ।

(३) <u>पाठ्यक्रम में जटिलता या बहुलता</u> :-

प्रश्नपत्र के प्रश्न ७ के तीसरे भाग में इस पर प्रश्न रखा गया था । प्रश्नपत्रों के प्राप्त उत्तरों में यद्यपि केवल १७ प्रतिशत अर्थात् बहुत ही कम में इसे क्षति व अवरोध का कारण स्वीकार किया गया है, तथापि साक्षात्कार में प्राप्त मत तथा मेरी समझ में वर्तमान पाठ्यक्रम में विषयों की अधिकता है, साथ ही रोचकता की कमी है, जिससे मन्द बुद्धि व अल्प बुद्धि वाली बालिकाएं परीक्षाओं में कठिनता से सफलता पाती हैं तथा पढ़ना छोड़ देती हैं । अत: पाठ्यविषयों की संख्या कुछ कम की जाये तथा उनमें बालिकाओं के लिये उपयोगी तथा रोचक विषय जैसे गृहस्थ जीवन तथा सामाजिक जीवन सम्बन्धी कुछ विषय रखे जायें ।

(४) उत्साहवर्धन की कमी :-

इस कारण से सम्बन्धित सूचना प्रश्नपत्रों के उत्तर व अध्यापकों के साक्षात्कार से प्राप्त हुई है। इस कारण को प्रश्नपत्र के ७वें प्रश्न के चौथे भाग में रखा गया था। यद्यपि इस कारण को भी बहुत ही कम अर्थात् १७ प्रतिशत प्रश्नपत्रों के उत्तर स्वीकार किया गया परन्तु फिर भी यह एक महत्वपूर्ण कारण है। कभी कभी छात्राओं को जब कोई विषय देर में समझ में आता है तो शिक्षक वर्ग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे छात्राओं में निरुत्साह उत्पन्न हो जाती है। कक्षा की किसी छात्रा की अतिशय प्रशंसा व उनकी निन्दा से भी उनमें निरुत्साह उत्पन्न हो जाता है। अत: यदि छात्राओं को उचित प्रोत्साहन दिया जाये, जो विषय उनकी समझ में कम आवें उसे प्यार से समझाकर उन्हें उत्साहित किया जाये तो अनेकों छात्रायें जो निरुत्साह हो कर पढ़ाई छोड़ बैठती हैं, वे पढ़ाई न छोड़ेंगी बल्कि रुचि से पढ़कर शिक्षा और सफलता प्राप्त करेंगी।

(५) संरक्षकों की असावधानी व उदासीनता :-

इससे सम्बन्धित सूचना प्रश्नपत्रों के उत्तरों व साक्षात्कार से प्राप्त हुई है। इस कारण को प्रश्नपत्र के ७ वें प्रश्न के पांचवें भाग में रखा गया था। इस कारण को ६२ प्रतिशत उत्तरों में स्वीकार किया गया है। आज इस नये युग में भी बहुत से संरक्षक अपनी बालिकाओं की शिक्षा की ओर उदासीन हैं। न तो वे उन्हें स्कूल भेजते में और न ही उनकी शिक्षा में रुचि लेते हैं। अत: समाज-शिक्षा के कार्यक्रमों के द्वारा संरक्षकों की शिक्षा की ओर रुचि उत्पन्न की जा सकती है।

(६) अनियमित उपस्थिति:-

प्रश्नपत्र के ७वें प्रश्न के छठवें भाग में इस प्रश्न को रखा गया था। १० प्रतिशत उत्तरों में इस कारण को स्वीकार किया गया है। अधिकांश छात्रायें नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहती हैं फलस्वरूप वे

पढ़ाई में पिछड़ी रहती हैं और परीक्षा में असफल होती हैं और अन्त में क्षति व अवरोध में योग देती हैं ।

अध्यापकों के साथ साक्षात्कार करने से अनियमित अनुपस्थिति के निम्नलिखित कारण ज्ञात हुए:-

(अ) छात्रायें घर के कामों में सहायता देने के कारण स्कूल नहीं जाती हैं ।

(ब) गरीबी के कारण अभिभावक कापी व पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं । अत: छात्रायें विद्यालय में जाने में मुंह छिपाती हैं ।

(स) बीमारी के कारण अनुपस्थित रहती हैं ।

(द) ग्रामों में मां बाप दोनों ही काम करने जाते हैं अत: घर की देखभाल के लिये छात्राओं को समय देना पड़ता है ।

(य) कुछ छात्रायें मन्द बुद्धि होने के कारण पढ़ाई में पिछड़ी रहती हैं अत: डर के कारण विद्यालय नहीं जाती हैं ।

(फ) शादी, विवाह, त्योहार आदि के कारण भी वे अनुपस्थित रहती हैं ।

यदि छात्राओं के मां-बाप को समझाया जाये तथा उनको छात्राओं की उपस्थिति का महत्व समझाया जाये तो इस दिशा में सफलता मिलेगी । उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जाये जिससे वे निरोग रहें गरीब छात्राओं की सहायता की जाये । पिछड़ी छात्राओं को प्यार व सहानुभूति से पढ़ाया जाये तो सफलता मिलेगी ।

(७) अनियमित भरती:-

इस कारण से सम्बन्धित सूचना प्रश्नपत्र के ७वें प्रश्न के सातवें भाग के उत्तरों से प्राप्त हुई है । इस कारण को १० प्रतिशत उत्तरों में स्विकार किया गया है । यह क्षति व अवरोध उत्पन्न करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है । कभी कभी कुछ छात्राओं की भरती उनकी योग्यताओं से ऊंची कक्षा में कर ली जाती है । फलस्वरूप छात्रायें उस कक्षा की पढ़ाई में पिछड़ी रहती हैं और अगली पढ़ाई भी नहीं सीख पाती हैं । अत: परीक्षा में असफल हो जाती हैं ।

अध्यापकों से साक्षात्कार करने पर अनियमित भरती के निम्नलिखित कारण ज्ञात हुए हैं:-

(अ) कुछ माता-पिता अपने बच्चों को ऊंची कक्षाओं में भरती करा देते हैं। वे समझते हैं कि इससे बच्चे जल्दी अंतिम परीक्षा पास कर लेंगे।

(ब) कुछ अध्यापक जिन बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन्हें ऊंची कक्षाओं में भरती कराकर अभिभावकों को प्रभावित करना चाहते हैं।

(स) कभी कभी अध्यापक अभिभावकों के अनुचित ~~व~~ दबाव के कारण छात्राओं को भरती कर लेते हैं। इसको दूर करने के लिये शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोणों को उन्नत बनाया जाये। टेस्ट लेकर भरती करने की प्रथा बन्द की जाये तथा अनिवार्य भरती पर जोर दिया जाये।

अन्य कारण:-

अध्यापकों के साथ साक्षात्कार करने व विद्यालयों के अवलोकन करने पर कुछ अन्य कारण भी ज्ञात हुए हैं जोकि निम्नलिखित हैं। ये प्रश्न-पत्र में प्रश्न ६ के अंतर्गत दिये गये कारणों के आधार पर प्राप्त किये गये हैं:-

(अ) कक्षा उन्नति में पक्षपात -

अक्सर अध्यापक कक्षा उन्नति में पक्षपात करके अनुचित उन्नति कर देते हैं। इससे भी आगे अवरोध उत्पन्न होता है। अत: यह प्रथा बन्द कर देनी चाहिये।

(ब) शाला का वातावरण -

जिन बालिकाओं के घर का वातावरण उचित नहीं होता है, घर में माता पिता में झगड़े होते रहेत हैं, बालिकायें स्वच्छंदतापूर्वक घूमती रहती हैं। ऐसी बालिकायें शाला के अनुशासित वातावरण से घबड़ा कर विद्यालय छोड़ देती हैं। इसके लिये चाहिये कि ऐसी बालिकाओं के

साथ कठोरता का व्यवहार न किया जावे । उन्हें धीरे धीरे अनुशासन में रहना सिखाया जावे । तथा उन्हें खेलकूद का अधिक अवसर दिया जावे । इस कारण को केवल साक्षात्कार में १० प्रतिशत मत मिले ।

(स) शिक्षकों की डांट का भय:-

कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो साधारण बातों पर बहुत अधिक डांटते हैं । अत: शिक्षकों को समझाया जाय कि वे डांटने की अपेक्षा प्रेम व सहानभूतिपूर्ण व्यवहार बच्चों के साथ रखें । उसके लिये शिक्षकों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है । सेमीनार आदि के द्वारा उन्हें मनोविज्ञान का ज्ञान दिया जावे । रिफ्रेशर कोर्स में उन्हें भेजना अधिक अच्छा और लाभप्रद होगा ।

(द) निर्धनता:-

बहुत सी छात्राएं निर्धनता के कारण स्कूल छोड़ देती हैं । पुस्तकें व पाठन सामग्री न जुटा सकने के कारण स्कूल छोड़ देती हैं । ऐसी बालिकाओं के लिये `गरीबी छात्रवृत्ति` आदि का प्रावधान होना चाहिये । प्रश्नपत्र के उत्तर में इस कारण को ८ प्रतिशत मिले ।

(इ) अधिक आयु व विवाह हो जाने के कारण:-

कुछ बालिकायें अधिक आयु में स्कूल में भरती की जाती हैं और फिर उन्हें शिक्षा पूर्ण किये बिना ही विद्यालय से अलग करा दिया जाता है । कुछ बालिकाओं की विशेषकर ग्रामों में अब भी छोटी आयु में शादी हो जाती है । इसके फलस्वरूप उनकी शिक्षा बन्द हो जाती है । इसके लिये चाहिये कि एक तो प्राथमिक शिक्षा की आयु में अर्थात् ६ वर्ष में बालिकाओं की भरती पर जोर दिया जाय जिससे अधिक आयु हो जाने के कारण पढ़ाई न बन्द हो । दूसरे छोटी आयु के विवाह बन्द हों, इसके लिये समाज में आन्दोलन का प्रचार हो । बालिकाओं की उचित समय में भरती के लिये क्या प्रयत्न हों, इस संबंध में पीछे लिखा जा चुका है ।

(फ) शाला में अध्यापिकाओं के बजाय अध्यापक होना:-

जिन स्थानों में बालिका-पाठशालाएँ दूर हैं वहाँ बालिकाओं को लाचार होकर बालकों के पाठशालाओं सह-शिक्षा में भेजा जाता है। बालकों के विद्यालयों में लगभग सभी अध्यापक पुरुषवर्ग के होते हैं। अत: बहुत से अभिभावक यह कहकर बालिकाओं को विद्यालय से हटा लेते हैं कि वहाँ पर एक भी स्त्री नहीं है। अत: अच्छा होगा कि ऐसी शालाओं में स्त्री-अध्यापिकाएँ अवश्यक रखी जायें। प्रश्नपत्र में इस कारण के पक्ष में ५ प्रतिशत मत मिले।

(ज) अभिभावकों का स्थानान्तरण:-

अक्सर बालिकाओं के माता-पिताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानान्तरण हो जाता है। नगरों में यह अक्सर होता है क्योंकि नगरों में नौकरी करने वाले लोग अधिक होते हैं। प्रश्नपत्र में प्रश्न ६ के अन्तर्गत अन्य कारणों में इस कारण को १५ प्रतिशत मत मिले।

साक्षात्कार तथा प्रश्नपत्र के उत्तरों में क्षति व अवरोध के कारणों और सुधार हेतु सुझावों का सांख्यिकी विवरण

क्रम संख्या	कारण	कुल मतों की संख्या		प्राप्त हुए मतों का कुल प्रतिशत।
		१०० मत प्रश्नपत्र।	५० साक्षात्कारित।	
१-	पहली कक्षा में अनिपुण शिक्षण	-	३०	२० प्रति०
२-	एक शिक्षक स्कूल	४०	२०	४० प्रति०
३-	पाठ्यक्रम में जटिलता	-	२५	१७ प्रति०
४-	उत्साहवर्धन की कमी	५	२०	१७ प्रति०
५-	संरक्षकों की असावधानी व उदासीनता	६०	३२	६२ प्रति०
६-	अनियमित उपस्थिति	१०	५	१० प्रति०
७-	अनियमित भरती	१०	२०	१५ प्रति०

८- कक्षा उन्नति में पक्षपात	-	१५	१० प्रति०
९- शाला का वातावरण	-	५	३ प्रति०
१०- शिक्षकों की डांट का भय	-	५	३ प्रति०
११- निर्धनता	८	१०	१४ प्रति०
१२- अधिक आयु व विवाह हो जाना	१०	१५	१७ प्रति०
१३- शाला में अध्यापिका की बजाय अध्यापक होना	१०	१२	१५ प्रति०
१४- अभिभावक के स्थानान्तरण	१५	१५	२० प्रति०

सुझाव

१- पहली कक्षा के लिये योग्य व अनुभवी शिक्षक	३०	१०	२७ प्रति०
२- शालायें सामग्री व भवन से युक्त हों	४०	५	३० प्रति०
३- योग्य शिक्षकों की नियुक्ति	३०	४०	४६ प्रति०
४- एक शिक्षक स्कूल में शिफ्ट प्रणाली हो	२०	१०	२० प्रति०
५- पाठ्यक्रम में कम व उपयोगी विषय हों	४०	२०	४० प्रति०
६- उचित उत्साहवर्धन किया जाय	२०	२५	३० प्रति०
७- संरक्षकों की शिक्षा की ओर रुचि जागृत हो	६०	३०	६० प्रति०
८- मनोवैज्ञानिक विधि से शिक्षण	१०	५	१० प्रति०
९- टेस्ट लेकर भरती की प्रथा बन्द हो	१०	२०	१५ प्रति०
१०- परीक्षा में सुधार, पक्षपात बन्द हो	-	१५	१० प्रति०
११- शिक्षकों की योग्यता में सुधार व प्रशिक्षण	-	५	३ प्रति०
१२- छात्रवृत्ति दी जाये	८	१०	१४ प्रति०
१३- उचित आयु के समय भरती का प्रयत्न	१०	१५	१७ प्रति०
१४- शालाओं में अध्यापिकाओं की नियुक्ति	४०	३७	५७ प्रति०

अध्याय - ५

शिक्षकों की योग्यता

स्वर्गीय पंडित गोपाल कृष्ण गोखले ने सन् १९१२ में कहा था - " ईश्वर के लिये जब तक देश से निरक्षरता दूर करने के पथ पर अग्रसर न हो, जाओ, शिक्षकों के प्रशिक्षण और सुंदर शाला भवनों की प्रतीक्षा न करो। " दूसरे शब्दों में शिक्षकों व शाला भवनों की अच्छाई की ओर ध्यान देने के पहले देश से निरक्षरता दूर होने का प्रयत्न होना चाहिये और वह शिक्षा आज भी सत्य है। फिर चूंकि हमारे देश के संविधान में दस वर्षों में सभी राज्यों में सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है हमें शिक्षा के प्रसार के साथ ही साथ उसके उन्नत गुण की ओर भी देखना है। शिक्षकों की योग्यता शिक्षा के स्तर को ही ऊंचा नहीं उठाती वरन् उसकी ओर छात्रों को आकर्षित भी करती है।

आज प्रत्येक व्यक्ति जो शिक्षा में रुचि रखता है इस बात का अनुभव कर रहा है कि वर्तमान काल का हिन्दी सातवीं कक्षा पास विद्यार्थी पुराने समय के प्रायमरी सर्टिफिकेट परीक्षा पास विद्यार्थी से किसी भी दशा में अधिक योग्य नहीं है। उस समय मात्रा की अपेक्षा गुण पर अधिक ध्यान दिया जाता था। यदि शिक्षा के स्तर के ह्रास की वर्तमान प्रवृत्ति इसी प्रकार जारी रही तो दुर्भाग्य वश हम देखेंगे कि कुछ वर्षों बाद प्रायमरी पास विद्यार्थी को लगभग निरक्षर ही समझना होगा। यदि हम अनुभव करते हैं कि यह दुर्भाग्यमय प्रवृत्ति रोकना आवश्यक है, यदि हम यहअनुभव करते हैं कि हमारी प्राथमिक शिक्षा का निम्नस्तर निम्न ~~यरेजनन-क~~ योग्यता के शिक्षकों के कारण है, यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के प्रसार के साथ भी हम स्तर को और अधिक गिराना नहीं चाहते तो हमें शिक्षकों की योग्यता ~~की~~ समस्या पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। हमें उन उपायों और साधनों

को खोजना पड़ेगा जिनके द्वारा हम प्रायमरी स्कूलों के लिये योग्य अध्यापकों को चुन सकें तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़ा सकें।

प्रश्नपत्रों के उत्तर सभी के प्राप्त न हो सके, अतएव शिक्षकों की संख्या का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिये जिला शाला निरीक्षक से साक्षात्कार किया तथा उनके कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित तालिकाओं से शिक्षकों की ग्रामों व नगरों में कुल संख्या तथा विभिन्न योग्यता प्राप्त शिक्षकों की संख्या ज्ञात होगी।

तालिका क्रमांक १२

सतना जिले में पांच वर्षों में शिक्षकों की संख्या व उनकी योग्यता

सत्र	इन्टर वा मैट्रिक पास पुरुष	इन्टर वा मैट्रिक पास स्त्री	मिडिल पास या मैट्रिक फेल पुरुष	मिडिल पास या मैट्रिक फेल स्त्री	योग स्त्री शिक्षक	योग पुरुष शिक्षक	कुल योग
१९५६-५७	२५	२	१४८०	७४	७६	१५०५	१५८१
१९५७-५८	३५	१०	१४८५	७०	८०	१५२०	१६००
१९५८-५९	५२	१०	१५४५	७८	८८	१५९७	१६८५
१९५९-६०	१००	१५	१५००	८२	९७	१६००	१६९७
१९६०-६१	१२०	२८	१५२५	९५	१२३	१६४५	१७६८

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि जिस प्रकार शिक्षा प्रसार हेतु स्कूलों की संख्या बढ़ी है उसी प्रकार शिक्षकों की संख्या में भी प्रतिवर्ष वृद्धि होती गई। एक वस्तु हमें और दृष्टिगोचर होती है कि इन्टर व हाई स्कूल पास अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की संख्या मिडिल पास व मैट्रिक फेल शिक्षकों की अपेक्षा अधिक बढ़ी है। इससे प्रकट होता है कि अब इन्टर व हाई स्कूल पास शिक्षक इस विभाग में अधिक नियुक्त होने लगे हैं। साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि शिक्षित लोगों को नौकरियां प्राप्त करने में पहले की अपेक्षा अधिक कठिनाइयां हैं क्योंकि

जैसा कि अन्यत्र बताया जा चुका है इस विभाग व पद पर वही लोग नियुक्त होते हैं जिन्हें अन्य विभागों व पदों पर नियुक्ति नहीं मिलती ।

सन् १६५६-५७ में कुल १५०५ अध्यापक व ७६ अध्यापिकाएं थीं परन्तु सन् १६६०-६१ में १६४५ शिक्षक व १२३ शिक्षिकाएं हैं अर्थात् कुल ६.६ प्रतिशत अध्यापक व ३८.३ प्रतिशत अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई । स्पष्ट है कि अध्यापकों की अपेक्षा अध्यापिकाओं की संख्या अधिक बढ़ी है जिससे स्त्री शिक्षा में प्रगति व इस व्यवसाय की ओर उनकी रुचि प्रकट होती है । अब हम प्रशिक्षित अध्यापक व अध्यापिकाओं की संख्या का अवलोकन करेंगे । जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सतना जिले में प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या निम्न है ।

तालिका क्रमांक १३

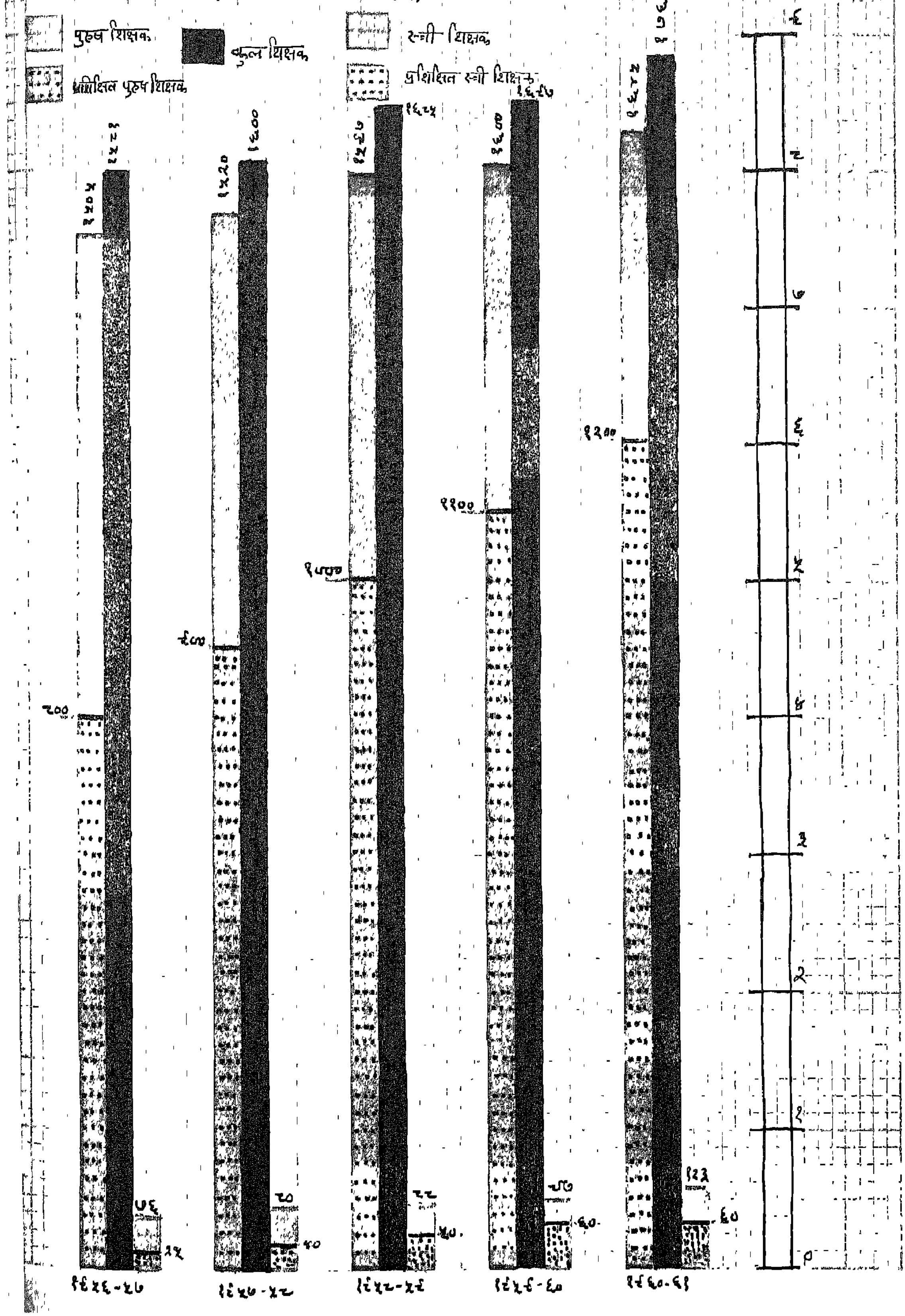
प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या व अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत ।

सत्र	शिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या	अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या	अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत ।
१६५६-५७	१५०५	८००	७०५	४६.८ प्रति०
१६५७-५८	१५२०	६००	६२०	४०.८ प्रति०
१६५८-५६	१५६७	१०००	५६७	३७.४ प्रति०
१६५६-६०	१६००	११००	५००	३१.३ प्रति०
१६६०-६१	१६४५	१२००	४४५	२७ प्रति०

उपर्युक्त तालिका से हमें ज्ञात होता है कि प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या क्रमशः बढ़ रही है तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत प्रति वर्ष कम होता जाता है । सन् १६५६-५७ में अप्रशिक्षित शिक्षकों

सतना जिले की प्राथमिक शालाओं के शिक्षको की संख्या

पैमाना १" = २०० शिक्षक



का प्रतिशत ४६.८ था और अब सन् १९६०-६१ में अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत २७ है। बीच के सत्रों में भी अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रतिशत में क्रमिक कमी होती गई है। इस तालिका द्वारा एक अन्य बात स्पष्ट होती है कि प्रतिवर्ष १०० अध्यापक प्रशिक्षित हुए हैं। कारण स्पष्ट है कि जिले में केवल एक ही ट्रेनिंग स्कूल है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की केवल १०० की संख्या में ही स्थान निश्चित है। नये भरती में बहुत कम शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं क्योंकि जिल में वर्तमान ट्रेनिंग स्कूल में प्राइवेट विद्यार्थियों के लिये स्थान स्वीकृत नहीं है। प्राइवेट प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिये रीवां ही निकटतम स्थान है। अतः नव नियुक्त शिक्षकों में ~~प्रशिक्षित-अ~~ प्रशिक्षित अध्यापक बहुत कम होते हैं।

अब हम अध्यापिकाओं में प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या का अवलोकन करेंगे जिनका कि मेरे इस अन्वेषण से विशेष सम्बन्ध है। जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की प्रगति धीमी है जोकि निम्नलिखित तालिका के अवलोकन से ज्ञात किया जा सकता है।

तालिका क्रमांक १४

प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या व अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं का प्रतिशत।

सत्र	अध्यापिकाओं की संख्या	प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या	अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या।	अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं का प्रतिशत।
१९५६-५७	७६	२५	५१	६७.१ प्रति०
१९५७-५८	८०	४०	४०	५० प्रति०
१९५८-५९	८८	५०	३८	४४.२ प्रति०
१९५९-६०	९७	६०	३७	३८.१ प्रति०
१९६०-६१	१२३	७१	५२	४२.२ प्रति०

उपर्युक्त तालिका से प्रकट होता है कि सन् १९५६-५७ से सन् १९५९-६० तक प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ी तथा अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं के प्रतिशत में क्रमिक ह्रास हुआ। सन् १९५६-५७ में अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं का प्रतिशत ६७.१ था जो कम होकर सन् १९५९-६० में ३८.१ प्रतिशत रह गया। परन्तु सन् १९६०-६१ में अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं का प्रतिशत बढ़कर ४२.२ प्रतिशत हो गया, जिसका कारण अध्यापिकाओं की संख्या में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई और नवनियुक्त अध्यापिकाओं में प्रशिक्षित अध्यापिकाएं बहुत कम हैं। दूसरी बात जहां प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या प्रतिवर्ष १०० बढ़ी वहां अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धिक्रम केवल १० है। इसका कारण ट्रेनिंग स्कूल में अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिये निश्चित स्थान की संख्या में कमी है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है जिले में केवल एक ही ट्रेनिंग स्कूल है, जहां ८-९ से अधिक अध्यापिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकतीं। केवल १ व २ की संख्या में रीवां से प्राइवेट प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं की नियुक्ति होती है।

अब हम सतना जिले में प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी के कारणों पर विचार करेंगे।

(१) प्रश्नपत्र में ४० प्रतिशत मत प्रशिक्षण में चुनाव न होने के कारण असमर्थ रहने के लिये मिले हैं। साक्षात्कार में प्रकट किये मत के अनुसार प्रशिक्षित न होने के निम्न कारण हैं:-

(१) इस जिले में केवल एक ही बेसिक ट्रेनिंग स्कूल है। शिक्षा प्रसार के कारण स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, फलत: शिक्षकों की संख्या भी बढ़ रही है। यदि हम तालिका देखें तो हमें ज्ञात होगा कि पहले के शिक्षकों में प्रशिक्षित अध्यापकों व अध्यापिकाओं का प्रतिशत कम, अतएव एक ट्रेनिंग स्कूल जिले की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये कम है। इसीलिये शीघ्र ट्रेनिंग के लिये चुनाव नहीं हो पाता।

(२) साक्षात्कार में प्रकट ४० प्रतिशत मतानुसार बहुत से प्रशिक्षित

अध्यापक व अध्यापिकाएं अपनी अग्रिम योग्यता बढ़ा लेने के बाद हाई स्कूलों व मिडिल स्कूलों में पदोन्नति पर चलेजाते है। नये अध्यापकों की भरती में अब भी बहुत से अप्रशिक्षित अध्यापकों व अध्यापिकाओं की नियुक्ति हो जाती है जिससे प्रशिक्षित अध्यापकों व अध्यापिकाओं की प्रतिशत में कमी आती है।

(३) साक्षात्कार में प्रकट ३० प्रतिशत मतानुसार चूंकि प्रशिक्षित अध्यापकों व अप्रशिक्षित अध्यापकों की वेतन श्रेणी में कोई अन्तर नहीं हैं, केवल कुछ वार्षिक वृद्धि का ही अन्तर है, अतएव शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विशेष आकर्षण नहीं है।

(४) साक्षात्कार में प्रकट हुए ३० प्रतिशत मतानुसार अधिकांश प्रायमरी स्कूल शिक्षक सेवा में नियुक्ति ले लेते हैं कि वे साथ ही साथ पढ़कर किसी अच्छे पद पर निकल जावेंगे या ग्रेजुएट होने के बाद बी०एड० करके हाई स्कूल में पदोन्नति पर पहुंच जायेंगे अत: वे प्रशिक्षण में रुचि नहीं लेते वरन् उसको टालने का प्रयत्न करते हैं और यह सोचते हैं कि व्यर्थ में एक वर्ष बर्बाद होगा जब तक कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने का प्रयत्न करेंगे।

(५) साक्षात्कार में प्रकट ५० प्रतिशत मत के अनुसार स्त्री शिक्षिकाएं ट्रेनिंग के लिये घर छोड़कर साल भर के लिये बाहर जाना पड़ेगा इस प्रकार के विचारों के अन्तर्गत टालने का प्रयत्न करती हैं।

पहले प्रायमरी स्कूलों में इन्टर व मैट्रिक पास शिक्षक नहीं थे और वर्नाक्यूलर हिन्दी मिडिल पास शिक्षक अपने काम को योग्यतापूर्वक करते थे। लेकिन अब मिडिल पास शिक्षक योग्य सिद्ध नहीं होते। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी वे पढ़ाने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसके कई कारण हैं:-

(१) साक्षात्कार में प्रकट ४० प्रतिशत मतानुसार शिक्षक के पद पर वे ही लोग नियुक्ति लेते हैं जिन्हें और किसी विभाग में कोई पद नहीं मिलता। इस पद पर न उन्हें कोई विशेष अधिकार मिलते हैं, न अतिरिक्त आय ही होती है। अन्य दूसरी नौकरियों में लोग आय के साधन व सम्मान को देखते हैं। परन्तु इस शिक्षकीय सेवा में उन्हें दोनों वस्तुएं

नहीं मिलतीं । इसीलिये स्वाभाविक है कि इस शिक्षकीय व्यवसाय में सबसे निम्न कोटि का उपेक्षित समुदाय आता है । दूसरे शब्दों मे प्रथम व द्वितीय श्रेणी पाने वाले अग्रिम शिक्षा प्राप्त करने को जाते हैं या अन्य कोई अच्छी नौकरी पर जाते हैं और इस व्यवसाय में तृतीय श्रेणी के तथा प्रमोशन पाने वाले लोग आते हैं ।

(२) साक्षात्कार में प्रकट ४० प्रतिशत मतानुसार यह भी देखा गया है कि बहुत से नये शिक्षक इस विभाग में बड़ी आयु पर ज्वाइन करते हैं । अन्य किसी पद को पाने में असफल होने के बाद वे शिक्षक बनकर एक बार फिर स्कूल के वातावरण में फिर आ जाते हैं । तब तक, वे अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़े हुए सभी विषयों को भूल जाते हैं । ऐसे शिक्षक नैतिक दृष्टि से भी इतने मजबूत नहीं हैं कि वे कक्षा में अपने उत्तरदायित्व को निभा सकें । वे प्रशिक्षण में भी जाना नहीं चाहते क्योंकि वे शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए पांच वर्षों की प्रतीक्षा करते हैं जिसके बाद वे प्राचीन नियमानुसार ३० वर्ष की आयु के होकर टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पाने के अधिकारी हो जाते हैं ।

(३) साक्षात्कार में कुछ प्रधानाध्यापकों ने यह विचार भी प्रकट किये कि आजकल मिडिल स्कूल परीक्षा बोर्डों द्वारा नहीं होती वह केवल स्कूल के प्रधानाध्यापक के अधिकार व कार्यक्षेत्र में है । स्वभावतया वे शाला के सम्मान व परीक्षाफल का अधिक ध्यान रखते हैं । विद्यार्थियों की योग्यता का नहीं । यही विद्यार्थी भविष्य में शिक्षक बनते हैं । अत: परीक्षा में इस प्रकार की ढिलाई के कारण हमें प्रायमरी स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिये उपयुक्त योग्यता वाले लोग नहीं मिलते ।

इस प्रकार व्यावसायिक त्रुटि व शिक्षकों की अयोग्यता के विषय में ध्यान करके हमें ऐसे उपायों व साधनों का प्रयोग करना चाहिये जिससे शिक्षकों के ज्ञान के स्तर में वृद्धि हो । प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़े और सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों में व्यावसायिक योग्यता बढ़े । इसके लिये निम्नलिखित सुझावों का प्रयोग किया जाना चाहिये जैसा कि साक्षात्कार में अधिकांश मत प्रकट किये गये थे ।

(१) प्रायमरी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर काम करने वाले अधिकांश व्यक्ति भारत के माध्यमिक विद्यालयों से आठवीं कक्षा पास करने के बाद आते हैं। हमें परीक्षा के स्तर को ऊंचा करना चाहिये साथ ही शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा करना चाहिये जिससे हम शिक्षा के व्यवसाय में योग्य व्यक्तियों को प्राप्त कर सकें। परीक्षा में कठोरता लाने व उसके स्तर को उन्नत करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि आठवीं कक्षा की परीक्षा को संचालित करने का अधिकार प्रधानाध्यापकों को न हो। यह लोक परीक्षा होनी चाहिये जोकि जिला निरीक्षक या उसी उद्देश्य से निर्मित तहसील के बोर्ड के द्वारा ली जानी चाहिये। सामान्य परीक्षायें इसकी प्रथम सीढ़ी हैं। पहिले मिडिल स्कूल की परीक्षायें बोर्ड के द्वारा ही होती थीं, बाद में ये बन्द कर दी गईं जिसके फलस्वरूप हम शिक्षा के स्तर को निम्नतर देख रहे हैं। अतः इस प्रकार की सामान्य परीक्षायें शिक्षा के स्तर को ऊंचा करेंगी और अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों को उनके शिक्षण कर्तव्यों की ओर जागरूक करेंगी। इस तरह की परीक्षायें यदि जिला शाला निरीक्षक के द्वारा ली जायें तो अधिक अच्छा होगा क्योंकि इसमें पक्षपात आदि बुराइयों का स्थान नहीं होगा।

(२) कहीं कहीं प्राइवेट स्कूलों में यह पद्धति जारी है कि अप्रशिक्षित अध्यापक प्रति वर्ष सेवा से हटा दिये जाते हैं और ग्रीष्मावकाश के पश्चात् उनकी नियुक्ति पुनः की जाती है। यह पद्धति इस दृष्टिकोण से अच्छी है कि इससे शिक्षकों को प्रशिक्षित होने की प्रेरणा मिलती है। परन्तु बिना किसी परीक्षा या इन्टरव्यू के इस प्रकार की नियुक्ति अच्छी नहीं है क्योंकि इससे उन लोगों का अधिक अधिकार स्थापित हो जाता है जोकि एक बार अधिकारियों के अंतर्गत सेवा कर चुके हैं, चाहे वे इसके लिये कितने ही अयोग्य क्यों न हों। अतः उत्तम होगा कि सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों की पुनर्नियुक्ति के लिये एक प्रतिद्वन्दात्मक परीक्षा हो। यह परीक्षा केवल उन लोगों को छोड़कर, जो लगातार तीन वर्ष

प्रतियोगितात्मक परीक्षा पास करने के पश्चात् सेवा कर चुके हों, सभी के लिये अनिवार्य होनी चाहिये। परीक्षा के बाद सफलता प्राप्त प्रार्थी को एक बोर्ड में साक्षात्कार के लिये जाना चाहिये। साक्षात्कार लेने वाले बोर्ड में जिला शाला निरीक्षक, शिक्षा समिति का सभापति व माध्यमिक विद्यालयों का एक अनुभवी प्रधानाध्यापक होना चाहिये। इस प्रकार की प्रतियोगिता अयोग्य व व्यवसाय में रुचि न रखने वाले अध्यापकों को नियुक्त होने में रोकने का कार्य करेगी। हाई स्कूल पास प्रार्थी इस प्रकार की परीक्षा से मुक्त होने चाहिये।

(३) उपरोक्त परीक्षाओं में सफलता प्राप्त प्रार्थियों को श्रेणियां दी जानी चाहिये। वे लोग जो तीन वर्ष लगातार इस प्रकार की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी पाते हैं या तीन लगातार वर्ष की परीक्षा में कुल अंकों में प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं उन्हें पांच वर्ष सेवा का प्रमाण पत्र इनाम के रूप में मिलना चाहिये। जो द्वितीय श्रेणी प्राप्त करते हैं, उन्हें तीन वर्ष सेवा का प्रमाणपत्र मिलना चाहिये और जो तृतीय श्रेणी प्राप्त करते हैं। उन्हें दो वर्ष सेवा का प्रमाण पत्र मिलना चाहिये। उपर्युक्त तीनों प्रकार के शिक्षकों को तीसरी बार परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात् इस प्रकार की परीक्षाओं से मुक्त कर देना चाहिये। यह उपाय अप्रशिक्षित शिक्षकों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न करेगा। ऐसे शिक्षकों के, जिन्होंने सेवा काल प्रमाणपत्र में द्वितीय या तृतीय श्रेणी प्राप्त की है, प्रमाणपत्र का समय, उनके प्रमाणपत्रों के समाप्त होने के तिथि के बाद जिला निरीक्षकों की सिफारिश के पश्चात् पुन: बढ़ा दिया जाना चाहिये जब तक कि वे पांच वर्ष की सेवाकाल का प्रमाणपत्र न पा लें।

(४) प्रशिक्षित अध्यापक पांच वर्ष के सेवाकाल प्रमाणपत्र के समय को पूर्ण करने के बाद ही यदि वे २५ वर्ष से अधिक आयु के हों, तो नार्मल स्कूल व बेसिक स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजे जायें।

हाई स्कूल व विशारद परीक्षायें पास शिक्षक भी जो इन्टरव्यू के बाद नियुक्त किये गये थे, पाँच वर्ष सेवा करने के बाद प्रशिक्षण हेतु भेजे जायें। प्रशिक्षण हेत आयु की सीमा भी २० से २५ वर्ष निश्चित होनी चाहिये। अधिक आयु सीखने के लिये उत्तम नहीं होती है।

(५) लगभग ३० व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार करने से यह ज्ञात हुआ कि भीतरी क्षेत्र के ग्रामों के शिक्षक अपने व्यवसाय के अन्य सम-वर्गियों के सम्पर्क में कम आ पाते हैं। वे विचारों के आदान-प्रदान का कोई अवसर नहीं पाते हैं। वे अपने ढंग से अपना समय बिताते हैं। यदि वे कभी मिलते भी हैं तो स्वेच्छा से कभी व्यावसायिक लाभ की बातचीत नहीं करते। अत: उचित होगा कि कभी कभी सुनियोजित कार्यक्रमों सहित शिक्षक सम्मेलन किये जायें जिनमें सामान्य लाभ व शिक्षा के विकास के संबंध में विचार विमर्श हो। साल में एक बार टूर्नामेंट होते हैं। इन सम्मेलनों में सम्मिलित होना प्रत्येक शिक्षक के लिये अनिवार्य होना चाहिये। यह भी विचारणीय है कि ये सम्मेलन केवल नाम मात्र के नहों। उनके कार्यक्रम कम से कम तीन दिन चलें।

(६) शिक्षक सम्मेलन बहुत ही कम होते हैं, परन्तु ब शिक्षकों को प्रतिदिन अपने कार्य में पथ-प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिये यह और भी अधिक आवश्यक है। केवल प्रशिक्षित अध्यापक ही अप्रशिक्षित अध्यापकों का पुस्तकों व पत्रिकाओं की भाँति पथप्रदर्शन कर सकते हैं। अत: प्रत्येक स्कूल में, हिन्दी भाषा में, शिक्षा सम्बन्धी कुछ पुस्तकें होनी चाहिये। दुर्भाग्यवश शिक्षण पर हिन्दी भाषा में बहुत कम पत्रिकाएं उपलब्ध हैं अत: हमको पुस्तकों का ही आश्रय लेना पड़ता है। कुछ सीमा तक सेवाग्राम की " नई तालीम " नामक पत्रिका प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लाभ की हो सकती है। प्रत्येक केन्द्रीय स्कूल के पुस्तकालय में शिक्षण पर यथोचित पुस्तकें होनी चाहिये।

(७) जहां पर सम्मेलन उपयोगी न हो सकें वहां रिफ्रेशर कोर्स शिक्षकों को सहायक होता है। शिक्षक सम्मेलन सभी शिक्षकों के लिये है, चाहे वे प्रशिक्षित हों या अप्रशिक्षित, परन्तु रिफ्रेशर कोर्स उन

अध्यापकों के ज्ञान को जागृत करता है जिन्होंने बहुत समय पहिले प्रशिक्षण प्राप्त किया था । पहिले जिलों में सहायक शाला निरीक्षक की देखभाल में रिफ्रेशर कोर्स जिले के भिन्न भिन्न केन्द्रों में होता था, परन्तु अब इसकी रीति कम हो गई है । वास्तव में रिफ्रेशर कोर्स सभी प्रशिक्षण विद्यालयों का एक अंग होना चाहिये ।

(८) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि एक ट्रेनिंग स्कूल जिले के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये अपर्याप्त है । अत: कम से कम एक और ट्रेनिंग स्कूल मैहर व नागौद तहसील में खुलना चाहिये । शिक्षा प्रसार के कारण शिक्षकों की संख्या में वृद्धि होती जा रही और प्रशिक्षण की कमी से अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत बढ़ेगा ।

(९) प्रायमरी स्कूल शिक्षके के पद के लिये उत्तम व योग्य लोगों को आकर्षित करने के लिये उनकी वेतन श्रेणी अच्छी होनी चाहिये । हमारी मध्यप्रदेश सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और अब प्रायमरी स्कूल शिक्षकों के वेतन पहिले से बहुत उन्नत हो गये हैं ।

(१०) यदि और अधिक ट्रेनिंग स्कूल खोलना संभव नहीं तो तब तक ऐसी योजना बनाई जाये कि अस्थायी तौर पर कुछ ऐसे ट्रेनिंग स्कूल खोले जायें जिनमें छ: मास की अवधि में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राइमरी स्कूल शिक्षकों को दिया जा सके । लगभग आधा दर्जन ऐसे स्नातक शिक्षक जिन्होंने हाल में ही प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, १०० शिक्षकों के समुदाय को प्रशिक्षण दे । वे दिन के समय शिक्षण कार्य पर ध्यान दें और सुबह और शाम सैद्धांतिक शिक्षण कला सिखायें । ऐसे स्कूल किसी हाई स्कूल भवन में ही स्थापित किये जा सकते हैं । परन्तु शिक्षकों के ठहरने के लिये कुछ अन्य व्यवस्था करनी होगी ।

अत: यदि हम शिक्षा के स्तर को उन्नत करना चाहते हैं तो शिक्षकों की योग्यता सम्बन्धी समस्या पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये । शिक्षकों में प्रशिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों व अध्यापिकाओं के वेतन श्रेणी अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं व अध्यापकों से अधिक रखे जायें ।

साक्षात्कार तथा प्रश्नपत्रों के उत्तरों में शिक्षकों की योग्यता में कमी रहने के कारणों और सुधार हेतु सुझावों के मतों का सांख्यिकी विवरण ।

क्रम संख्या	कारण	कुल मतों की संख्या।	विभिन्न प्रश्नों पर मत प्राप्ति की संख्या ।	प्राप्त मतों का प्रतिशत
१-	ट्रनिंग स्कूलों की संख्या अपर्याप्त	५०	२०	४० प्रति०
२-	योग्यता बढ़ाने पर शिक्षकों की पदोन्नति हो जाने से अप्रशिक्षितों की नियुक्ति ।	५०	२०	४० प्रति०
३-	प्रशिक्षत होने में वेतन श्रेणी न बढ़ने से रुचि में कमी ।	५०	१५	३० प्रति०
४-	अच्छा पद पा लेने पर योग्य शिक्षकों द्वारा त्यागपत्र ।	५०	१५	३० प्रति०
५-	स्त्री शिक्षिकायें बाहर नहीं जाना चाहतीं ।	५०	२५	५० प्रति०
६-	शिक्षक पद पर वे लोग आते हैं जो अच्छा पद नहीं प्राप्त कर पाते हैं ।	५०	३०	६० प्रति०
७-	शिक्षा स्तर गिरने से योग्य शिक्षक नहीं मिलते	५०	२०	४० प्रति०
	सुझाव			
१-	शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाय	५०	३०	६० प्रति०
२-	अप्रशिक्षित अध्यापकों की पुनर्नियुक्ति के लिये प्रतिद्वन्दात्मक परीक्षा हो ।	५०	२०	४० प्रति०
३-	शिक्षकों को विशेष प्रमाणपत्र दिये जायें ।	५०	२० ४	४० प्रति०
४-	पांच वर्ष सेवाकाल के बाद प्रशिक्षण हेतु भेजे जायें और प्रशिक्षण आयु बढ़े ।	५०	१५	३० प्रति०
५-	शिक्षकों के सम्मेलन हों	५०	२५	५० प्रति०
६-	उपयुक्त पुस्तकें पढ़ने को दी जायें	५०	२०	४० प्रति०
७-	रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था हो ।	५०	३०	६० प्रति०
८-	उत्तम शिक्षक प्राप्त करने हेतु उनकी वेतन श्रेणी बढ़े	५०	३५	७० प्रति०
९-	स्पेशल ट्रनिंग कक्षाओं की व्यवस्था ।	५०	१५	३० प्रति०

अध्याय - ६

शाला - भवन

यह सच है कि जब तक हम भारत से निरक्षरता को दूर करने के लिये प्रयत्नशील हैं हम अच्छे शाला भवनों की प्रतीक्षा नहीं कर सकते । परन्तु यह कहना तभी ठीक होगा कि जब हम शिक्षा प्रसार के उन्नत कार्य में एड़ी चोटी से लगे हों । हमारे जिले में ऐसी कोई बात नहीं है । नये स्कूलों के खुलने की प्रगति बहुत धीमी है । नये स्कूलों का, जो प्रति वर्ष खुलते हैं, आर्थिक भार सरकार पर है और जैसा कि विकास योजना १३३ में प्रावधान है, इन नये स्कूलों के लिये शाला भवनों का प्रबन्ध ग्रामों द्वारा होना चाहिये । अत: इन स्कूलों के भवनों का प्रबन्ध ग्रामीण जनता शीघ्रातिशीघ्र करे, यह देखना ग्राम व जनपदा का कार्य है । जनपद सभा व ग्राम सभा को यह भी देखना चाहिये कि ये शाला भवन उचित स्थान में हो तथा आवश्यकत सामग्री से परिपूर्ण हो ।

स्थान व सामग्री की समस्या जनपद स्कूलों में और अधिक कठिन है, जहाँकि एक बड़े क्षेत्र व बड़ी समस्या में स्कूलों का प्रबन्ध, प्रबन्ध समिति को करना पड़ता है । और अन्य प्रबन्धों की अपेक्षा आर्थिक प्रश्नों को हल करना अधिक कठिन है ।

अब पहले हम आँकड़ों के द्वारा स्कूलों के भवनों का निरीक्षण जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार तथा साक्षात्कार में प्रकट हुए विचारों के अनुसार करेंगे ।

तालिका क्रमांक १५

प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निरीक्षण

स्कूल	स्कूलों के निजी व सरकारी भवन।	किराये के भवनों की संख्या।	जनता द्वारा दिये हुए भवनों की संख्या	योग	भवन आवश्यक।
७२२	३८६	२	३३४	७२२	-

जैसा कि पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि भरती की प्रगति धीमी है और वे भवन जो सरकारी हैं अब उनमें छात्रसंख्या को देखते हुए स्थान की कमी नहीं होती । ग्रामों के अधिकांश शाला भवनों में मध्य में एक बड़ा कमरा होता है और उसके चारों ओर बरामदा । बड़े कमरे में दो कक्षायें लगती हैं और २ व ३ आवश्यकतानुसार चारों ओर बरामदों में । नगरों के स्कूलों में स्थान का प्रावधान इनसे अच्छा है । दूसरी ओर बहुत से शाला भवन किराये के हैं या जनता द्वारा दिये गये हैं । ऐसे भवन स गुण व दशा में दूसरी बात प्रकट करते हैं जब । वे ग्रामों के आन्तरिक भाग में किसी जगह पर होतेते हैं जिनकी दीवालें टूटी फूटी, फर्श गन्दा, स्वच्छता व प्रकार रहित होते हैं । इनमें धूप व वर्षा से बचाव नहीं होता । ईश्वर ही जाने, ऐसे शाला भवनों में बालकों के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक गुणों का विकास किस प्रकार सम्भव है । साक्षात्कार में प्रधानाध्यापकों ने जो विचार प्रकट किये उससे ज्ञात होता है कि भवनों की दशा सन्तोषप्रद नहीं है ।

जैसा कि ऊपर की तालिका से प्रकट है ऐसे कियाये के व जनता द्वारा दिये हुए भवनों की संख्या ३३६ है जो कुल भवनों की संख्या के लगभग ४३ प्रतिशत है । ऐसे भवन अंधेरे तथा अस्वास्थ्यप्रद होते हैं ।

साक्षात्कार में प्रधानाध्यापकों द्वार प्रकट विचारों के अनुसार:-

ग्रामों में चौपालों में या किसी पुराने मकान के कोठे में ये स्कूल लगते हैं । कहीं कहीं तो मवेशी स्थानों ही की सफाई कराकर उन्हें शाला भवन के लिये प्रयोग में लाया जाता है । इनमें दिन में भी भली म प्रकार प्रकाश नहीं पहुंचता है । यह दशा केवल नये खुलने वाले स्कूलों की ही नहीं है वरन् अनेक ऐसे स्कूल जिन्हें खुले कई वर्ष हो गये, उचित भवनों से हीन हैं ।

कुछ ग्रामों में स्कूलों के निज के भवन हैं । इनमें स्थान की समस्या भी अधिक जटिल नहीं है क्योंकि भरती की प्रगति धीमी है । परन्तु फिर भी इनमें मरम्मत व चारदीवारी की आवश्यता है ।

उन प्रायमरी शालाओं को छोड़कर जो मिडिल स्कूलों से संलग्न हैं, ग्रामों में बहुत कम प्रायमरी स्कूलों में खेल के मैदान हैं ।

जहाँ तक नगरों के स्कूलों का प्रश्न है, वहाँ भी स्थान की कमी है । जब इन स्कूलों में कमरे आदि अधिक हैं, इनके भवन ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा बड़े हैं । तो यहाँ पर भरती की प्रगति उन्नत है और यहाँ भी छात्राओं की संख्या के कारण स्थान की कमी है । खेल के मैदान तो नगरों के भी अधिकांश प्रायमरी स्कूलों में नहीं हैं ।

अब हम स्थान व भवन की समस्याओं के मुख्य कारणों पर विचार करेंगे ।

(१) बहुत से शाला भवन बहुत पहले बनाये गये थे जबकि भरती की संख्या इतनी अधिक नहीं थी । विशेषकर नगरों के स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ जाने से शाला भवन में छात्रों व छात्राओं की बढ़ी हुई संख्या के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है । उदाहरण के लिये सतना शहर का गर्ल्स स्कूल पहले इसी भवन में बालिका प्रायमरी स्कूल था फिर वहीं स्कूल क्रमश: मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में उन्नत हो गया और अब हायर सेकण्डरी स्कूल है । प्रायमरी स्कूल अब भी उसमें संलग्न है तथा छात्राओं की संख्या प्रायमरी भाग, मिडिल व हायर सेकण्डरी सभी में बढ़ गई । स्वभावतया स्थान की अतिशय कमी है । स्कूल दो शिफ्ट में लगता है, फिर भी स्थान की आवश्यकता है ।

(२) मकानों के मूल्य रूप में कीमत बढ़ गई है, सामान मंहगा हो गया है । स्थानीय संस्थायें तथा निर्माण विभाग फंड की कमी होने से निर्माण कार्य की ओर उदासीन हैं ।

(३) मरम्मत व पुताई का कार्य भी उपेक्षित है, फलस्वरूप भवनों की दशा खराब होती जा रही है । कहीं कहीं तो यह स्थिति है कि भवनों की दशा कष्टप्रद तथा भयकारक बन गई है ।

(४) अधिकांश नगरों व ग्रामों के स्कूलों की चारदीवारी नहीं है और कुछ की खराब हो जाने से गिर गई है ।जानवर अन्दर घुसकर फर्श ही नहीं वरन् सामान भी नष्ट कर देते हैं ।

(५) जब किसी ग्राम में जनता की प्रार्थना पर १३३ की योजना के अनुसार स्कूल खोले जाते हैं तो वहां की जनता को एक निश्चित अवधि भवनों के निर्माण के लिये दी जानी चाहिये । लेकिन वास्तव में बहुत से ग्रामों में योजना के अनुसार स्कूल खोल दिये जाते हैं परन्तु वे दो एकड़ भूमि देने के शर्त के बात व भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी के विषय में बिल्कुल नहीं जानते । कारण यह है कि बहुत से सार्वजनिक कार्यकर्ता चुनाव में अधिक वोट पाने के लिये अधिकारियों को भवन बनवाने का अपने उत्तरदायित्व पर विश्वास दिलाकर स्कूल खुलवा देते हैं ।

(६) ऐसे भी उदाहरण हैं जहां राजनीतिक कार्यकर्ता शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीणों को स्कूल खुलवाने के लिये प्रार्थनापत्र देने को बहकाते हैं और उन्हें समझा देते हैं कि जहां एक बार स्कूल खुल गया, सरकार स्वयं भवनों का प्रबन्ध करेगी । जनता का कोई उत्तरदायित्व न होगा ।

(७) जहां १३३ की योजना के अनुसरा ग्रामीण जनता ने स्कूल बनवाये हैं वहां भी अधिकांश पुराने ढंग के बने हैं । ऐसे भवन में स्थानों व प्रकाश आदि की व्यवस्था भी उचित नहीं होती और वे आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं करते ।

(८) ग्रामों में स्कूलों के पास की भूमि रहने के मकान बनवाने के उपयोग में ले ली जाती है जिससे मालगुजारी बिल लागू न हो सके और इस प्रकार स्कूलों के लिये खेल का मैदान नहीं बचता तथा वे घिर जाते हैं ।

अब हम इन दोषों को दूर करने के लिये कुछ सुझावों पर विचार करेंगे ।

(१) शिक्षा के प्रसार के लिये प्रान्तीय सरकार ग्रामों व नगरों में योजना नं० १३३ के अनुसार प्रत्येक जिले में अनेक स्कूल खोल रही है । ऐसे नये स्कूलों को खोलने की आज्ञा बड़ी देर या सत्र शुरु होने के निकट मिलती है । फलस्वरूप शाला निरीक्षक, जनपद सभा व ग्राम सभा को ग्रामीणों से शर्त पूरी करने का प्रार्थनापत्र लेने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिलता । निर्देश

के अनुसार ऐसे स्कूल जुलाई के प्रथम सप्ताह में खोलने होते हैं। फलस्वरूप कुछ ही ग्रामों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर ही निर्भर रहने तथा कुछ जनपदों व ग्राम सभाओं की जोकि अपने क्षेत्र के विकास के लिये उत्तरदायी हैं। सलाह पर निर्भर होने के अतिरिक्त अधिकारियों के सामने अन्य कोई मार्ग नहीं होता, जिससे कि बहुत से ग्राम वंचित रह जाते हैं चाहे उन्हीं ग्रामों में शालाओं की अधिक आवश्यकता क्यों न हो तथा स्थानीय उत्साह भी हो। जिला शाला निरीक्षक को निरीक्षण का भी समय नहीं रहता और उन्हें लाचार होकर जनपदसभा व ग्राम सभाओं द्वारा दी हुई सूचि को ही स्वीकृति देनी पड़ती है और वास्तव में यह स्वीकृति कभी स्कूल खुलने के बाद दी जाती है। ग्राम सभा व जनपदा सभा के अधिकारी सूची में अपनी रुचि के ग्रामों का नाम देते हैं। इस दशा में हम ग्रामीणों से स्कूल भवन शीघ्र प्रदान करने की आशा नहीं कर सकते न उनसे यही आशा कर सकते हैं कि वे भवन उचित ढंग के निर्माण करेंगे। वे इस बात को भी जानते हैं कि जब एक बार किसी ग्राम में स्कूल खुल जाता है तो जनपद व ग्राम सभा उसको दूसरे ग्रामों में नहीं हटायेगी क्योंकि इससे जनपद सभा के कौंसिलरों की प्रतिष्ठा में धक्का लगेगा और वे चुनावों में मत न मिलने का खतरे की बात नहीं उठायेंगे। इसलिये ऐसे स्कूलों के खुलने की आज्ञा उचित समय पर मिलनी चाहिये जिससे जनपद व ग्राम सभा और शाला निरीक्षकों को प्रार्थना पत्रों पर विचार करके ग्रामों को उचित ढंग से चुनने के लिये पर्याप्त समय मिल सके।

(२) विकास योजना १३३ के अनुसार खुले हुए स्कूलों में से अधिकांश स्कूल खुल जाने के बाद भी भूमि व भवन की शर्त पूर्ण होने के प्रश्न पर खींचा-तानी चलती रहती है और शिक्षकों की शक्ति व सरकारी धन की व्यर्थ में क्षति होती है। इसलिये जनपद व ग्राम सभा को ऐसे स्कूल जिला शाला निरीक्षक के सुझाव के अनुसार तुरन्त दूसरे ग्रामों में हटा देने चाहिये। जिला शाला निरीक्षक को अपना सुझाव सहायक जिला शाला निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार देनी चाहिये।

(३) जब कभी विकास योजना १३३ के अनुसार किसी नये स्कूल को खोलने की स्वीकृति दी जाय तो शिक्षक के साथ ही शाला भवन के आकार तथा स्तर की एक निश्चित रूपरेखा ग्रामीणों के पथ प्रदर्शन के लिये जानी चाहिये या उत्तम होगा यदि स्कूल खेलने के पहले ही शाला भवन की रूपरेखा ग्रामीण जनता के मार्ग प्रदर्शन को भेजी जाय । इस विधि से शाला भवन दोषों से रहित तथा उपयुक्त बन सकेंगे ।

(४) जब कोई ग्राम नये स्कूल खुलने के लिये चुन लिया जाय तो पहले वहां सहायक जिला शाला निरीक्षक को जाकर स्थानीय पटवारी की सहायता से स्थान को देखना चाहिये और निर्माण की योजना की स्वीकृति दी जानी चाहिये । ऐसे मामले में सहायकजिला शाला निरीक्षक को आबादी भूमि में से जो पहले मालगुजार के अधिकार में थी और अब सरकारी है, स्थान चुनने का अधिकार होना चाहिये क्योंकि कुछ गांवों में लोग स्कूल भवन के लिये ऐसी भूमि देते हैं जोकि प्रयोग के बिलकुल अनुपयुक्त होती है । ऐस मामले में, जहां स्कूल भवन के लिये उपयुक्त स्थान आबादी भूमि में ही हो, ग्रामीण लोग बदले में उतना ही क्षेत्र अन्य स्थान पर दे दें ।

(५) कुछ गांव स्कूल के लिये अच्छे भवन लकड़ी की कमी के कारण नहीं बनवाते क्योंकि भवन निर्माण में यही सबसे मंहगी वस्तु है । ग्रामीण लोग श्रमदान को तत्पर रहते हैं परन्तु अभाव के कारण लकड़ी नहीं खरीदी जा सकती और भवन बनना कठिन हो जाता है । इसलिये जिले के अधिकारियों को चाहिये कि वे उन्हें वन विभाग से बिना मूल्य के लकड़ी दिलवाने में सहायता दें । इस प्रकार जब लकड़ी सुगमता से बिना मूल्य के मिल जायेगी तो किसी भी कारण से फिर ग्रामीण भवन निर्माण में पीछे न रहेंगे ।

(६) सभी स्कूलों में बाहर चारों ओर चार दीवारी अवश्य होनी चाहिये जिससे जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचने से बचत हो सके ।

(७) हमारे संविधान में दस वर्ष की अवधि में सार्वजनिक शिक्षा देने का निश्चय है । यह एक लम्बी अवधि है । शाला भवन व स्थान की समस्या का इस अवधि में बढ़कर आज से तीन गुनी अधिक कठिन हो जाना

सम्भव है । इस कठिनाई से हमारे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर और भी निम्न हो जाने का भय है । इसलिये अच्छा है कि हम अभी से भविष्य की तैयारी करें । इस विषय में पंचायत विभाग बहुत कुछ कर सकता है । पंचायत निमय के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक चौपाल बनवाना अनिवार्य होना चाहिये, जहां सभायें हो सकें, सामान्य उत्सव मनवाये जा सकें, बाहर के अतिथि ठहर सकें, शादी व्याह में बारात आदि ठहर सकें और आवश्यकता पड़ने पर यही चौपालें स्कूल भवन के उपयोग में लाई जा सकें ।

(८) शाला भवन के लिये किराये पर भी स्थान लिया जा सकता है। अब भी कुछ स्कूल किराये के भवनों ही में लगते हैं ।

(६) कुछ स्कूलों में जहां छात्रों की संख्या अधिक हो तथा स्थान की कमी हो दो शिफ्ट चलाई जायें ।

(१०) धार्मिक स्थान भी जैसे मन्दिर आदि सामान्य हित में उपयोग में लाये जा सकते हैं ।

साक्षात्कार व प्रश्नपत्र के उत्तरों के अनुसार स्थान वशाला भवन की समस्या के कारण व सुधार हेतु सुझावों का सांख्यिकी विवरण ।

क्रम संख्या	कारण	प्रश्नपत्रों के १०० उत्तरों के अनुसार प्राप्त मत ।	साक्षात्कारित ५० मतों के अनुसार प्राप्त मत ।	प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत
१-	शाला भवन पुराने होने से स्थान की कमी	५०	३०	५३ प्रति०
२-	सामान मंहगा हो जाने से संस्थायें निर्माण कार्य में उदासीन हैं ।	४०	२०	४० प्रति०
३-	मरम्मत व पुताई नहीं होती	१०	३०	२६ प्रति०
४-	चारदीवारियों की मरम्मत नहीं हुई	-	२१	१४ प्रति०
५-	ग्रामों में ग्रामीण जनता भवन निर्माण में अपना कर्तव्य पूरा नहीं करती ।	-	२२	१५ प्रति०

६- नेताओं द्वारा जनता को बहकाना कि राज्य सरकार स्वयं भवन बनायेगी ।	-	२४	१६ प्रति०
७- प्रकाश व स्थान की ग्रामीण स्कूलों में कमी	५०	३०	५३ प्रति०
८- शालाओं में खेल के मैदानों की कमी	५०	३०	५३ प्रति०

सुझाव

१- नये स्कूल खोलते समय स्थान व अन्य बातों का ध्यान रखा जाय ।	-	२४	१६ प्रति०
२- आवश्यकता पर स्कूल एक ग्राम से दूसरे ग्राम को हटा दिये जायें ।	-	३०	२० प्रति०
३- नये स्कूल खोलने के पहले ग्राम जनता को भवनों की रूपरेखा भेज दी जाय ।	-	२४	१६ प्रति०
४- नये स्कूल खोलते समय सह शाला निरीक्षक स्थान को देखकर चुनाव करें ।	-	३०	२० प्रति०
५- शाला भवन निर्माण हेतु वन विभाग से सस्ती लकड़ी दिलाई जाय ।	-	४०	२६ प्रति०
६- ग्राम पंचायतों को चौपाल बनाना अनिवार्य हो जिससे आवश्यकता पर वहां स्कूल लग सके ।		४०	२६ प्रति०
७- शाला भवन किराये पर लिये जायें ।	२०	३०	२० प्रति०
८- दो शिफ्ट चालू की जायें ।		३०	२० प्रति०
९- धार्मिक स्थान मन्दिर आदि को भी कार्य में लिया जा सकता है ।		१०	७ प्रति०

अध्याय - ७

पाठन व अन्य सामग्री

सतना जिले में सामान की कमी की शिकायत लगभग सभी स्कूलों को है। जिन जिन प्रधानाध्यापकों से मैं मिली सबको यही शिकायत थी कि सामान नहीं मिलता। यद्यपि प्रश्नपत्रों में भय के कारण उन्होंने स्पष्ट संकेत नहीं किया फिर चूंकि मैं स्वयं अध्यापिका हूं और शहर के लगभग सभी स्कूलों में व्यक्तिगत रूप से जाकर देखा है सामान की कमी प्रत्येक स्कूल में मैंने पाई।

मैंने बड़े बड़े अच्छे शिक्षकों का शिक्षण कार्य देखा जिन पर हमारे जिले को गर्व होना चाहिये परन्तु मैंने स्वयं यह अनुभव किया कि यदि नक्शे, चार्ट आदि आवश्यकतानुसार होते तो पाठ और सुन्दर होता।

प्रश्नपत्र के उत्तर १५० स्कूलों से प्राप्त हुए जिनमें से कुछ स्कूल अपनी आवश्यकता के विषय में चुप हैं। मैं उनमें से कुछ के प्रधानाध्यापकों से मिली तो उन्होंने बताया कि यद्यपि हमारे पास सामान की कमी है परन्तु उसको लिखने से कहीं अधिकारी वर्ग बुरा न मानें, इसलिये उन्होंने इस बात का संकेत प्रश्नपत्रों में नहीं दिया। कुछ ने अपनी आवश्यकता के विषय में लिखा है। हम नीचे तालिका में ऐसे स्कूलों का प्रतिशत निकालेंगे जिन्हें सामान की कमी है। विचार कर सकते हैं कि पाठन सामग्री के बिना शिक्षण कार्य किस भांति व्यर्थ व निष्प्रभ हो जाता है। वे आवश्यक सामग्री के बिना अपनी शिक्षण पद्धति को शास्त्रीय विधि से नहीं चला सकते। वे बैठने की सामग्री कुर्सी व मेज के बिना भी अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति नहीं कर सकते।

प्रश्नपत्रों के उत्तरों में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्न सामग्री स्कूलों में कम है।

तालिका क्रमांक १६

स्कूलों की संख्या का प्रतिशत जिसमें सामग्री की कमी है।

सामग्री	जिन स्कूलों में सामग्री की आवश्यकता है उनका प्रतिशत।	आवश्यक सामग्री की प्रति स्कूल समीपतर औसत संख्या।
टाटपट्टी	३६ प्रतिशत	३
डेस्क	७० प्रति०	१०
कुर्सी	६१ प्रति०	४
मेज	५० प्रति०	२
आलमारी	७८ प्रति०	१
घड़ी	६१ प्रति०	५
लोटा	२६ प्रति०	५
बाल्टी	३५ प्रति०	८
श्यामपट	५५ प्रति०	५
नक्शे	३० प्रति०	१
चार्ट	२८ प्रति०	२
डस्टर	५२ प्रति०	२.५
प्वाइन्टर	६५ प्रति०	२
चाक	३० प्रति०	२ डिब्बे
पाठ्यपुस्तकें	५२ प्रति०	२ सेट
कुदाली	६५ प्रति०	१
फावड़ा	६५ प्रति०	१
रम्भा	६५ प्रति०	१
फव्वारा	६५ प्रति०	१.५

प्रायमरी स्कूलों में तीनों मुख्य विषयों में से भूगोल मुख्य विषय है और भूगोल का शिक्षण नक्शे के बिना अधूरा है। अन्य विषय भी चार्ट आदि के बिना उत्तम विधि से नहीं पढ़ाये जा सकते हैं। परन्तु

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से प्रकट है ३० प्रतिशत व २८ प्रतिशत स्कूलों में नक्शे, चार्ट आदि की कमी है। ग्रामीण स्कूलों में घड़ी के द्वारा ही उपस्थिति व कार्य में नियमितता लाई जा सकती है। परन्तु ६१ प्रतिशत स्कूलों में घड़ी की कमी है और शिक्षक अन्दाज से समय डालते व घण्टा बजवाते हैं। शिक्षक इस गलती को अनुभव करते हुए भी सुधार नहीं सकते। ३९ प्रतिशत स्कूल टाट-पट्टी और ५५ प्रतिशत स्कूल श्यामपट के बिना अपना कार्य कैसे चलाते हैं, ईश्वर ही जाने। चाक पाठ्यपुस्तकें, कुर्सी, मेज आदि के बिना उत्तम शिक्षण होना कल्पना के परे है। फिर भी ५२ प्रतिशत से ७० प्रतिशत तक स्कूलों में इसकी पूर्ति नहीं है। ग्रामीण स्कूलों में जहाँ बागवानी आदि सिखाना अति आवश्यक है कुदाली फावड़ा आदि की कमी से यह क्रियाएं कैसे सिखाई जा सकती हैं। खेल-कूद आदि भी खेल सामग्री के अभाव में उत्तम प्रकार से नहीं हो सकते। नए स्कूलों में तो पुराने स्कूलों की अपेक्षा सामग्री की और अधिक कमी है। इन नए स्कूलों के लिये प्रथम वर्ष प्रति स्कूल २०० रु० तथा अग्रिम वर्ष ११२ रु० की सरकारी अनुदान स्वीकृत है। परन्तु उनका उचित उपयोग न होने के कारण वह व्यर्थ होकर समाप्त हो जाता है।

अब हम संक्षेप में इन स्कूलों में सामान की कमी के मुख्य कारणों पर विचार करेंगे जिनके लिये साक्षात्कार में विचार विमर्श के समय प्रधानाध्यापकों व सह-शाला निरीक्षकों ने ५० प्रतिशत तक मत प्रकट किये।

(१) जनपद व ग्राम सभा अपने फंड से इन स्कूलों को सामान व आवश्यक सामग्री देने की ओर से उदासीन हैं तथा इसका उत्तरदायित्व पूर्णतया सरकार पर डालती है।

(२) जो सरकार द्वारा इन नए स्कूलों में सामान के लिये धन राशि मिलती भी है उसके द्वारा भी उचित सामग्री का उचित विवरण नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे जिले में केन्द्र प्रणाली है। इन स्कूलों में सामान वितरण केन्द्र स्कूलों द्वारा होता है। केन्द्र स्कूलों के प्रधानाध्यापक जिला निरीक्षक के यहां से सामान लेकर इन स्कूलों में

वितरण करते हैं । परन्तु अधिकतर यह वितरण पक्षपात पूर्ण हो जाता है । केन्द्र स्कूलों के प्रधानाध्यापक अपने रुचि के स्कूलों में सामान देकर अन्य स्कूलों की ओर से उदासीन रहते हैं ।

(३) आन्तरिक भागों के स्कूलों में सामान भेजने का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है । जनपद व ग्राम सभा के सदस्यों की रुचि के स्कूल तथा ऐसे स्कूल जिनके प्रधानाध्यापक केन्द्र स्कूल के प्रधानाध्यापक के मेल के हैं, आवश्यकतानुसार सामान पा जाते हैं शेष का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है । इस प्रकार इस पक्षपात पूर्ण सामान वितरण के कारण भी बहुत से स्कूलों की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है ।

(४) सह शाला निरीक्षकों की यह सामान्य शिकायत है कि सामान वितरण के समय सैद्धान्तिक व सांख्यकी दिखावे पर अधिक ध्यान दिया जाता है और हम लोगों की रिपोर्ट में आवश्यकता के अनुसार दिये हुए निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

(५) ऐसे शिक्षक बहुत कम हैं जो सहायक सामग्री तैयार करने में रुचि लेते हों और वास्तव में यदि देखा जाये तो न तो वे कलात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और न वे स्वयं के प्रयत्न के द्वारा अपने पाठों को रुचिकर व उत्तम बनाने में रुचि लेते हैं ।

यदि निम्नलिखित सुझावों का सही व उचित रूप में प्रयोग किया जाये तो प्राइमरी स्कूल में सामग्री की कमी की अवस्था में कुछ सीमा तक सुधार हो सकेगा ।

(१) जिला शाला निरीक्षकों को चाहिये कि वे डिप्टी जिला निरीक्षकों की डायरी की सहायता से जनपद के अनुसार व केन्द्र के अनुसार आवश्यकतों की एकत्रित सूची तैयार करवायें और फिर केन्द्र द्वारा प्रेषित सूची मे मिलान करके निश्चय करें कि सरकारी अनुदान से किस सीमा तक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और तब आवश्यकतानुसार वितरण करें । विकास योजना के अन्तर्गत स्कूलों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये । यह सूची जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही तैयार करके

निश्चित कर देनी चाहिये और फिर केन्द्रों को सामान देकर समय पर वितरण करा देना चाहिये जिससे मार्च के अन्तर में सरकारी धन समाप्त (LAPSE) न हो जाय। डिप्टी जिला निरीक्षक की डायरी के अनुसार आवश्यकताओं को महत्ता मिलनी चाहिये। आर्थिक सत्र समाप्त होने के पहले सरकारी धन का अधिक से अधिक उपयोग करने का संभावित प्रयत्न करना चाहिये।

(२) स्कूल शिक्षा व निर्देश के लिये खोले जाते हैं और सह शिक्षा निरीक्षक इसके सही सलाहकार होते हैं। परन्तु यदि देखा जाये तो उनके निरीक्षणों की रिपोर्ट की कापी पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उन पर कार्य करने की कौन कहे वास्तव में वे पढ़ी भी नहीं जाती हैं। सम्बन्धित अधिकारियों की कार्य में रुचि जाग्रत करने हेतु उत्तम हो कि प्रत्येक मास की १५ तारीख को आवश्यकताओं की एकत्रित सूची जोकि सह शाला निरीक्षक ने अपनी गत मास की रिपोर्ट में दी हो, सम्बन्धित अधिकारियों से मांगी जाये तथा उन पर किये गये कार्य का अवलोकन किया जाये। सह शाला निरीक्षक को अपने द्वारा निरीक्षण किये हुए स्कूलों की आवश्यकताओं की रिपोर्ट जिला शाला निरीक्षक को भी प्रत्येक मास देनी चाहिये और उसे केन्द्र के प्रधानाध्यापकों को उनकी पूर्ति हेतु आदेश देना चाहिये।

(३) कुछ ऐसे शिक्षक भी होते हैं जिनका दृष्टिकोण अति कलात्मक होता है और यदि उन्हें आवश्यक सामग्री दी जाये तो वे ग्रीष्मावकाश में प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं के लिये आवश्यक सामग्री तैयार कर सकते हैं। इस सम्बन्ध का व्यय क्षेत्र के स्कूलों के आकस्मिक व्यय के लिये स्वीकृत धन से दिया जा सकता है। सहायक सामग्री के तैयार हो जाने पर केन्द्र के प्रधानाध्यापकों को चाहिये कि वह सम्बन्धित सह शिक्षा निरीक्षक के निर्देशानुसार सभी स्कूलों में उचित रूप से वितरण कर दे।

(४) टूर्नामेंट के समय शिक्षकों द्वारा तैयार की हुई सहायक सामग्री व सजावटपूर्ण सामान की प्रतियोगिता होनी चाहिये। विजयी को पुरस्कार रूप में वेतन में वृद्धि या पदक तथा प्रमाणपत्र आदि मिलने चाहिये।

इस प्रकार के प्रतियोगिता में सम्मिलित की हुई सामग्री सह शाला निरीक्षक की स्वीकृति के पश्चात् आवश्यकता वाले स्कूलों में वितरण कर देनी चाहिये ।

साक्षात्कार में पाठन व अन्य सामग्री की कमी के सम्बन्ध में साक्षात्कार के समय व्यक्त मतों का सांख्यिकी विवेचन ।

क्रमांक	कारण	साक्षात्कारित व्यक्तियों की संख्या ।	मतों की संख्या ।	प्रतिशत
१-	जनपद व ग्राम सभा का सहयोग नहीं है	५०	३०	६० प्रति०
२-	वितरण के समय निष्पक्षभाव व आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा जाता ।	५०	३०	६० प्रति०
३-	आन्तरिक क्षेत्रों के स्कूलों के प्रति उदासीनता	५०	४०	८० प्रति०
४-	वितरण के समय सिद्धान्त व दिखावे का ध्यान रखा जाता है ।	५०	२५	५० प्रति०
५-	पाठ्यसामग्री के तैयार करने में शिक्षकों की उदासीनता ।	५०	२०	४०
६-	सुझाव			
१-	वितरण के समय सह शाला निरीक्षक की रिपोर्ट पर विशेष ध्यान ।	५०	२५	५० प्रति०
२-	आन्तरिक क्षेत्र के स्कूलों में भी सामग्रीसमय पर पहुंचाने हेतु वितरण में विशेष ध्यान व शीघ्रता की जाय ।	५०	३०	६० प्रति०
३-	शिक्षकों को सामग्री बनाने के लिये प्रोत्साहन व आवश्यक धन दिया जाये ।	५०	४०	८० प्रति०
४-	शिक्षकों में प्रतियोगिता हेतु उनके सामान की प्रदर्शनी हो ।	५०	४०	८० प्रति०

अध्याय - ८

(अ) सह-पाठ्यक्रियाएं

जैसा कि प्रश्नपत्रों के उत्तरों से ज्ञात होता है ऐसे बहुत कम स्कूल हैं जिनमें सह पाठ्यक्रियाएं यथोचित ढंग से होती हैं। बालकों की सभायें होती हैं परन्तु जैसा कि प्रधानाध्यापकों ने बताया तथा स्वयं भी अपने नगर के स्कूलों में देखती हूं बहुत कम शिक्षक रुचि पूर्ण ~~हृदय से~~ हृदय से काम करते हैं। ये सभाएं बालकों की मानसिक जागृति व सांस्कृतिक ज्ञान में बहुत लाभप्रद हो सकती हैं परन्तु इनका उचित रूप से संचालन न होने से कोई लाभ नहीं होता। जहां तक स्काउटिंग, गर्ल्स गाइडिंग आदि का प्रश्न है प्रशिक्षित शिक्षक न होने के कारण २ प्रतिशत स्कूलों में भी भली भांति नहीं होतीं। मैंने निरीक्षण रिपोर्ट में इससे सम्बन्धित नोट को जानने का प्रयत्न किया पर बहुत थोड़े प्रायमरी स्कूलों के विषय में इससे सम्बन्धित विवरण था। पर्यटन आदि भी धन व असुविधाओं के कारण नहीं होता। जैसा कि भव नके अध्याय में वर्णन हो चुका है अनेकों स्कूलों में खेल के मैदान ही नहीं तो खेल कूद का होना तो स्वप्न की ही बात है। केवल जिले के खेल प्रतियोगिता के समय ही या कोई विशेष दिन जैसे २६ जनवरी आदि के दिन ही खेल होते हैं। ऐसा लगता है शिक्षकों की इस ओर रुचि नहीं है। ऐसा लगता है निरीक्षण अधिकारी वर्ग भी इस ओर उदासीन हों। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वर्ष में एक बार केवल सरस्वती पूजन के दिन या वार्षिक उत्सव पर ही होते हैं।

इन क्रियाओं की आवश्यकता तथा महत्ता से हम सभी परिचित हैं। अतएव निरीक्षण वर्ग को चाहिये कि वे इस ओर रुचि लें। शिक्षकों को इसके सम्बन्ध में उचित निर्देश दें तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में इसके विषय में टिप्पणी दें। जिन स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं है वहां यथा सम्भव आवश्यक सामग्री पहुंचाने का प्रबन्ध करें। जिस प्रकार निरीक्षक वर्ग शिक्षण कार्य आदि का निरीक्षण करते हैं उतनी ही महत्ता यदि वे अपने निरीक्षण में इन क्रियाओं को भी दें तो निश्चय है कि शिक्षक व शिक्षिकायें इस ओर रुचि लेंगे। उन्हें देखना चाहिये कि

निम्न समय चक्र में एक घण्टा खेल कूद के लिये अवश्य हो । साथ ही यह भी देखें कि व केवल सैद्धांतिक रूप से ही न हो । ऐसा न हो कि बालकों को स्वयं खेलने को छोड़ दिया जाये और शिक्षक वर्ग उस घण्टे में बैठकर गप मारें । उन्हें देखना चाहिये कि शिक्षक व शिक्षिकायें स्वयं उपस्थित रहकर छात्र व छात्राओं को अनुशासनात्मक ढंग से खेलना सिखायें तभी उचित लाभ होगा ।

(ब) शारीरिक शिक्षा

स्वास्थ्य निरीक्षण:-

चूंकि जीवन में सफलता व देश की प्रगति नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर है यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है । आज के बालक व बालिकायें ही देश के भावी नागरिक हैं अत: इनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न देना देश के प्रति गद्दारी है । बचपन से ही बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य बड़े होने पर कठिनता से सुधरता है । अतएव इस स विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । जिले के सभी प्रायमरी स्कूलों में इस विषय की ओर से उदासीनता नहीं होनी चाहिये । इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय जिससे बचपन से ही बालकों का स्वास्थ्य खराब न हो तथा उनमें कोई रोग उत्पन्न न हो जाये । परन्तु यदि वास्तव में देखा जाये तो क्रियात्मक रूप से यह विषय उपेक्षित ही रहता है, विशेषकर ग्रामीण स्कूलों में ।

मैंने इस वर्ष जिले के खेल टूर्नामेण्ट में उपस्थित रहकर उसका अवलोकन किया तथा गत वर्षों के टूर्नामेण्टों के रिपोर्ट देखी जिससे पता चलता है कि जिले की खेलकूद टूर्नामेण्ट में खुलकूद का स्तर बहुत निम्न है और अलग अलग स्कूलों के प्रति वचन बहुत निम्न स्तर के होते हैं । ऐस बहुत कम स्कूल जिले में हैं जो टूर्नामेण्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं । फलस्वरूप सारा खेल कुछ ही स्कूलों के बीच होता है सभी में नहीं । जिले के प्रायमरी स्कूलों में बहुत कम अच्छे खेल के मैदान हैं । खेल सामग्री व

शारीरिक शिक्षा के सामान प्रबन्ध-कों द्वारा बहुत कम दिये जाते हैं। हो सकता है कि फंड की कमी के कारण ऐसा हो।

प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में सुन्दर बगीचे व मैदान होने चाहिये। ऐसे बहुत से देशी खेल व व्यायाम हैं जिनके लिये अधिक सामान व स्थान की आवश्यकता नहीं है। परन्तु शिक्षक व शिक्षिकाएं इतने सुस्त हैं कि वे स्वयं इस ओर कोई रुचि नहीं लेते। इसका कारण बहुत से अप्रशिक्षित शिक्षकों का झुंड भी हो सकता है जोकि व्यावसायिक निपुणता व उत्साह नहीं रखते।

अतएव प्रत्येक स्कूल में शारीरिक शिक्षा आदि होनी चाहिये। जोकि उत्तम व्यायाम है। दौड़, खो आदि खेल भी उत्तम व्यायाम व मनोरंजन करते हैं।

केवल खेल-व्यायाम द्वारा बालकों के स्वास्थ्य रक्षण ही नहीं किया जाना चाहिये वरन् कम से कम वर्ष में एक या दो बार छात्र व छात्राओं के स्वास्थ्य की चिकित्सक द्वारा जांच होनी चाहिये। इंग्लैण्ड, अमेरिका आदि देशों में छात्रों का स्वास्थ्य निरीक्षण अनिवार्य रूप से होता है परन्तु हमारे देश में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नगरों में तो अस्पताल होते हैं अत: यह जांच बहुत सुलभ है। परन्तु ग्रामों में भी वर्ष में एक बार निकटतम अस्पतालों के डाक्टरोंको बुलाकर जांच कराई जा सकती है।

शिक्षा संचालक को चाहिये कि वे स्वास्थ्य सचिव के द्वारा इस प्रकार का प्रपत्र निकालें जिसमें सभी जिला मेडिकल आफीसरों को अपने जिले के छात्र वा छात्राओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच वर्ष में एक बार करना अनिवार्य हो। जिला मेडिकल अधिकारी अपने अधीनस्थ डाक्टरों को उनके निकटतम स्कूलों के छात्र तथा छात्राओं की जांच करने की ड्यूटी लगा दें। इसके लिये डाक्टरों को विशेष भत्ता दिया जा सकता है। जब तक कि कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं होता है। जिला शाला निरीक्षक अपने व्यक्तिगत प्रभाव व मेल से डाक्टरों से मिलकर कम से कम नगरों के लिये इस प्रकार प्रबन्ध कर लें कि वे स्कूल में जाकर छात्रों

का स्वास्थ्य सम्बन्धी निरीक्षण कर लें। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभवी अध्यापकों द्वारा ही जाँच कराई जाय। जांच में यदि किसी बालक को कोई शिकायत मालूम पड़े तो अभिभावकों को सूचना दी जाय तथा उचित इलाज का सुझाव दिया जाय।

(ख) हस्तकला

बुनियादी शिक्षा के विषय में बताते हुए गान्धी जी ने कहा था - " हस्तकला (क्रा/५२) वह धुरी है जिसके चारों ओर अन्य विषय सितारों की भांति घूमते हैं। " इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि प्राइमरी शिक्षा का लक्ष्य " ३R " के स्थान पर " ३h " होना चाहिये। अर्थात् hand, heart और hand की शिक्षा होनी चाहिये।

अत: हस्तकला का शिक्षा में बहुत महत्व है। बुनियादी शिक्षा पद्धति तो कला केन्द्रित शिक्षा कहलाती है। इसके समन्वय से बालकों को पढ़ते समय उदासीनता नहीं आती। वे कार्य करते हुए शिक्षा को बड़े सहज ढंग से प्राप्त करते हैं। साथ ही अपने हाथ से काम करने में खिलौने बनाने या सूत कातने में उन्हें बड़ा चाव आता है।

हस्तकला में कई कलाओं का उपयोग किया जाना चाहिये जैसे मिट्टी कला, काष्ठकला, चटाई व चिकें बनाना, टोकरी बनाना, कताई-बुनाई आदि। इसको शिक्षण में सम्मिलित करने से छात्र व छात्राओं के साक्षर होने के साथ साथ कुछ काम करना भी सीखेंगे और भविष्य में उन्हीं क्रियाओं में उन्नति करके अपने जीविकोपार्जन का भी साधन बना सकेंगे। वे स्वतंत्र उद्योग धन्धे करके बेकारी की समस्या पूर्ति में सहायक होंगे।

गान्धी जी ने इसीलिये हस्तकला पर बल दिया था जिससे बालकों द्वारा वस्तुएं बाजार में बिककर स्कूल की धन की आवश्यकता पूर्ति में सहायता हो सकेगी।

परन्तु हम देखते हैं कि कुछ बुनियादी शालाओं को छोड़कर अन्य प्राथमिक शालाओं में इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

बुनियादी शालाओं में भी अधिकांशत: कताई-बुनाई अर्थात् तकली चरखे को छोड़कर अन्य किसी का उपयोग नहीं होता है । इसके कई कारण हैं जिन्हें कि साक्षात्कार में प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रकट किया गया तथा प्रश्नपत्र में ४० प्रतिशत से ५० प्रतिशत मत मिले ।

(१) शालाओं में इन कलाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिये सामान आवश्यकतानुसार नहीं होता । इसके पक्ष में ४० प्रतिशत मत थे ।

(२) इनको सिखाने के लिये शालाओं में उचित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक बहुत कम हैं । ५० प्रतिशत उत्तर प्रश्पत्र में इसके पक्ष में थे ।

(३) बालकों द्वारा बनाई वस्तुएं बाजार भाव से मंहगी पड़ती हैं अत: उनकी उचित बिक्री नहीं हो पाती है ।

(४) बालकों द्वारा बहुत सा कच्चा माल बर्बाद भी होता है ।

फिर भी इन सब कठिनाइयों को देखते हुए भी शालाओं में इन हस्तकलाओं की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये अन्यथा बालकों का पूर्ण रूप से विकास करने में शिक्षा असमर्थ रहेगी । इससे कम से कम एक लाभ तो यह होता ही है कि बालक श्रम की महत्ता समझने लगते हैं व स्वयं हाथ से कार्य करने में रुचि लेने लगते हैं । अत: हस्तकला के कार्य को उचित रूप से चलाने के लिये निम्न सुझावों का प्रयोग होना चाहिये:-

(१) शालाओं के शिक्षकों को इस ओर प्रशिक्षण व प्रोत्साहन दिया जाये ।

(२) शिक्षकों को निर्देश हो कि वे अपने निरीक्षण में सामान बनवायें जिससे वह अधिक अच्छे हों और सुगमता से बेचे जा सकें ।

(३) बालकों को हस्तकला में प्रोत्साहन देने के लिये जिले में बालकों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं की प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी हो और जिन बालकों द्वारा बनाई हुई वस्तुएं उत्तम घोषित हों उन्हें पुरस्कार दिया जाय ।

(४) बालकों द्वारा बनाया हुआ सामान सरकारी दफ्तरों में बिकवाने की व्यवस्था की जाय और उसी धन से आवश्यकता का सामान

खरीदा जाय ।

(५) जिला शाला निरीक्षक को चाहिये कि वे स्वयं इस ओर रुचि लें तथा अपने सहायक निरीक्षकों को निर्देश करें कि वे अपने निरीक्षण में इन कलाओं की ओर भी ध्यान दें ।

(द) पाठ्यक्रम व पाठ्य-पुस्तकें

साक्षात्कार में प्रकट किये गये विचारों के अनुसार पाठ्यक्रम में निम्न दोष हैं जहां तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है उसमें एकरूपता नहीं है । प्रास्पेक्टस में कई किताबें दी जाती हैं और किसी शाला में कोई पुस्तक चुनी जाती है तो दूसरे स्कूल में कोई और पुस्तक चुनी जाती है तथा किसी में कोई अन्य । इसके अतिरिक्त बड़ी जल्दी जल्दी पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो जाते हैं तथा पुस्तकें बदल जाती हैं । एक और बात पाठ्यक्रम में है कि उसमें विषयों की बाहुल्यता है । छोटे छोटे बालक विषयों की भरमार से दब जाते हैं और वे घबड़ा उठते हैं । संरक्षक भी जो बिचारे गरीब हैं, प्रारम्भिक काल में ही इतनी पुस्तकें खरीदने से परेशान हो जाते हैं । स्वयं बालक व बालिकायें इतनी ओर अपना ध्यान नहीं जमा पाते हैं । इसके अतिरिक्त हमारे जिले में कुछ प्राथमिक शालाएं हैं, कुछ बुनियादी शालाएं हैं । दोनों की शिक्षण पद्धतियां भी भिन्न हैं । इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम बनाते समय बालकों की रुचि तथा उनके मानसिक विकास का ध्यान बिलकुल नहीं रखा जाता है जोकि पाठ्यक्रम बनाने का मुख्य आधार होना चाहिये ।

पाठ्यपुस्तकों के सम्बन्ध में मुदालियर कमीशन ने सुझाव दिया था कि एक कमेटी बनाई जाये जो इस बात को देखे कि पाठ्यपुस्तकें अच्छे कागज पर तथा आवश्यक चित्रों सहित सुन्दर छपाई में छपी हों । इस सुझाव का पालन करने का प्रयत्न हुआ है परन्तु अभी भी पाठ्यपुस्तकें उतनी अच्छी व आकर्षक नहीं छपतीं जैसी कि होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम कमेटी को चाहिये कि पाठ्यक्रम में बालकों की रुचि के व आवश्यकता के अनुकूल पाठ हों । अच्छा हो कि पाठ्य पुस्तकें चुनने का पूर्ण अधिकार जिला शाला निरीक्षक को हो और वे देखकर सुन्दर व उपयुक्त

पुस्तकों का निर्वाचन करें । प्रश्नपत्र में इस विषय पर २१ और २२ नम्बर के प्रश्न पूछे गये थे और उनके उत्तरों में ६० प्रशित मत निम्न तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :-

पाठ्यक्रम बनाते समय बालिकाओं के लिये आवश्यक जैसे गार्हस्थ्य सम्बन्धी विषय भी रखने चाहिये जिससे बालिकायें भी पढ़ने की ओर आकर्षित हों । पाठ्यपुस्तकों में दैनिक जीवन व सामाजिक जीवन सम्बन्ध पाठ अवश्य होने चाहिये । शैली मनोरंजक व ऐसी हो जिससे बालक व बालिकाएं पढ़ने में रुचि लें । उनके लिये कढ़ाई, बुनाई, गार्हस्थ्य शास्त्री की शिक्षा आवश्यक है ।

अध्याय - ६

निरीक्षण और प्रबन्ध: केन्द्र प्रणाली

प्रबन्ध और निरीक्षण से शिक्षकों की शिक्षण पद्धति में सुधार होता है और जैसा कि मेसन आल काट ने कहा है " उत्तम निरीक्षण से शिक्षा पर हुए व्यय का उत्तम सदुपयोग होता है । " १ परन्तु जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं प्राथमिक शालाओं में क्षति व अवरोध के कारण उन पर व्यय होने वाले धन का लगभग ७० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत तक भाग व्यर्थ जाता है । कक्षा १ में भरती होने वाले छात्र व छात्राओं में केवल २० प्रतिशत छात्र व छात्रायें प्राथमिक शिक्षा पास करती हैं । प्रयत्न, धन व समय की इतनी अधिक क्षति का कारण केवल एक वाक्य में कहा जा सकता है " प्राथमिक शिक्षा के निरीक्षण के लिये नियुक्त अधिकारियों की संख्या उचित व पूर्ण रूप से निरीक्षण करने के लिये अपर्याप्त है । " २

ठीक यही दशा सतना जिले में निरीक्षण की है । शालाओं की संख्या बहुत अधिक अर्थात् ७२२ है और जिला शाला निरीक्षक, कार्यालय-कार्य के बाद इतनाम कम समय पाते हैं कि केवल कुछ मिडिल स्कूलों ही में निरीक्षण हेतु जा पाते हैं । फलस्वरूप निरीक्षण का सारा भार सहायक जिला शाला निरीक्षकों पर है । अन्य अधिकारी जैसे रेवेन्यू आफिसर, मुख्य कार्यकारिणी आफिसर भी कभी इन प्राथमिक शालाओं में नहीं जाते और यदि वे जायें भी तो कोई विशेष लाभ न होगा क्योंकि वे निर्देशन के विशेष गुणों से परिचित नहीं होते ।

जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों में सहायक जिला शाला निरीक्षकों की संख्या तथा प्रति सहायक जिला शाला निरीक्षक के अधिकृत स्कूलों की संख्या निम्न भांति रही है:-

तालिका क्रमांक १७

विभिन्न सत्रों में सहायक जिला शाला निरीक्षकों की संख्या व उनके अधिकृत शालाओं की संख्या ।

सत्र	सह शाला निरीक्षकों की संख्या ।	शालाओं की संख्या।	प्रति सह शाला निरीक्षक के अधिकृत शालाओं की औसत संख्या ।
१९५६-५७	५	६१५	१२३
१९५७-५८	६	६६४	११०
१९५८-५९	७	६८१	९७
१९५९-६०	१०	७००	७०
१९६०-६१	१२	७२२	६०

जैसा कि ऊपर की तालिका से ज्ञात होता है, सतना जिले में इस समय सन् १९६०-६१ में कुल १२ सहायक जिला शाला निरीक्षक तथा ७२२ शालायें हैं । इस प्रकार प्रत्येक सहायक जिला शाला निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में लगभग ६० शालायें हैं । सन् १९५६-५७ में कुल ५ सहायक जिला शाला निरीक्षक तथा ६१५ शालाओं थीं अर्थात् प्रत्येक सहायक जिला शाला निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में लगभग १२३ शालायें थीं । इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि पिछले पांच वर्षों में सहायक जिला शाला निरीक्षकों की संख्या बढ़ी है परन्तु निरीक्षण में अब भी त्रुटियां हैं । इसके कई कारण हैं ।

साक्षात्कार में सहायक जिला शाला निरीक्षकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर अब हम निरीक्षण व प्रबन्ध में कुशलता की कमी के कारणों पर विचार करेंगे ।

(१) सहायक जिला शाला निरीक्षकों की संख्या अपर्याप्त:-

साक्षात्कार में १२ सहायक जिला शाला निरीक्षकों में से

प्राय: सभी इस मत से सहमत थे कि सहायक जिला शाला निरीक्षकों की संख्या बहुत कम है तथा प्रत्येक के अधिकार में बहुत अधिक शालाएं आती हैं और उन प्राथमिक शालाओं के अतिरिक्त क्षेत्र के मिडिल स्कूलों का योग भी इन अधिकृत स्कूलों के साथ हो जाता है। अतएव कुल संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि उतने अधिक स्कूलों का निरीक्षण असंभव हो जाता है। ग्रीष्मावकाश को छोड़कर स्कूल लगभग १८० दिन लगते हैं, जिनमें भी कुछ समय जिला टूर्नामेण्ट आदि के अवसर पर व्यतीत हो जाता है। प्रत्येक समास में सहायक जिला शाला निरीक्षकों को लगभग १० दिन हेड क्वार्टर में रहना पड़ता है। अतएव उनको गिने चुने दिन निरीक्षण कार्य हेतु उपलब्ध होते हैं जिसमें उन्हें औसत प्रति स्कूल वर्ष में एक बार निरीक्षण करना भी कठिन होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें समय समय पर जिला शाला निरीक्षक द्वारा दिये गये विशेष आदेशों का भी पालन करना पड़ता है। उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई किसी सूचना का विवरण भी उन्हें ही देना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त उन्हें स्कूलों की आवश्यकताओं को देखना तथा उनकी पूर्ति करना। पुस्तकालय आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। समय समय पर उन्हें उच्च अधिकारियों को वार्षिक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय उत्सवों का ढंग से प्रबन्ध करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में सहायक जिला शाला निरीक्षक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सीढ़ी का सबसे निचला डण्डा है तथा उन्हें सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का उत्तरदायित्व सम्हालना है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, उन्हें वर्ष में निरीक्षण के लिये बहुत कम समय अर्थात् अधिकतम ८० या ६० दिन मिलते हैं। अत: उनका किसी स्कूल में जाकर निरीक्षण करना तो सम्भव ही है परन्तु प्रबन्ध नहीं। वह स्कूलों में कक्षावार निरीक्षण नहीं कर पाते। प्रत्येक क्रिया को नहीं देख पाते। उसका निरीक्षण केवल स्कूल कार्यालय तक सीमित रहता है। कभी कभी तो समय के अभाव के कारण उन्हें केवल निरीक्षण पुस्तिका मंगाकर खानापूरी कर देना पड़ता है। फलस्वरूप निरीक्षण केवल सैद्धान्तिक होता है, क्रियात्मक नहीं।

और इसीलिये शिक्षा पर उसका उचित प्रभाव नहीं पड़ता ।

(२) सहायक जिला शाला निरीक्षक द्वारा दिये गये सुझावों की ओर शिक्षक वर्ग व अधिकारियों का उदासीन व्यवहार:-

साक्षात्कार में ६० प्रतिशत सहायक जिला शाला निरीक्षकों के मतानुसार अनुपयुक्त प्रबन्ध व निरीक्षण का एक मुख्यकारण शिक्षकों व अधिकारियों की उनके सुझावों की ओर उदासीनता है । जब वे देखते हैं कि उनकी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है, उनकी रुचि हट जाती है । अपनी बतलाई हुई कमी तथा सुझावों को मानने का कोई प्रयत्न न पाकर वे बार बार उदासीनतापूर्वक उन्हीं आदेशों को निरीक्षण पुस्तिका में दुहरा देते हैं । दूसरी ओर जब शिक्षक व शिक्षिकायें देखती हैं कि सहायक जिला शाला निरीक्षक द्वारा दिये गये विपरीत व पक्ष के रिमार्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो व ह इस ओर पर्वाह नहीं करते और न अपने कार्य को सुधारने का ही प्रयत्न करते हैं । वास्तव में देखा जाये तो अधिकांश प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि वे बिना किसी बाहरी दबाव के, अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते । फलस्वरूप मानव स्वभाव के अनुकूल निरीक्षक भी अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालने करने की ओर ध्यान नहीं देते ।

(३) बढ़ा हुआ कार्यालय-कार्य:-

साक्षात्कार में शत प्रतिशत सहायक जिला शाला निरीक्षकों के मतानुसार प्राइमरी शिक्षा के प्रसार में कागजी कार्य वास्तविक कार्य से कहीं अधिक बढ़ गया है । जिला शाला निरीक्षक अपने कार्यालय की फाइलों के भार से इतने अधिक दबे रहते हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर पाते । वास्तव में उन्हें समय का इतना भाव रहता है कि वे केवल इतना ही कर पाते हैंकि समय समय पर सहायक जिला शाला निरीक्षकों की बैठक बुलाकर उनकी कठिनाइयां सुन लें व अपने अनुभव के आधार पर उन्हें सुलझाने हेतु उचित सुझाव दे दें ।

अतएव निरीक्षण व प्रबन्ध में कुशलता लाने के लिये निम्नलिखित उपायों को काम में लाया जाना चाहिये । ये सुझाव साक्षात्कार में प्रकट हुए कुछ विचारों के अनुसार दिये गये हैं ।

(१) सहायक जिला शाला निरीक्षक के पास उनका एक व्यक्तिगत सहकारी सहायक जिला शाला निरीक्षक के श्रेणी का होना चाहिये जो उन्हें कार्यालय कार्य में सहायता दे । प्रजातंत्रीय भावना शिक्षा के प्रसार और शिक्षा की नई योजनाओं के बढ़ने की आवश्यकता के कारण शैक्षणिक सांख्यिकी की महत्ता बढ़ गई है । अत: जिला शाला निरीक्षक का व्यक्तिगत सहकारी इस कार्य को करके सहायक जिला शाला निरीक्षकों के कार्य को हलका कर सकता है । जिला शाला निरीक्षक का कार्य भी हल्का होगा । उसे आवश्यकतानुसार सभी आंकड़े उपलब्ध होंगे तथा उसे केवल उनकी पूर्ति हेतु आदेश करना पड़ेगा । जिला शाला निरीक्षक को फाइल कार्य से भी अवकाश मिल सकेगा जिससे वह निरीक्षण आदि आवश्यक कार्यों को अधिक अच्छे ढंग से कर सकेगा ।

(२) जैसा कि कहा जा चुका है कि एक बार प्रति वर्ष निरीक्षण अपर्याप्त है अत: सहायक जिला शाला निरीक्षकों को प्रत्येक स्कूल वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करने के लिये बाध्य होना चाहिये तथा कम से कम एक बार अपने निरीक्षण के समय छात्रों के अभिभावकों तथा शिक्षकों की मीटिंग कर शैक्षणिक जागृति के लिये सुझाव देने चाहिये ।

(३) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सहायक जिला शाला निरीक्षकों को निरीक्षण के लिये बहुत कम समय मिलता है । एक स्कूल का उचित ढंग से निरीक्षण करने के लिये कम से कम दो दिन का समय चाहिये । इसके अतिरिक्त मार्ग में व्यतीत समय । इतने अधिक स्कूलों में सहायक जिला शाला निरीक्षकों की संख्या प्रति जिले में इतनी बढ़ा दी जावे कि प्रत्येक सहायक निरीक्षक के भाग में ३३ स्कूल से अधिक न आवें ।

सतना जिले में प्राइमरी स्कूलों के प्रबन्ध में सुगमता हेतु केन्द्र प्रणाली चालू है । कुछ स्कूल केन्द्र बना दिये जाते हैं और प्रत्येक केन्द्र

के अन्तर्गत कुछ स्कूल रहते हैं । अपने अधीनस्थ स्कूलों की आवश्यकतानुसार सामान देना तथा कार्यालय की आवश्यक सूचनाएं भिजवाना केन्द्र स्कूलों का कार्य है । अपने केन्द्र के अन्तर्गत स्कूल कर्मचारियों का वेतन वितरण भी केन्द्र स्कूलों द्वारा ही होता है तथा कर्मचारियों की छुट्टी आदि पर यथोचित सिफारिश लिखकर जिला शाला निरीक्षक व सहायक जिला शाला निरीक्षक को भेजवाना भी केन्द्रों द्वारा होता है । सतना जिले में कुल ७२२ स्कूल हैं तथा केन्द्रों की संख्या ७२ है । इस प्रकार प्रति केन्द्र औसत १० स्कूल हैं । उन स्कूलों की प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था करना तथा उनका प्रबन्ध करना इन केन्द्र स्कूलों का कार्य है । यह केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों वा अधिकारियों की सीढ़ी रूपी श्रृंखला में सबसे निचला डण्डा वा कड़ी हैं ।

सभी प्राइमरी स्कूल व जिला शाला निरीक्षक के दफ्तरों के बीच लिखा पढ़ी व सूचनाओं के आदान प्रदान में यह महत्वपूर्ण माध्यम का कार्य करते हैं ।

इस केन्द्र प्रणाली से सहायक जिला शाला निरीक्षकों के कार्य का बहुत सा भाग हल्का हो जाता है तथा प्रबन्ध और निरीक्षण में सुविधा होती है । इन केन्द्र स्कूलों के कारण शिक्षा प्रसार तथा शिक्षा स्तर को उन्नत बनाने में और स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में बहुत सहायता मिलती है । सहायक जिला शाला निरीक्षकों का बहुत सा कार्य भार हल्का हो जाता है ।

प्रश्नपत्र में २४वें प्रश्न के अन्तर्गत खण्ड अ तथा ब में पूछे गये प्रश्नों के प्राप्त उत्तरों के अनुसार तथा साक्षात्कार में प्रकट किये विचारों के अनुसरा इन केन्द्र शालाओं के निम्न कार्य व अधिकार हैं ।

(१) अपने केन्द्रीय शालाओं में किनमें शिक्षकों की अधिकता तथा किनमें कमी है, इसे देखना तथा कमी को सहायक जिला शाला निरीक्षक की सहायता से पूर्ति करना ।

(२) अपने केन्द्रीय शालाओं को पाठ्य सामग्री व अन्य सामग्री भेजना इन्हीं का कार्य है ।

(३) यह केन्द्र शालाएं अपने केन्द्रीय शालाओं को प्रगति के लिये प्रयत्न करती हैं तथा आवश्यक सुझाव व सहायता देती हैं ।

(४) केन्द्रीय शालाओं की पूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व उनके क्षेत्र के केन्द्र शाला का है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वा पथ प्रदर्शन केन्द्र शालायें ही करती हैं ।

(५) टूर्नामेण्ट तथा जिला शाला निरीक्षकों द्वारा बुलाई गई मीटिंगों में अपनी केन्द्रीय शालाओं का प्रतिनिधित्व करना व उनके हित देखना इन्हीं का कार्य है ।

(६) केन्द्रीय शालाओं का वातावरण उचित व शिक्षा के अनुकूल रहे यह केन्द्र शालायें देखती हैं ।

(७) केन्द्रीय शालाओं के कर्मचारियों को वेतन वितरण करवाती तथा केन्द्रीय शालाओं केकर्मचारियों की छुट्टी की व्यवस्था करवाती हैं ।

(८) प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रबन्ध इन केन्द्रों से होता है तथा सभी केन्द्रीय शालाओं के छात्र वा छात्राएं अपने केन्द्र से परीक्षा देती हैं जिससे व्यवस्था में तथा परीक्षाफल बनाने में सुविधा होती है ।

(९) कोई भी आवश्यक सूचना जिला शाला निरीक्षकों के यहां से इन्हीं केन्द्रों में भेज दी जाती है और वे अपनी केन्द्रीय शालाओं को सूचना देते हैं । इससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है ।

(१०) किसी केन्द्रीय शाला की शिक्षा की अवनति की दशा में यह केन्द्र शालाएं उपयुक्त अध्यापकों को वहां भिजवाने का प्रयत्न करती हैं ।

(११) केन्द्रीय शालाओं में यदि कोई अनियमित कार्य हो तो उसको रोकना तथा किसी स्थानीय समस्या को सुलझाना केन्द्र प्रधानाध्यापक करते हैं ।

(१२) केन्द्रीय शालाओं के कर्मचारियों के कार्य का विवरण रखना व उसके विषय में सहायक जिला शाला निरीक्षक को सूचित करना उनकाा कार्य है ।

(१३) केन्द्रीय शालाओं के आकस्मिक वा आवश्यक व्यय का प्रबन्ध करना ।

(१४) उच्च अधिकारियों द्वारा किसी आवश्यक सूचना वा आंकड़ों की मांग पर अपनी अपनी केन्द्रीय शालाओं से वह सूचना प्राप्त कर आंकड़े एकत्रित कर उच्च अधिकारियों को भेजती हैं जिससे समय की बचत होती है ।

(१५) अनिवार्य शिक्षा की योजना लागू होने पर इन केन्द्रों के प्रधानक उपस्थिति अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा अनिवार्य शिक्षा की आयु के बालक व बालिकाओं के विवरण रजिस्टर इन केन्द्रों में रखे जा सकते हैं ।

परन्तु जहां इन केन्द्र शालाओं से इतने लाभ हैं उनसे कुछ हानियां भी हैं । साक्षात्कार में प्रकट लगभग ४० प्रतिशत व्यक्तियों के अनुसार वे दोष निम्न हैं ।

(१) चूंकि सभी केन्द्रीय शालाएं कोई भी प्रार्थना पत्र केन्द्र के माध्यम से ही जिला शाला निरीक्षक को भेज सकती हैं, इसलिये कभी कभी अनावश्यक देरी होती है ।

(२) चूंकि केन्द्रीयशालायें सभी कार्य में केन्द्रों की मुखापेक्षी होती हैं अतः कभी कभी इन केन्द्रों के प्रधानाध्यापक बहुत घमंडी व जिद्दी हो जाते हैं ।

(३) केन्द्रीय शालाओं के कर्मचारी अपनी प्रत्येक प्रार्थना केन्द्रों के माध्यम से भेजते हैं अतः अधिकारियों तक सही रूप में बात नहीं पहुंचती और उनका फैसला भी केन्द्र के प्रधान के मतानुसार ही होता है ।

(४) केन्द्र के प्रधानाध्यापक सभी स्कूलों में सामान रुचि नहीं रखते न समान हित देखते हैं । ऐसे स्कूलों के साथ जिनके कर्मचारी इनसे संबंधित होते हैं, आवश्यकता पूर्ति व सामग्री देते समय यह पक्षपात पूर्ण बर्ताव करते हैं ।

(५) चूंकि केन्द्र के प्रधानाध्यापक को इन अतिरिक्त कर्तव्यों के पालन करने हेतु कोई विशेष सुविधा व अतिरिक्त धन, लाभ नहीं होता,

अत: यह अपने कर्तव्यों की ओर से उदासीन रहते हैं तथा केवल रोब भर दिखाते हैं जिनसे केन्द्र के अन्तर्गत शालाओं को अनेकों असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ।

(६) कभी कभी जिला शाला निरीक्षक के यहां से आई हुई कोई आवश्यक सूचना केन्द्रियि शालाओं को समय पर नहीं मिलती ।

इतनी बुराइयां होते हुए भी जब हम इ-स प्रणाली के लाभों की ओर देखते और यह देखते हैं कि इससे निरीक्षक वर्ग तथा जिला शाला निरीक्षक का कितना कार्यभार हल्का हो जाता है तो इसकी बुराइयां बिल्कुल नगण्य मालूम पड़ती हैं । प्रश्नपत्र के इस प्रश्न पर कि ये केन्द्र शालायें जारी रखी जायें या बन्द कर दी जायें अथवा आवश्यक सुधार करके जारी रखी जायें अधिकांश उत्तर इनके जारी रखने के लिये प्राप्त हुए हैं ।

३३ प्रतिशत उत्तरों में कहा गया है कि केन्द्र प्रणाली जारी रखी जाये । ५५ प्रतिशत उत्तरों के अनुसार इनमें आवश्यक सुधारकर जारी रखा जावे । केवल १२ प्रतिशत उत्तर इसको बन्द कर देने के पक्ष में हैं ।

अत: चूंकि सबसे अधिक मत इसमें आवश्यक सुधारकर जारी रखने के हैं, इसलिये इसमें निम्नलिखित सुधार होने चाहिये । साक्षात्कार में व्यक्त विचारों के अनुसार ६० प्रतिशत व्यक्तियों के सुझाव निम्न हैं ।

(१) चूंकि इन्हें कोई निरीक्षण अधिकार प्राप्त नहीं है, परन्तु शिक्षा की प्रगति देखना इनका कर्तव्य है, अत: इनके प्रधानाध्यापकों को अपनी केन्द्रियि शालाओं में निरीक्षण का अधिकार होना चाहिये । हम ऊपर कह आये हैं कि सहायक जिला शाला निरीक्षकों को समय की कमी के कारण उचित ढंग से निरीक्षण करना कठिन है जिससे शिक्षा के स्तर व प्रसार की उन्नति यथोचित रूप से नहीं हो पाती है अत: यदि केन्द्र के प्रधानाध्यापकों को यह अधिकार मिले तथा कर्तव्य हो कि वे अपनी केन्द्रीय शालाओं का कम से कम सप्ताह में एक बार पूर्ण निरीक्षण करें, शिक्षा पद्धति व अन्य क्रियाएं देखें तथा उसका विवरण और उस पर अपना मत

सहायक जिला शाला निरीक्षक को लिख कर दें तो निरीक्षण व प्रबन्ध की समस्या बहुत सुलझ जायेगी । अमेरिका में इस प्रकार का प्रावधान है ।

(२) इन कर्तव्यों को पालन करने के हेतु केन्द्र के प्रधानाध्यापक को कुछ विशेष छुट्टी व वेतन में अतिरिक्त वृद्धि दी जानी चाहिये जिससे कि उन्हें प्रोत्साहन मिले ।

(३) सहायक जिला शाला निरीक्षकों को केवल उनके ही निरीक्षण रिपोर्ट पर निर्भर न रहना चाहिये, स्वयं भी वर्ष में कम से कम एक बार और गिरे स्तर की शालाओं का दो बार निरीक्षण करना चाहिये तथा अपने द्वारा निरीक्षण में पाये हुए तथ्यों को केन्द्र के प्रधानाध्यापक के विवरण से मिलाकर देखना चाहिये । इससे दो लाभ होंगे । एक तो केन्द्र के प्रधानाअध्यापक अपने कर्तव्य का पालन किस सीमा तक पक्षपात रहित व सत्यता से करते हैं इसका पता हो जावेगा दूसरे स्वयं को भी सत्यता का ज्ञान रहेगा ।

(४) किसी सूचना को केन्द्रीय शालाओं में पहुंचने में देर नहीं हो, इसके लिये प्रत्येक केन्द्र में एक चपरासी रहना चाहिये व उसे साइकिल दी जानी चाहिये जिससे सूचनाओं को पहुंचाने व प्राप्त करने में समय की अनावश्यक देरी न हो ।

(५) केन्द्र प्रधानाध्यापक किसी केन्द्रीय स्कूल से उदासीन होकर व नाराज होकर उसकी प्रार्थना जिला शाला निरीक्षक महोदय तक पहुंचाने में देरी न करें, इसको दूर करने के लिये कुछ विशेष परिस्थितियों व आवश्यकताओं पर केन्द्रीय शालाओं को सीधे जिला शाला निरीक्षक तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने का अधिकार होना चाहिये ।

(६) प्रत्येक केन्द्र स्कूल में एक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिये जिससे सभी केन्द्रीय शालाएं लाभ उठा सकें । क्योंकि शिक्षा प्रसार तथा धन की अल्पता के कारण सभी स्कूलों में पुस्तकालय खोलना सम्भव नहीं ।

प्रश्नपत्र व साक्षात्कार में प्राप्त मतों के अनुसार निरीक्षण प्रबन्ध व केन्द्र प्रणाली की त्रुटियों के कारण व सुझाव ।

क्रम संख्या	कारण	प्रश्नपत्रों के १०० उत्तरों में प्राप्त मत ।	साक्षात्कारित ५० व्यक्तियों से प्राप्त मत ।	प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत
१-	सह शाला निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या		१२ सह शाला निरीक्षकों में सबने बहुमत दिया।	१०० प्रति०
२-	सह शाला निरीक्षक द्वारा दिये गये सुझावों के प्रति उदासीन व्यवहार ।		,,	
३-	बढ़ा हुआ कार्यालय कार्य, सुझाव		,,	
४-				

सुझाव

१-	सह शाला निरीक्षकों की संख्या बढ़ाई जावे		,,	
२-	वर्ष में प्रति स्कूल एक बार निरीक्षण अनिवार्य हो		२०	४० प्रति०
३-	सतना जिले में वर्तमान केन्द्र प्रणाली चालू रहे ।		४०	२७ प्रति०

केन्द्र प्रणाली से लाभ

१-	शालाओं में सामग्री वितरण करना	१००	५०	१०० प्रति०
२-	शालाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना	१००	५०	१०० प्रति०
३-	शालाओं को प्रगति के लिये पथप्रदर्शन ।	१००	५०	१०० प्रति०
४-	शालाओं की व्यवस्था का उत्तरदायित्व ।	१००	५०	१०० प्रति०
५-	टूर्नामेण्ट व मीटिंगों का प्रबन्ध	१००	५०	१०० प्रति०
६-	शालाओं का वातावरण व नियमों के प्रतिपालन की देखभाल ।	१००	५०	१०० प्रति०
७-	कर्मचारियों का वेतन वितरण करवाना	१००	५०	१०० प्रति०
८-	प्रायमरी सर्टिफिकेट परीक्षाओं का प्रबन्ध करना ।	१००	५०	१०० प्रति

९- शालाओं को आवश्यक सूचनाएं भिजवाना ।	१००	५०	१०० प्रति०
१०- शालाओं की समस्याओं को सुलझाना	१००	५०	१०० प्रति०
११- शालाओं में अध्यापक भिजवाना	१००	५०	१०० प्रति०
१२- आकस्मिक व्यय का प्रबन्ध करना ।	१००	५०	१०० प्रति०

हानियां

१- कार्य में देरी	५०	४०	६० प्रति०
२- शालाओं केन्द्रों की मुख्य पेशी	-	४०	२७ प्रति०
३- शालाओं व अधिकारियों में माध्यम	-	४०	२७ प्रति०
४- कार्यों में पक्षपात	-	४०	२७ प्रति०
५- सूचनाएं मिलने में देरी	-	४०	२७ प्रति०

सुझाव

१- केन्द्र प्रधानाध्यापकों को निरीक्षण अधिकार मिले ।	-	३०	२० प्रति०
२- केन्द्र प्रधानाध्यापकों को कुछ विशेष सुविधाएं व लाभ प्राप्त हों ।	-	३०	२० प्रति०
३- प्रत्येक केन्द्र में एक चपरासी व साइकिल हो जिससे सूचनाएं शीघ्र पहुंचें ।	-	३०	२० प्रति०
४- केन्द्र शालाओं में एक पुस्तकालय हो ।	-	३०	२० प्रति०

अध्याय - १०

सह - शिक्षा

सह शिक्षा का तात्पर्य है किसी भी पाठशाला में बालक व बालिकाओं का साथ साथ पढ़ना । सतना जिले की प्राथमिक शालाओं में अधिकतर सह-शिक्षा पाई जाती है । केवल बालिका प्राथमिक शालाओं को छोड़कर बालकों की प्राथमिक शालाओं में लगभग सभी में सहशिक्षा है । इसके कई कारण हैं ।

१- घरों से पुत्रीशाला दूर है :-

प्रश्नपत्र में प्रश्न क्रमांक २६ के भाग ३ (अ) में यह प्रश्न पूछा गया था कि "क्या आपके घर से पुत्रीशाला दूर है?" इसके उत्तर में ५० प्रतिशत ने हाँ कहा है । इस जिले में केवल १४ प्राथमिक पुत्री शालाएं हैं और लगभग ६ प्राथमिक पुत्री शालायें उच्चतर माध्यमिक शालाओं व माध्यमिक शालाओं में संलग्न हैं । इस प्रकार इतने बड़े जिले में शिक्षा के प्रसार की बढ़ती हुई आवश्यकता केवल २० पुत्री शालाएं पूर्ण नहीं कर सकतीं ।

२- पुत्री शालाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है:-

प्रश्नपत्र में किये गये प्रश्न २६ के ३ (ब) पर दिये गये २० प्रतिशत मतानुसार कुछ पुत्री शालाओं की व्यवस्था ठीक नहीं होती । अनुशासनहीनता तथा अन्य बुराइयां उनमें होती हैं जिनके कारण अभिभावक अपनी बालिकाओं को वहां नहीं भेजना चाहते । मैंने सतना जिले की कुछ पुत्री शालाएं देखी हैं जहां कि अध्यापिकाएं छात्राओं को छोटी छोटी बात पर कठोर दण्ड देती हैं तथा मारती भी हैं । छात्रायें आपस में भी लड़ती झगड़ती रहती और अध्यापिकायें आपस में या तो गपशप करती रहती हैं या एक दूसरे की बुराई । छात्राओं को ऐसी दशा में अच्छा मौका मिल जाता है । वे भी कक्षा के बाहर खिसक जाती हैं और कभी

कर्म। बेधड़क कूद-फांद कर चोट लगा आती है। मुझे एक घटना याद है जबकि एक लड़की के झूले पर से गिर जाने के कारण हाथ की हड्डी टूट गई थी। स्वाभाविक है कि ऐसे स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को भेजना नहीं पसन्द करेंगे।

3- पुत्री शालाओं में प्रवेश नहीं मिलता :-

प्रश्नपत्र के प्रश्न २६ पर दिये गये ५० प्रतिशत मतानुसार पुत्री शाला में प्रवेश नहीं मिलता जिसका कारण निम्न है - पुत्री शालाएं चूंकि कम हैं तथा जैसा कि शाला भवन के अध्याय में कहा जा चुका है आज लगभग सभी शालाओं में स्थान की कमी है इसलिये पुत्री शालाओं में छात्राओं की संख्या अधिक रहने के कारण प्रवेश कठिनता से मिलता है। अत: लाचार होकर अभिभावकों को अपनी बालिकाओं को बालक प्राथमिक शालाओं में शिक्षा हेतु प्रवेश दिलाना पड़ता है।

४- पुत्री शालाओं में पढ़ाई सन्तोषजनक नहीं है:-

प्रश्नपत्र में प्रश्न २६ के ३ (द) के अनुसार २० प्रतिशत मत इस पक्ष में है कि अधिकांश पुत्री शालाओं में पढ़ाई भी उचित ढंग से नहीं होती। अध्यापिकायें अपने बच्चों की देखभाल करती रहती हैं या बुनाई आदि करती रहती हैं और कक्षा मानीटर से कक्षा में किताब पढ़ाने का आदेश दे देती हैं। परीक्षा के समय अपने स्कूल का परीक्षाफल अच्छा रखने के लिये अनुचित सीमा तक अंक देकर प्रमोशन दे देती हैं। ऐसी छात्राएं जब उच्च कक्षाओं में जाती हैं तो पिछली कक्षाओं की पढ़ाई में कमजोर रहने के कारण अच्छी प्रकार से नहीं चल पातीं अर्थात् उच्च कक्षाओं के पाठ्यक्रम को नहीं समझ पाती हैं। अत: उनकी शिक्षा की नींव सुदृढ़ रखने हेतु अभिभावक उन्हें अच्छे बालक प्राथमिक शालाओं में प्रवेश दिलाते हैं।

५- अलग पुत्री शाला खोलने में धन का अधिक व्यय:-

एक कारण और भी है। शिक्षा प्रसार के लिये विकास योजना १३३ के अन्तर्गत अनेकों नये स्कूल खोले गये हैं। प्रत्येक ऐसे ग्राम में जहां नये स्कूल खोले गये हैं पुत्री शाला व बालक प्राथमिक शाला अलग अलग खोलने से व्यय दुगुना होता है। इसलिये एक ही शाला खोलकर सह शिक्षा को ही प्रोत्साहन दिया जाता है।

६- जिले में पुत्री शालाओं की संख्या में न्यूनता:-

साक्षात्कार में व्यक्त हुए ४० प्रतिशत मतों के अनुसार सतना जिले में पुत्री शालाओं की संख्या जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कुल २० है। अत: निश्चय ही इन शालाओं की परस्पर दूरी अधिक है और प्राथमिक शिक्षा की छोटी छोटी बालिकाओं का इतनी दूर स्कूल जाना कठिन है। जब निकटतर शालाओं में भी कितनी ही छात्रायें शिक्षा पूर्ण करने के पहले ही शाला छोड़ देती हैं तो दूरस्थ पुत्री शालाओं में तो और भी अनियमित उपस्थिति होगी जिसका परिणाम क्षति व अवरोध को बढ़ाता रहेगा।

७- छोटे भाई बहिनों को साथ रखने की इच्छा:-

साक्षात्कार में व्यक्त किये गये विचारों में ५० प्रतिशत मतों के अनुसार कई अभिभावक जिनके घर में बालक व बालिकादोनों प्राथमिक शिक्षा के योग्य व छोटी आयु के होते हैं, वे यह सोचकर कि बहिन भाई दोनों साथ रहेंगे दोनों का प्राथमिक शालाओं साथ भरती कराते हैं।

८- मित्र व हितैषी द्वारा उचित देखभाल रहने के विचार से:-

साक्षात्कार में १० प्रतिशत व्यक्तियों के मतानुसार कुछ ऐसी बालिकायें भी बालक प्राथमिक शाला में भर्ती होती हैं जिनके कोई रिश्तेदार व हितैषी उस स्कूल में होते हैं, जिससे कि उनकी देखभाल होती रहे।

इस प्रकार कई कारणों से सतना जिले में लगभग सभी बालक प्राथमिक शालाओं में सह शिक्षा है। यद्यपि ~~क~~ कि प्राथमिक शालाओं में बालक व बालिकायें बहुत छोटी आयु के होते हैं और कोई गम्भीर समस्या व प्रश्न उठने का भय नहीं रहता तथापि सह-शिक्षा से कई समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। प्रश्नपत्र में २६वें प्रश्न के चौथे भाग में १, २, ३ समस्याओं को निम्न प्रकार मत मिले हैं।

१- गृहविज्ञान व शिल्पकला की शिक्षा के साधन व साधकों की कमी:-

प्रश्नपत्र के २६वें प्रश्न के भाग ४ के प्रथम खण्ड में इस समस्या के पक्ष में शत प्रतिशत मत प्रकट किये गये कि सह शिक्षा से बालक शालाओं में सबसे बड़ी समस्या गृहविज्ञान तथा शिल्पकला की जो बालिकाओं के सर्वोत्तम हित के विषय हैं, उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं है। बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि की शिक्षा नहीं हो पाती क्योंकि न तो बालकों की शालाओं में इनको सिखलाने के लिये कोई योग्य अध्यापक होता है न उसके लिये आवश्यक सामग्री। प्रश्नपत्र में यह प्रश्न भी पूछा गया था कि इन समस्याओं का साधान वे किस प्रकार करते हैं तो शत प्रतिशत यही उत्तर प्राप्त हुआ कि ऐसे विषयों की शिक्षा पुस्तकों की सहायता से सैद्धांतिक रूप से स्कूलों में होती है तथा प्रयोगात्मक रूप से उन्हें घर में करने के लिये प्रेरणा व निर्देश दिया जाता है। स्वाभाविक है कि जिन छात्राओं की माता व बहनें इन विषयों में निपुण नहीं होतीं ऐसी छात्राएं केवल सैद्धांतिक शिक्षा पर ही निर्भर रहती हैं और उन्हें क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं होता जिससे उच्च कक्षाओं में उन्हें कठिनता जाती है।

२- बालिकाओं के अनुकूल वातावरण नहीं:-

प्रश्नपत्र के २६वें प्रश्न के भाग ४ में इस प्रश्न को १० प्रतिशत मत मिले जिसके अनुसार ऐसे स्कूलों में जहां बालक व बालिकाओं की सह-शिक्षा है, बालिकाओं के अनकूल वातावरण नहीं होता है। प्रश्नपत्रों के उत्तरों के आधार पर बालिकाएं औसत प्रति स्कूल छात्रसंख्या की १० प्रतिशत हैं। प्रत्येक कक्षा में बालिकाओं की संख्या लगभग ७ या ८ रहती है।

ऐसी दशा में जहां इतने बालक हों और बालिकायें इतनी अल्प संख्या में हों, बालिकायें स्वच्छन्दता का अनुभव नहीं करतीं। वे संकोची व डरी डरीसी रहती हैं। बालक स्वभाव से बालिकाओं की अपेक्षा अधिक चंचल होते हैं। फलस्वरूप बालिकायें उनमें पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बालिकायें उचित लाभ नहीं प्राप्त कर पातीं। वे अपनी कमजोरियों को शर्म के कारण छुपाए रहती हैं। यदि किसी विषय में कोई बात उनकी समझ में नहीं आती है तो वे संकोचवश नहीं पूछती हैं और उनमें वह कमजोरी बनी रहती है। प्राप्त उत्तरों के अनुसार शिक्षक वातावरण को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं तथा बालिकाओं की पढ़ाई व उनकी कमजोरियों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। बालिकाओं की त्रुटियों पर सजा देते समय शिक्षक को ध्यान रखना पड़ता है कि इतना न डांटा जाये कि बालिकायें शर्म के कारण अधिक दुखित हो जायें। बहुधा देखा जाता है कि जब बालकों के सम्मुख बालिकाओं को डांटा जाता है तो बालिकाएं शर्म से रो पड़ती हैं, क्योंकि बालिकाएं अधिक संवेदनशील होती हैं। इससे बालिकाओं के मस्तिष्क में भावना-ग्रन्थि ग्रन्थि पड़ने का भय रहता है। दूसरी ओर बालकों को यह शिकायत होती है कि मास्टर साहब बालिकाओं के साथ पक्षपात करते हैं।

३- साक्षात्कार में व्यक्त ३० प्रतिशत मतानुसार अन्य समस्याएं निम्न प्रकार हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि बालिकाओं की अपेक्षा बालक अधिक चंचल होते हैं, वे बहुधा उन्हें चिढ़ाया व खिजाया करते हैं। और जब जैसा कि ऊपर कहा है उन्हें यह भ्रम हो जाता है कि गुरू जी इन बालिकाओं के साथ पक्षपात करते हैं तो उन्हें वे और अधिक चिढ़ाने का प्रयत्न करते हैं।

४- साक्षात्कार में व्यक्त किये गये विचारों के अनुसार सहशिक्षा में बालिकाएं उचित रूप से खेल-कूद में भी भाग नहीं ले पातीं। इसके दो मुख्य कारण हैं- एक तो शर्म व झिझक के कारण बालिकायें बालकों के साथ खेलने में संकोच करती हैं, दूसरे बालकों के स्कूल में बालिकाओं के खेलने

योग्य सामग्री नहीं रहती है ।

प्रश्नपत्र में इन समस्याओं के हल करने के लिये पूछा गया था कि प्रधानाध्यापकों के मत से कौन कौन सी सरकारी सहायता मिलनी चाहिये । चूंकि इतने बालिका पाठशालाओं का, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, खुलना सम्भव नहीं है, अतस्व प्रश्नों के प्राप्त उत्तरों के अनुसार इन समस्याओं को हल करने के लिये निम्नलिखित सहायता जिला शाला निरीक्षकों को देनी चाहिये:-

(१) प्रश्नपत्र में २६ वें प्रश्न अ में यह प्रश्न पूछा गया था जिसमें ५० प्रतिशत मतों के अनुसार बालिका शालाओं की भांति शिक्षण व खेल कूद सामग्री जो बालिकाओं के लिये आवश्यक है, इन सह-शिक्षा वाले स्कूलों में दी जानी चाहिये ।

२- प्रश्नपत्र में २६वें प्रश्न के ७ब में इस विचार को २५ प्रतिशत मत मिले कि बालिका शालाओं की उचित व्यवस्था होनी चाहिये । जिन क्षेत्रों में सम्भव हो सके अथवा जहां बालिकाओं की संख्या ~~सह-शिक्षा~~ अधिक है, अलग बालिका पाठशालायें खोली जावें । इसके अतिरिक्त जो भी पुत्री शालाएं अभी हैं उनकी उचित व्यवस्था हो । उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा करने का, तथा अनुशासन बनाए रखने का प्रयत्न होना चाहिये । यह बातें उचित निरीक्षण व प्रबन्ध द्वारा ही सम्भव हैं परन्तु पुरुष सहा० शाला निरीक्षक इन स्कूलों में किसी कार्य हेतु अधिक जोर डालने में असमर्थ होते हैं । अत: मेरी राय में प्रत्येक जिले में कम से कम दो स्त्री सहायक जिला शाला निरीक्षिकाएं अवश्य होनी चाहिये जो इन स्कूलों में उचित प्रबन्ध व निरीक्षण कर सकें ।

३- साक्षात्कार में ३० व्यक्तियों के मतानुसार जिन जिन बालिका पाठशालाओं में स्थानाभाव के कारण प्रवेश न मिलता हो उन शालाओं के भवनों में अधिक स्थान की व्यवस्था की जावे । यदि इन शालाओं के निकट अतिरिक्त कमरे बनाने के लिये स्थान हीं है तो उसी भव न को दो खण्ड करवा कर ऊपर कमरे बनवाएं जायें ।

४- साक्षात्कार में २५ व्यक्तियों ने निम्न सुझाव दिया । गार्हस्थ्य शास्त्र व शिल्प कला आदि की उचित शिक्षा के लिये सहशिक्षा वाले स्कूलों में एक अध्यापिका भी रखी जावे जो इन विषयों का सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक शिक्षण दे सके तथा खेल कूद में भी बालिकाओं का पथ प्रदर्शन कर सके ।

५- साक्षात्कार में ४० व्यक्तियों ने निम्न विचार प्रकट किये । खेल प्रतियोगिताओं तथा टूर्नामेण्ट में बालिकाओं के अलग खेल कराये जावें तथा विभिन्न स्कूलों की बालिकाओं में प्रतियोगिता कराई जावे जिससे वे भी उत्साह ले सकें तथा मनोरंजनों में भाग ले सकें ।

इस प्रश्न के उत्तर में कि सह शिक्षा जारी रखी जाये या बन्द कर दी जावे ८० प्रतिशत मत इस बात के हैं कि प्राथमिक शिक्षा तक सह शिक्षा बुरी नहीं है, वरन् लाभप्रद है । इससे बालिकाओं की अनपेक्षित शर्म व संकोच कम होगा और उनमें सामाजिक गुण विकसित होंगे । परन्तु इसमें कुछ आवश्यक सुधार व सहायता अवश्य मिलनी चाहिये, जिनकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है ।

साक्षात्कार तथा प्रश्नपत्र के उत्तरों में सह शिक्षा के कारण समस्या तथा सुधार हेतु सुझावों के पक्ष में प्राप्त मतों का सांख्यिकी विवरण ।

क्रम संख्या	कारण	प्रश्नपत्रों के १०० उत्तरों में प्राप्त मत।	साक्षात्कारित ५० व्यक्तियों से प्राप्त मत ।	प्राप्त मतों की कुल प्रतिशत - १५० में से।
१-	कन्या शालायें दूर हैं	५०- २५- ५०	५०-प्रति० २५	५० प्रति०
२-	पुत्री शालाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है	२०	१०	२० प्रति०
३-	पुत्री शालाओं में प्रवेश नहीं मिलता	५०	३०	५३ प्रति०
४-	पुत्री शालाओं में पढ़ाई सन्तोषजनक नहीं है	२०	२०	२७ प्रति०

५- अलग पुत्री शाला खोलने में धन का अधिक व्यय	-	३०	२० प्रति०
६- जिले में पुत्री शालाओं की संख्या में न्यूनता	-	४०	२० प्रति०
७- छोटे भाई बहिनों को साथ रखने की इच्छा	-	५०	३३ प्रति०
८- मित्र व हितैषी की उचित देखभाल रहने के विचार से	-	१०	७ प्रति०

समस्याएं

१- गृहविज्ञान व शिल्प कला की शिक्षा के साधन व साधकों की कमी ।	१००	३०	८७ प्रति०
२- बालिकाओं के अनुकूल वातावरण नहीं होता ।	१०	१०	१३ प्रति०
३- बालक चंचल होते हैं अत: वे उन्हें चिढ़ाते हैं	३०	२०	३३ प्रति०
४- बालिकायें खेलने में संकोच करती हैं ।	-	३०	२० प्रति०

सुझाव

१- शिक्षण व खेलकूद की सामग्री दी जानी चाहिये	५०	२०	४७ प्रति०
२- बालिका शालाओं की उचित व्यवस्था होनी चाहिये	२५	१५	२७ प्रति०
३- शाला के भवनों में अधिक स्थान की व्यवस्था की जावे		३०	२० प्रति०
४- सह शिक्षा वाले स्कूलों में एक अध्यापिका भी रखी जावे		२५	१७ प्रति०
५- टूर्नामेण्टों में बालिकाओं के अलग खेल कराये जावें ।		४०	२७ प्रति०

अध्याय - ११

अनिवार्य शिक्षा की समस्या

अनिवार्य शिक्षा की योजना सतना जिले में यथार्थ रूप में अभी कहीं भी लागू नहीं की गई है। यद्यपि विकास योजना क्रमांक १३३ के अनुसार कई नये स्कूल खोले गये हैं, परन्तु फिर भी अनिवार्यता पर कोई बल नहीं दिया गया है। यदि हम सतना जिले में जनसंख्या के अनुसार अनिवार्य शिक्षा की आयु की बालिकाओं की संख्या पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि उसकी बहुत ही कम प्रतिशत संख्या स्कूलों में आती है। निम्न-लिखित तालिका से हम भिन्न भिन्न वर्षों में छात्राओं की भरती व औसत उपस्थिति का ज्ञान होगा। जिला शाला निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों में छात्राओं की भरती व उपस्थिति निम्न प्रकार की थी:-

तालिका क्रमांक २१

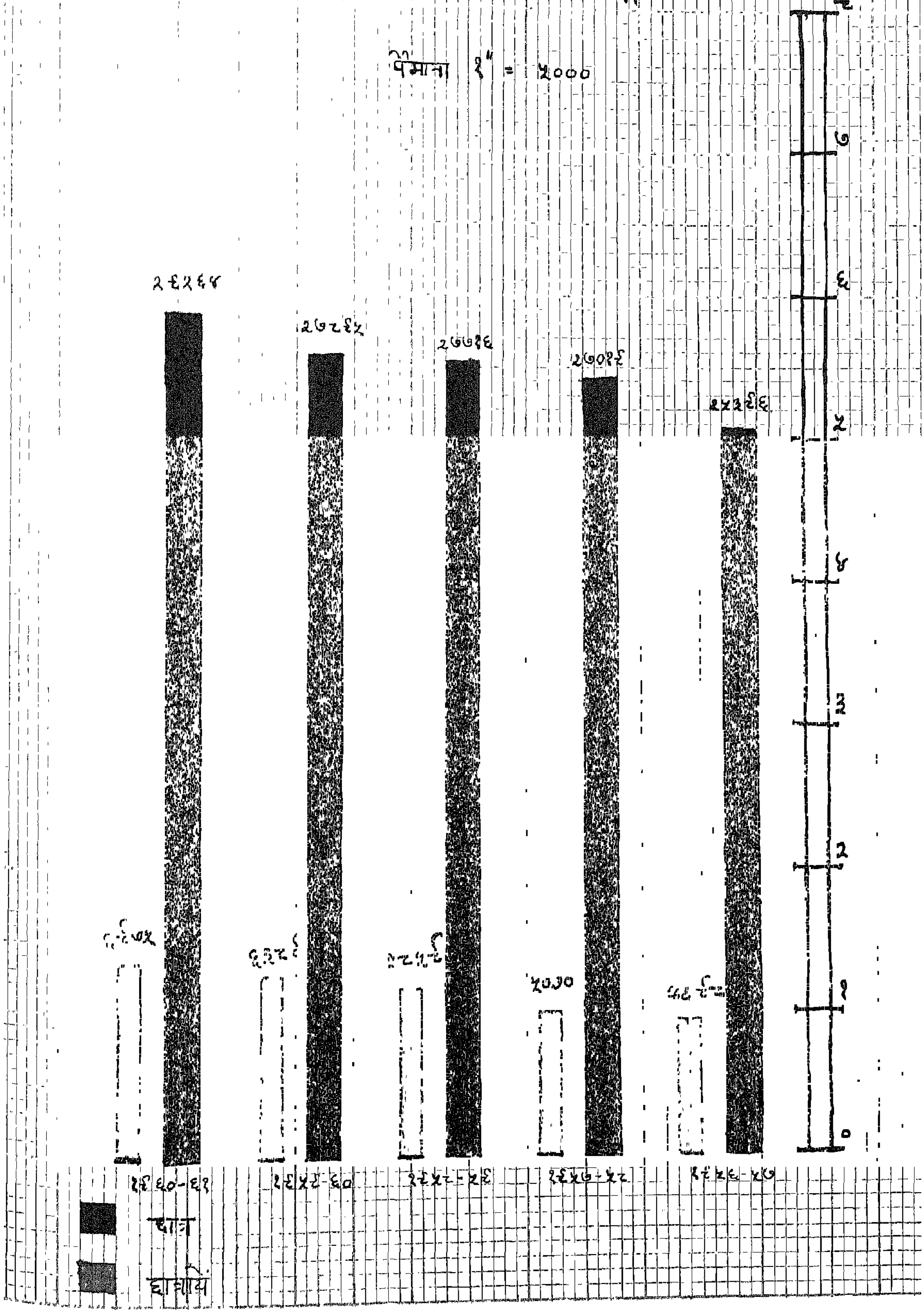
भिन्न भिन्न सत्रों में शालाओं की भरती व उपस्थिति की औसत संख्या

सत्र	छात्राओं की भरती की औसत संख्या।	औसत उपस्थिति	प्रतिशत
१९५६-५७	४६९८	३६८७	७८ प्रति०
१९५७-५८	५०७०	३८७२	७६ प्रति०
१९५८-५९	५८५९	४२८७	७३ प्रति०
१९५९-६०	६३८९	४५३८	७१ प्रति०
१९६०-६१	६९७५	४८८२	७० प्रति०

जैसा कि भरती के अध्याय में कहा जा चुका है, जिले में अनिवार्य भरती के लिये प्राइमरी शिक्षा के सभी साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। परन्तु पूर्ण जिले में अनिवार्य योजना लागू करने के पूर्वहमें कुछ

सतना जिले की
प्राथमिक शालाओं की छात्र संख्या

पैमाना 1" = 5000



जेश में अनिवार्य भरती को लागू करके अनुभव प्राप्त करना चाहिये । जनसंख्या बढ़ गई है और उसके अनुसार १९६०-६१ में शिक्षा प्राप्त करने की आयु की बालिकाओं की संख्या ४२५०८ है परन्तु भरती की संख्या बहुत कम है और औसत उपस्थिति की प्रतिशत तो ह्रास की बढ़ी है ।

प्रश्नपत्रों में प्राप्त उत्तरों के अनुसार तथा प्रधानाध्यापकों के साथ साक्षात्कार करने पर उनके द्वारा प्रकट विचारों के अनुसार अनिवार्य शिक्षा की निम्नलिखित समस्याएं हैं:-

१- प्रश्नपत्र में २८ वें प्रश्न के खण्ड १ के अंतर्गत प्राप्त उत्तरों के अनुसार ५० प्रतिशत मत इस पक्ष में प्राप्त हुए हैं कि अनिवार्य शिक्षा की आयु की बालिकाओं के प्रवेश कराने का कोई प्रबन्ध नहीं है । अनिवार्यता का पालन केवल सैद्धांतिक है । यद्यपि विभाग द्वारा इस प्रकार का आदेश गत वर्षों में एक बार हुआ था कि प्रधानाध्यापकों को चाहिये कि वे अपने स्कूल के निकट क्षेत्र के अनिवार्य शिक्षा की आयु के बालक व बालिकाओं के प्रवेश करने व औसत उपस्थिति बढ़ाने का प्रयत्न करें परन्तु क्रियात्मक रूप से इस पर कभी बल नहीं दिया गया ।

२- प्रश्नपत्र में २८वें प्रश्न के अन्तर्गत ४० प्रतिशत मतानुसार एक अन्य कारण यह है कि प्रधानाध्यापकों के पास ऐसी कोई शक्ति व साधन नहीं है जिसके द्वारा वे अभिभावकों को उनके बालकों व बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिये लाचार कर सकें । शिकायत करने पर भी अधिकारियों द्वारा ऐसे अभिभावकों के विपरीत कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, क्योंकि यद्यपि सिद्धान्त रूप में नियम में ऐसे अभिभावकों को दण्ड का विधान किया गया है परन्तु अभी उसे क्रियात्मक ढंग से लागू नहीं किया गया है ।

३- प्रश्नपत्र के २८वें प्रश्न के अन्तर्गत ३० प्रतिशत मतानुसार अनिवार्य शिक्षा की ओर स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं कोई रुचि नहीं प्रकट ~~करती~~ करती हैं जैसा कि सतना जिले में स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों के अभाव से प्रकट है और सरकार इतने स्कूल खोल उनके व्यय का भार

संभालने में असमर्थ है जो अनिवार्य शिक्षा योजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके ।

४- प्रश्नपत्र के २६वें प्रश्न के भाग १ में ४५ प्रतिशत उत्तरों के अनुसार कई बालिकायें स्कूल इसलिये नहीं जाती हैं कि उन्हें घर में मां की बीमारी के कारण या मां के अभाव में अथवा माता पिता दोनों के उपार्जन में लगे रहने के कारण घर में काम करना पड़ता है ।

५- प्रश्नपत्र के २६वें प्रश्न के भाग २ में ४० प्रतिशत उत्तरों के अनुसार कुछ अभिभावक इतने गरीब हैं कि उन्हें बाध्य होकर अपनी बालिकाओं से जीविकापार्जन के लिये नौकरी करानी पड़ती है ।

६- प्रश्नपत्र के २६वें प्रश्न के भाग ३ मे ३५ प्रतिशत उत्तरों के अनुसार कुछ बालिकाओं के स्कूल न आने का कारण घर से स्कूल की दूरी होती है । जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि सतना जिले में कन्या शालाओं की संख्या बहुत कम अर्थात् २० है । अत: कन्या शालायें उनके घरों से दूर पड़ती हैं और सह शिक्षा में बालक प्राइमरी शाला में उनके अभिभावक उन्हें भेजना पसन्द नहीं करते हैं ।

७- प्रश्नपत्र के २६वें प्रश्न के भाग ४ में ६० प्रतिशत उत्तरों के अनुसार तथा साक्षात्कार में प्रकट विचारों के अनुसारे हमारे देश में साक्षरता अभी भी कम है । कुल १६.६ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं । अत: बहुत से अभिभावक स्वयं अशिक्षित हैं तथा वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं । उनके विचार में उनकी बालिकाओं को गृह कार्य में निपुणता प्राप्त करना ही आवश्यक है और शिक्षा की कोई उपयोगिता नहीं है । अधिकांश माता पिताओं को कहते सुना गया है कि हमारी बेटी को नौकरी नहीं करनी है, उसे तो बस घर का काम संभालना होगा अत: घर का काम सीखना चाहिये जोकि उसके काम आयेगा । यदि पढ़ाई नहीं भी हुई तो कोई नुकसान नहीं है । यही नहीं कुछ पुराने विचारों की माताओं को तो यहां तक कहते सुना गया है कि पढ़ी लिखी बालिकायें बिगड़ जाती हैं, वे फैशन करके मेम बनने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती हैं ।

८- प्रश्नपत्र के २६वें प्रश्न के भाग ५ के अन्तर्गत २० प्रतिशत उत्तरों के अनुसार जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कि बालिकाओं की भर्ती के लिये कोई जोर नहीं दिया जाता है। न शिक्षकों व गांव के लोगों की ओर से उन्हें समझाने का प्रयत्न किया जाता है और न शिक्षा प्रसार के लिये ही उचित प्रचार किया जाता है।

९- प्रश्नपत्र के २६वें प्रश्न के भाग ६ के अन्य कारण के अन्तर्गत ३० प्रतिशत उत्तरों के अनुसार कुछ अभिभावक गरीबी के कारण बालिकाओं के लिये पाठ्यपुस्तकें व कापी आदि का प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं तथा न उनकी बालिकाओं के पास स्कूल जाने योग्य वस्त्र ही होते हैं, क्योंकि घर में वे काम करते समय बालिकायें फटे पुराने कपड़े पहिने रहती हैं परन्तु स्कूल जाने के लिये उन्हें स्वच्छ कपड़ों की आवश्यकता होती है। पाठन सामग्री व उचित वस्त्रों के अभाव में वे अ हीनता का अनुभव करती हैं अत: वे स्कूल नहीं जाती हैं।

१०- साक्षात्कार में ४० प्रतिशत व्यक्तियों से यह ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायतों व अधिकारियों के सम्मुख ऐसे अभिभावकों की शिकायत की गई जो अपने बालक व बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते हैं परन्तु उस पर कोई उचित मत नहीं दिया गया वरन् इसके विपरीत वे शिकायतें उपेक्षित रहीं। फलस्वरूप अभिभावकों के ऊपर कोई बाध्यता नहीं रहती जिसके कारण वे बाध्य होकर बालक व बालिकाओं को स्कूल भेजें। वे बालिकाओं से गृहकार्य में सहायता लेते हैं तथा गरीब अभिभावक नौकरी आदि में लगाकर उपार्जन करवाते हैं।

११- साक्षात्कार में २० प्रतिशत व्यक्तियों ने निम्न विचार प्रकट किया कि ऐसे अभिभावकों के लिये जोकि अपने बालक व बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते हैं आर्थिक दण्ड इतना कम है कि वे उस दण्ड की धन राशि को चुकाना पसन्द करते हैं परन्तु अपने बालक व बालिकाओं को स्कूल भेजकर अपनी अतिरिक्त आय को कम नहीं करना चाहते हैं, जोकि आज के युग में मजदूरी की दर बढ़ जाने के कारण उनके लिये बहुत है।

साक्षात्कार व प्रश्नों के उत्तरों के अनुसार अनिवार्य शिक्षा की समस्या के कारणों का सांख्यिकी विवरण ।

क्रम संख्या	कारण	प्रश्नपत्रों के १०० उत्तरों के अनुसार प्राप्त मत ।	साक्षात्कारित कुल ५० मतों प्रबन्ध के अनुसार प्राप्त मत ।	कुल प्रतिशत ।
१-	अनिवार्य शिक्षा की आयु की बालिकाओं के प्रवेश कराने का कोई प्रबन्ध नहीं ।	५० प्रति०	२५	५० प्रति०
२-	प्रधानाध्यापकों के पास ऐसे साधन न होना जिससे अभिभावकों को, बालक व बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिये बाध्य कर सके ।	४० प्रति०	२२	४१ प्रति०
३-	स्थानीय संस्थाओं की अरुचि ।	३० प्रति०	१६	३१ प्रति०
४-	बालिकाओं को घर का काम करना ।	४५ प्रति०	२५	४७प्रति०
५-	अभिभावकों की निर्धनता	४० प्रति०	१६	४० प्रति०
६-	घर से कन्याशाला की दूरी	३५ प्रति०	२०	३४ प्रति०
७-	अभिभावकों का शिक्षित न होना	६० प्रति०	३२	६४ प्रति०
८-	गांव में बालिकाओं की भरती पर जोर न दिया जाना	२० प्रति०	१५	२३ प्रति०
९-	अभिभावकों द्वारा बालिकाओं से नौकरी करवाना	३० प्रति०	१८	३२ प्रति०
१०-	ग्राम पंचायतों व अधिकारियों द्वारा अभिभावकों की गई शिकायतों की उपेक्षा ।	-	४५ प्रति०	३० प्रति०
११-	अभिभावकों के लिये दिये गये आर्थिक दण्ड का कम होना	-	२०	१३ प्रति०

अब हम अनिवार्य शिक्षा के सुगम बनाने के लिये कुछ सुझाव देंगे जिनका कि आधार सहायक जिला शाला निरीक्षकों, जिला शाला निरीक्षक तथा अनुभवी प्रधानाध्यापकों का विचार विमर्श है ।

१- इस प्रकार के मामलों में दण्ड कठोर होना चाहिये तथा उनका परिणाम दो सप्ताह में ही घोषित हो जाना चाहिये ।

२- अनिवार्यता लागू करते समय जिले के शाला निरीक्षक को मैजिस्ट्रेट अधिकार व शक्ति सौंप देनी चाहिये जिनके द्वारा वह इन मामलों को हल कर सके। कुछ लोग यह कहते हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मैजिस्ट्रेट की शक्तियां सौंप देने से उनके शैक्षणिक व प्रबन्धक कर्तव्यों में बाधायें आयेंगी व उनकी उनके कर्तव्यों में निपुणता कम होगी। परन्तु यह विचार भ्रममूलक है। इसके विपरीत इससे अनिवार्यता और प्रभावकारी होगी तथा निर्णय शीघ्र होगा।

३- स्थानीय संस्थाओं को भी इस ओर सहायता करनी चाहिये। यथा सम्भव उन्हें अपने क्षेत्र में स्कूल खोलने चाहिये। कम से कम नियम भंग करने वाले को दण्ड दिया जाने में सहायता करनी चाहिये। ऐसा कोई भी व्यक्ति बिना दण्ड पाये नहीं बचना चाहिये जिसका कि दोषी होने का ज्ञान हो गया हो।

४- अनिवार्यता को चलाने के लिये सरकारी अनुदान बढ़ने चाहिये और स्थानीय संस्थाओं को भी अनिवार्य शिक्षा को चलाने के लिये नये स्कूल खोलकर, शाला भवन आदि देकर यथा सम्भव आर्थिक सहायता करनी चाहिये अन्यथा संविधान की धारा ४५ में दिया हुआ सार्वजनिक शिक्षा के लिये १० वर्ष का समय बढ़ता ही जायेगा।

अध्याय - १२

जिले में अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिये एक योजना

पिछले अध्याय में हमने बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधायें उत्पन्न करने वाले कारणों पर विचार किया है और उनके लिये कुछ सुझाव भी दिये हैं। अब हम अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिये एक योजना प्रेषित करेंगे जिसमें वर्तमान स्कूलों के अतिरिक्त नये स्कूलों तथा व्यय की योजना बनायेंगे।

सांख्यिकी आंकड़े प्रस्तुत करने के पहले यह आवश्यक है कि हम स्पष्ट कर दें कि हमारे जिले में प्राइमरी शिक्षा सम्बन्धी योजना केवल बालिकाओं के लिये ही नहीं बनाई जा सकती क्योंकि जैसा कि हम पिछले अध्यायों में वर्णन कर चुके हैं हमारे यहां प्राथमिक शिक्षा में सह-शिक्षा है अत: केवल बालिका स्कूल ही खोले जायें या उन पर व्यय का अनुमान किया जा सके यह कठिन है। अत: अनिवार्य शिक्षा योजना बालक व बालिकाओं दोनों पर लागू की जायेगी तथा उन पर सम्बन्धित व्यय भी एकत्रित रूप में होगा। केवल बालिकाओं पर कितना व्यय होगा इसका अनुमान प्रति बालक के व्यय के अनुमान से लगाया जा सकेगा।

सांख्यिकी आंकड़े निश्चित करने के पूर्व हमें अपनी योजना की रूपरेखा उसके अंगों तथा विषयों सहित बना लेनी चाहिये जिनके आधार पर व्यय की धन राशि निश्चित होगी।

(१) सबसे प्रथम हमें वर्तमान प्राथमिक शालाओं की निश्चित संख्या का ज्ञान होना चाहिये जोकि अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने के मुख्य आधार होंगे। प्राइमरी स्कूलों की संख्या में हमें उन प्राइमरी स्कूलों की संख्या भी सम्मिलित कर लेनी चाहिये जो किसी मिडिल स्कूल व हाई स्कूल में संलग्न हैं।

(२) इसके बाद में कक्षावार भरती की संख्या का ज्ञान होना चाहिये। बिल्कुल निश्चित संख्या ज्ञात करने के लिये मार्च व अप्रैल में कक्षावार

छात्रों की संख्या ज्ञात करनी चाहिये ।

(३) यदि अनिवार्यता का नियम लागू हो तो छात्रों की भरती व उपस्थिति की अनुमानित संख्या ज्ञात करने के लिये हमें सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार अनिवार्य शिक्षा की आयु के योग्य बालक व बालिकाओं की संख्या ज्ञात करना चाहिये । इस संख्या को ज्ञात करने के बाद कुल संख्या का लगभग $\frac{1}{2}$ भाग कक्षा १ में तथा $\frac{1}{6}$ भाग प्रत्येक अन्य कक्षा में इस प्रकार से कक्षावार अनुमानित संख्या ज्ञात करनी चाहिये ।

(४) वर्तमान शिक्षक वर्ग की संख्या को छोड़कर अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या ज्ञात करने के लिये हमें प्रति ४० छात्र के लिये एक शिक्षक के हिसाब से गणना करनी चाहिये ।

एक बार योजना के लागू होने पर प्रथम वर्ष नये नियुक्त किये गये शिक्षक वर्ग अगले चार वर्ष तक तथा द्वितीय पर नियुक्त शिक्षक तीन वर्ष तक और इसी प्रकार अगले वर्षों में काम करते रहेंगे । व्यय अगले चार वर्षों तक क्रमिक रूप से बढ़ता रहेगा तथा अंतिम वर्ष का व्यय प्रति वर्ष के लिये निश्चित राशि होगी ।

हमें पहले अपने जिले में अनिवार्य शिक्षा की आयु के बालक व बालिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है ।

तालिका क्रमांक २२

जिले की तहसील के अनुसार जनसंख्या व अनिवार्य शिक्षा के आयु के बालक व बालिकाओं की संख्या

तहसील	जनसंख्या	अनिवार्य शिक्षा के आयु के बालक व बालिकाएं १२.५ प्रतिशत की दर से ।
रघुराजनगर	३०७७३०	३८४६६
नागौद	१३५९७२	१६९३४
अमर पाटन	१४२११२	१७७६४
मैहर	१०९१३८	१३६४२
कुल योग	६९४९५२	८६८०६

उपर्युक्त तालिका से हम देखते हैं कि हमारे जिले में अनिवार्य शिक्षा के आयु के कुल बालक व बालिकाओं की संख्या ८६८०६ है जिसमें से कुल ३६१३९ बालक व बालिका शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अत: अब हमें शेष ५०७४७ बालक व बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध करना है। ४० बालकों तक के लिये एक शिक्षक के हिसाब से हमारे जिले में कुल १२६८ शिक्षक चाहिये जिसमें से कुल ३६८ शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं अर्थात् कुल ४०० नये शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिये। हमें २०० शालाएं एक शिक्षक शाला के हिसाब से ग्रामों में तथा १०० स्कूलों में दो शिक्षक प्रति स्कूल के हिसाब से खोलने चाहिये इस प्रकार कुल ३०० स्कूल खोलने चाहिये जिनका वितरण निम्न प्रकार है।

तालिका क्रमांक २३

प्रति तहसील स्कूल व शिक्षकों की संख्या

तहसील	एक शिक्षक स्कूल	आवश्यक शिक्षक	दो शिक्षक स्कूल	आवश्यक शिक्षक	कुल स्कूल	कुल शिक्षक
रघुराजनगर	६०	६०	४०	८०	१००	१४०
मैहर	४०	४०	२०	४०	६०	८०
नागौद	४०	४०	२०	४०	६०	८०
अमरपाटन	६०	६०	२०	४०	८०	१००
कुल योग-	२००	२००	१००	२००	३००	४००

प्रति स्कूल व्यय के निश्चित आंकड़े देना कठिन हैं परन्तु साधारणतया व्यय का अनुमान निम्न प्रकार से किया जा सकता है:-

(अ)	प्रति शिक्षक वेतन	१० प्रति माह
(ब)	प्रति शिक्षक मंहगाई भत्ता	१० रु० प्रति माह
(स)	स्पेशल भत्ता प्रति उपस्थिति अधिकारी।	२० रु० प्रति माह
(द)	आकस्मिक व्यय	२०० रु० प्रति स्कूल प्रति वर्ष

इस प्रकार प्रति एक शिक्षक स्कूल का व्यय प्रति वर्ष लगभग १६२० रु० तथा प्रति दो शिक्षक वाले स्कूल का व्यय प्रति वर्ष लगभग २८२० रु० प्रति वर्ष आवेगा ।

निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रति तहसील प्रति वर्ष के व्यय का अनुमान किया जा सकता है ।

तालिका क्रमांक २४

रघुराज नगर तहसील में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने पर प्रति वर्ष अनुमानित व्यय

स्कूलों की संख्या १०० तथा शिक्षकों की संख्या १४० तथा चार उपस्थिति अधिकारी ।

क्रम संख्या	व्यय के विषय	दर	कितनी आवश्यकता	कुल व्यय प्रति वर्ष
१-	शिक्षक का वेतन एवं मंहगाई	१००रु० प्रति शिक्षक प्रति माह ।	१४० शिक्षकों के लिये १२ मास को ।	१६८०० रु०
२-	स्पेशल भत्ता प्रति उपस्थिति अधिकारी ।	२०रु० प्रति अधिकारी प्रतिमास ।	४ उपस्थिति अधिकारियों को म १२ मास को ।	६६० रु०
३-	आकस्मिक व्यय	२०० रु० प्रति शाला प्रतिमास।	१०० स्कूल	२०००० रु०
	कुल योग -			१८८६६०५रु०

(अगला पृष्ठ देखिये)

तालिका क्रमांक २५

मेरा तहसील में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने पर प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय - स्कूलों की संख्या ६०, शिक्षकों की संख्या ८० तथा दो उपस्थिति अधिकारी ।

क्रमसंख्या	व्यय के विषय	दर	कितनी आवश्यकता	कुल व्यय प्रतिवर्ष
१-	शिक्षक का वेतन एवं मंहगाई	१००रु० प्रति शिक्षक प्रति माह ।	८० शिक्षकों को १२मास के ।	९६००० रु०
२-	स्पेशल भत्ता प्रति उपस्थिति अधिकारी	२०रु० प्रति अधिकारी प्रतिमास ।	२ अधिकारियों को १२ मास को ।	~~१२०००-रु०~~ ४८० रु०
३-	आकस्मिक व्यय	२००रु०प्रति स्कूल प्रति मास ।	६० स्कूल	१२००० रु०
	कुल योग -			१०८४८०रु०

तालिका क्रमांक २६

नागौद तहसील में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने पर प्रति वर्ष अनुमाति व्यय - स्कूलों की संख्या ६०, शिक्षकों की संख्या ८०, दो उपस्थिति अधिकारी ।

क्रम	व्यय के विषय	दर	कितनी आवश्यकता	कुल व्यय प्रतिवर्ष
१-	शिक्षक का वेतन एवं मंहगाई	१००रु० प्रति शिक्षक प्रति मास।	८० शिक्षकों को १२ मास को।	९६०००रु०
२-	स्पेशल भत्ता प्रति उपस्थिति अधिकारी	२०रु० प्रति अधिकारी प्रतिमाह ।	२ अधिकारियों को १२ मास को।	४८०रु०

३-	आकस्मिक व्यय	२००रु० प्रति स्कूल प्रति वर्ष	६० स्कूल	१२०००रु०
		कुल योग		१०८४८० रु०

तालिका क्रमांक २६

अमर पाटन तहसील में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने पर अनुमानित व्यय स्कूलों की संख्या ८०, शिक्षकों की संख्या १००, तीन उपस्थिति अधिकारी ।

क्रमसंख्या	व्यय के विषय	दर,	कितनी आवश्यकता	कुल व्यय प्रति वर्ष
१-	शिक्षक का वेतन एवं मंहगाई	१००रु० प्रति शिक्षक प्रति मास ।	१०० शिक्षकों का १२ मास को ।	१२००००रु०
२-	स्पेशल भत्ता प्रति उपस्थिति	२०रु० प्रति अधिकारी प्रति मास ।	३ अधिकारियों को १२ मास को।	७२० रु०
३-	आकस्मिक व्यय	२००रु० प्रति स्कूल प्रतिवर्ष ।	१००	२००००रु०
		कुल योग -		१४०७२० रु०

तालिका क्रमांक २७

सतना जिले में तहसील अनुसार तथा कुल व्यय प्रति वर्ष (अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने पर) एक दृष्टिपात में ।

क्रमसंख्या	तहसील	अनुमानित व्यय
१-	रघुराजनगर	१८८६६० रु०
२-	मैहर	१०८४८० रु०
३-	नागौद	१०८४८० रु०
४-	अमर पाटन	१४०७२० रु०
	अन्य व्यय (सामग्री, भवन आदि पर)	१०००० रु०
	कुल योग -	५५६६४०रु०

जैसा कि पिछली तालिकाओं से प्रकट है, यदि अनिवार्य शिक्षा योजना जिले में लागू की जाय तो प्रतिवर्ष लगभग ५५६६४० रु० और अधिक व्यय होगा तथा अनिवार्यता उन सभी बालक व बालिकाओं पर लागू हो जावेगी जो अभी स्कूलों में पढ़ते हैं या जो आगे भर्ती होंगे तथा जो प्रायमरी शिक्षा पास किये बिना स्कूल छोड़ देते हैं। इस प्रकार शीघ्रातिशीघ्र जिले में साक्षरता का प्रसार होकर निरक्षरता का लोप होगा तथा हमारे संविधान में दी हुई धारा ४५ के अनुसार १० वर्ष में सार्वजनिक शिक्षा की योजना को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी।

५५६६४० रु० की धन राशि जो ऐसी महत्वपूर्ण योजना पर प्रति वर्ष की जायेगी अधिक नहीं कही जा सकती। यदि स्थानीय संस्थायें व महाजन सेठ लोग सरकार को इस योजना के लिये आर्थिक सहयोग दें तो जिले से शीघ्र ही निरक्षरता का लोप हो जायेगा।

अध्याय - १३

उपलब्धियाँ, निष्कर्ष एवं सुझाव

उपलब्धियाँ:-

(१) धन के रूप में प्राथमिक शिक्षा में क्षति अधिक है। क्योंकि ५ वर्ष के परीक्षाफल तथा भर्ती के आँकड़ों के देखने से ज्ञात होता है कि कुल १५.२ प्रतिशत बालिकायें सन् १९६०-६१ में प्राथमिक परीक्षा पास कर सकीं।

(२) प्राथमिक शिक्षा में क्षति व अवरोध सन् १९५६-५७ में क्रमशः ५४.७ प्रतिशत तथा २५.५ प्रतिशत था परन्तु सन् १९६०-६१ में ५८ प्रतिशत से २६.८ प्रतिशत तक हो गया जिससे स्पष्ट है क्षति व अवरोध बढ़ा है। कारण शिक्षा प्रसार की ओर अधिक ध्यान देना तथा गुण की ओर कम कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे -

(अ) पहली कक्षा में अनिपुण शिक्षण, (ब) एक शिक्षक स्कूल (स) पाठ्यक्रम में जटिलता, (द) उत्साहवर्धन की कमी, (इ) संरक्षकों की असावधानी व उदासीनता (फ) अनियमित भरती (य) अनियमित उपस्थिति, (र) शाला का वातावरण, (ल) शिक्षकों का व्यवहार, (व) गरीबी, (श) अधिक आयु व विवाह, (ह) अभिभावकों का स्थानान्तरण आदि।

(३) अभी २७ प्रतिशत अध्यापक व ४२.२ प्रतिशत अध्यापिकायें अप्रशिक्षित हैं। अप्रशिक्षित शिक्षक क्षति व अवरोध के कुछ अंशों तक उत्तरदायी होते हैं। शिक्षकों का प्रशिक्षण न होने के कई कारण हैं, यथा -

(अ) जिले में एक ही प्रशिक्षण स्कूल है, (ब) नवनियुक्त शिक्षकों में बहुत कम संख्या में प्रशिक्षित होते हैं, (स) शिक्षक प्रशिक्षण की ओर रुचि नहीं दर्शाते क्योंकि उन्हें कोई विशेष वेतन वृद्धि व लाभ नहीं मिलता,

(द) कोई अच्छा पद पाने पर अधिकांश शिक्षक नौकरी छोड़ देते हैं फलत: नये शिक्षकों को फिर से प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ती है ।

(४) शाला भवनों की दशा शोचनीय है । अधिकांश में प्रकाश, स्वच्छ वायु, पर्याप्त स्थान व खेल के मैदान की कमी है । कारण -

(अ) मंहगाई बढ़ जाने से निर्माण कार्य में शिथिलता आ गई है, (ब) जनता व स्थानीय संस्थायें रुचि नहीं लेतीं (स) सरकार भी सीमित धन ही व्यय करती है ।

(५) अधिकांश स्कूलों के पास उचित सामग्री भी नहीं है । कारण -

(अ) स्थानीय संस्थायें सहयोग नहीं देतीं, (ब) वितरण के समय सहायक जिला शाला निरीक्षकों की रिपोर्ट का ध्यान नहीं रखा जाता, (स) आंतरिक क्षेत्रों के स्कूल उपेक्षित रहते हैं ।

(६) सह पाठ्यक्रियाएं भी उचित रूप से नहीं होती । कारण -

खेल का मैदान, सामग्री व प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है । शारीरिक शिक्षा तथा हस्तकला की ओर भी उचित ध्यान नहीं दिया जाता तथा विशेष उन्नति नहीं है ।

(७) लगभग सभी बालक प्राथमिक शालाओं में सह-शिक्षा है । परन्तु उसमें कई समस्याएं सम्मुख आती हैं -

(अ) गार्हस्थ्य शास्त्र व शिल्प कला के शिक्षण में कठिनाई, (ब) वातावरण उचित बनाये रखने की समस्या, (स) बालिकायें स्वच्छन्दता अनुभव नहीं करतीं । सह शिक्षा के कई कारण हैं - (अ) पुत्री शालायें दूर हैं, (ब) पुत्री शाला में प्रवेश नहीं मिलता, (स) पुत्री शालाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है, (द) कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी बालिकायें बालकों के स्कूलों में जाती हैं ।

(८) शालाओं की संख्या को देखते हुए सहायक जिला शाला निरीक्षकों की संख्या कम है । परन्तु एक नई और अच्छी प्रणाली केन्द्र प्रणाली के रूप में है । ये केन्द्र शालायें अपने अधीनस्थ केन्द्रीय शालाओं और अधिकारियों

के बीच माध्यम स्वरूप हैं । यह केन्द्र शालायें निम्न कार्य करती हैं -

(अ) केन्द्रीय शालाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति, (ब) केन्द्रीय शालाओं को सामान वितरण, (स) कर्मचारियों में वेतन विवरण, (द) सूचनायें पहुंचाना आदि । कुछ दोष भी इस प्रणाली में हैं, जैसे कार्य में अधिक समय लगना, पक्षपात आदि ।

(६) सतना जिले में अभी अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं है । फलस्वरूप अनिवार्य शिक्षा आयु की बहुत सी बालिकायें स्कूल नहीं आतीं । इसके कई कारण हैं:-

(अ) छात्राओं की भर्ती पर कोई जोर नहीं दिया जाता ।

(ब) छात्रायें घर में व अन्य स्थानों में कार्य करती हैं ।

(स) गरीबी ।

(द) अभिभावकों की उदासीनता आदि ।

निष्कर्ष एवं सुझाव:-

(क) धन की क्षति बचाने के तथा सदुपयोग के लिये निम्न उपायों का प्रयोग होना चाहिये ।

(अ) अन्य विभागों जैसे गृह विभाग के उच्चाधिकारियों के सहयोग से अनिवार्य भरती पर जोर दिया जाय ।

(ब) रेडियो आदि द्वारा उचित प्रचार हो ।

(स) राज्य सरकार अधिकतम भरती पर कुछ इनाम घोषित कर ग्रामों व नगरों में प्रोत्साहन व प्रतियोगिता की भावना भरे ।

(ख) शिक्षा में क्षति व अवरोध बहुत है । इसे दूर करने के लिये निम्न उपाय काम में लाये जायें:-

(अ) पहली कक्षा के लिये योग्य व अनुभवी शिक्षिका हो ।

(ब) एक शिक्षक स्कूल में दो शिफ्ट चाहिए जायें ।

(स) पाठ्यक्रम को रोचक व सरल बनाया जाये ।

(द) छात्राओं को उचित प्रोत्साहन दिया जाये ।

(इ) अनियमित उपस्थिति को दूर करने के प्रयत्न हों ।

(फ) प्रचार द्वारा अभिभावकों की शिक्षा की ओर रुचि जागृत की जाय ।

(भ) अनियमित भर्ती बन्द की जाय ।

(य) शाला का वातावरण मोहक बनाया जाय ।

(र) गरीब छात्रों को व छात्राओं को छात्रवृत्ति व पुस्तकों आदि की सहायता दी जाय ।

(ल) जनता में शिक्षा के लिये प्रचार हो ।

(व) योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो व प्रशिक्षण का प्रबन्ध हो ।

(ग) शिक्षकों में अभी बहुत से अप्रशिक्षित शिक्षक हैं अतस्व उनके प्रशिक्षण पर जोर दिया जाये:-

(अ) जिले में कम से कम एक प्रशिक्षण विद्यालय और खोला जाय ।

(ब) रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था हो ।

(स) शिक्षकों की नियुक्ति प्रतियोगिता के आधार पर हो ।

(द) कार्य के मुल्यांकन पर तीन वर्षीय प्रमाण पत्र दिये जायें जो क्रमिक ३ बार पाने पर स्थायी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र माने जायें ।

(इ) प्रशिक्षित अध्यापकों की वेतन श्रेणी अप्रशिक्षित शिक्षकों से अधिक हो ।

घ) शाला भवनों में अधिकांश की दशा खराब है । उनमें स्थान, प्रकाश, वायु की कमी है । इसके लिये निम्न उपाय काम में लाये जायें:-

(अ) पुराने स्कूलों की मरम्मत हो तथा निर्माण कार्य में जनता व स्थानीय संस्थाओं का सहयोग मांगा जाय ।

(ब) जो नये स्कूल खोले जायें उनके लिये भवन की रूपरेखा पहले ही बनाकर ग्रामों में भेज दीजाये तथा सहायक जिला शाला निरीक्षक स्वयं जाकर स्थान का निरीक्षण करें ।

(स) जहां स्थान की कमी हो दो शिफ्ट चलाई जायें ।

(द) धार्मिक स्थान, जैसे मन्दिर आदि व चौपालों में भी आवश्यकता पर स्कूल लगाये जायें ।

(च) पाठन व अन्य सामग्री की कमी को दूर करने के लिये निम्न कुछ उपाय काम में लाये जायें:-

(अ) सहायक जिला शाला निरीक्षक की रिपोर्ट का वितरण के समय ध्यान रखा जाये ।

(ब) सामान का वितरण सत्र के शुरु में अथवा दिसम्बर तक सूची तैयार कराकर हो जाना चाहिये ।

(स) शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षकों से तैयार कराई जाये व उनकी इस ओर रुचि जाग्रत करने के लिये बनाई हुई सामग्री की एक प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी हो और उत्तम सामग्री बनाने वाले शिक्षक को पुरस्कार दिया जाये ।

(छ) (अ) सह पाठ्यक्रियायें, शारीरिक शिक्षा व हस्तकलाओं को उत्तम ढंग से चलाने के लिये शालाओं में इनके विषय में प्रशिक्षित अध्यापक व आवश्यक सामग्री दी जाये । सभी शालाओं में खेल के मैदानों का प्रबन्ध हो । बालकों द्वारा तैयार सामग्री बेचने की व्यवस्था की जाये ।

(ब) पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें बालकों की रुचि के अनुकूल मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार किये जायें ।

(ज) प्रबन्ध व निरीक्षण में कुशलता लाने हेतु निम्न सुझावों का प्रयोग किया जाये:-

(अ) सहायक जिला शाला निरीक्षकों की संख्या बढ़ाई जावे ।

(ब) सहायक जिला शाला निरीक्षकों की रिपोर्ट का विशेष ध्यान रखा जावे ।

(स) केन्द्र स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निरीक्षण अधिकार दिये जायें ।

(द) केन्द्र स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को विशेष भत्ता व छुट्टी दी जायें ।

(इ) केन्द्र स्कूलों में एक चपरासी व उसके लिये साइकिल का प्रबन्ध हो जिससे सूचनायें शीघ्र मंगाई व भेजी जा सकें ।

([illegible]) केन्द्र स्कूलों में एक पुस्तकालय हो।

([illegible]) [illegible] शिक्षा प्राथमिक शाला में चालू रहे इसके लिये लगभग [illegible] हैं, परन्तु इसकी समस्याओं को सुलझाने के लिये निम्न उपाय [illegible] में लाये जायें:-

(अ) ऐसे स्कूलों में स्त्री शिक्षिकायें भी हों जिनसे गार्हस्थ्य शास्त्र व [illegible]कला आदि की शिक्षा भलीभांति हो सके।

(ब) ऐसे स्कूलों में जहां सह शिक्षा हो बालिकाओं के लिये भी खेल सामग्री प्रदान की जाये।

(स) खेल के समय बालिकाओं के लिये अलग खेल का प्रबन्ध हो तथा टूर्नामेण्ट के समय विभिन्न स्कूलों की छात्राओं की अलग प्रतियोगिता हो।

(द) पुत्री शालाओं की व्यवस्था ठीक की जाये।

(य) जिन पुत्री शालाओं में स्थान की कमी के कारण प्रवेश नहीं मिलता, उन शालाओं में अधिक स्थान का प्रबन्ध किया जाय तथा दो शिफ्ट चलाई जायें।

([illegible]) अनिवार्य शिक्षा योजना को चालू करने के लिये अनिवार्य भर्ती पर जोर दिया जाय।

(अ) केन्द्र स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को उपस्थिति अधिकारी बनाया जाये व इसके लिये उन्हें अलग से स्पेशल भत्ता दिया जाये।

(ब) जिला शाला निरीक्षकों को मैजिस्ट्रेट के अधिकार दिये जायें जिससे ऐसे विषयों में जबकि अभिभावकों के विरुद्ध उनके बालकों को स्कूल न भेजने के आरोप लगाये गये हों, शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

(स) ऐसे अभिभावकों को जिन पर बालकों के स्कूल न भेजने के आरोप पर लगाये गये हों, कठोर दण्ड दिया जाय।

(द) बाल विवाह पर कठोर नियंत्रण हो।

(इ) अभिभावकों को शिक्षा की महत्ता बताने व उनकी उनके बालकों

की शिक्षा में रुचि जागृत करने हेतु उचित प्रचार हो ।

(फ) अच्छा हो, कि समाज शिक्षा द्वारा ऐसे अभिभावकों को जो शिक्षित नहीं हैं शिक्षा दी जाय । जिससे वे शिक्षा के महत्व को समझें ।

(ठ) सतना जिले में अनिवार्य शिक्षा चालू करने के लिये एक योजना भी अन्वेषण में सम्मिलित है जिसमें व्यय आदि का विवरण दिया गया है ।

परिशिष्ट अ

अनुक्रमणिका

१- जिला शाला निरीक्षक, सतना की वार्षिक रिपोर्ट, १९५६-५७ ।

२- जिला शाला निरीक्षक, सतना की वार्षिक रिपोर्ट, १९५७-५८ ।

३- जिला शाला निरीक्षक, सतना की वार्षिक रिपोर्ट, १९५८-५९ ।

४- जिला शाला निरीक्षक, सतना की वार्षिक रिपोर्ट, १९५९-६० ।

५- जिला शाला निरीक्षक, सतना की वार्षिक रिपोर्ट, १९६०-६१ ।

६- अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार, जनवरी-फरवरी १९६१ ।

इस अन्वेषण के संबंध में निम्न पुस्तकें भी उपयोगी ज्ञात हुईं-

१- देसाई, डी०डी०: भारत में प्राथमिक शिक्षा: सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसायटी, कलकत्ता ।

२- कृष्णैया, डी०एस०: ग्रामीण समुदाय और स्कूल: वाय०एम०सी०ए० प्रेस, कलकत्ता ।

३- हिप्पी, एच०: भारत के प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के लिये सुझाव । आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन ।

४- भूमा, आई०डबल्यू०: शिक्षा और ग्रामीण सुधार : आक्सफोर्ड प्रेस, लन्दन ।

५- बसु, एस०सी०: भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्यायें: सेन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, कलकत्ता ।

६- माथुर, बी०एस०: गांधी जी एक शिक्षा विशारद ।

साक्षात्कार किये गये महानुभावों व महिलाओं की सूची

१- श्री आर०एस० मिश्र, जिला शाला निरीक्षक
२- श्री विक्रमादित्य तिवारी, उप-स जिला शाला निरीक्षक
३- श्री काशी प्रसाद दुबे, सहायक जिला शाला निरीक्षक
४- श्री अवध बिहारी गौर ,,
५- श्री सिराजुद्दीन सिद्दीकी ,,
६- श्री भंवर लाल जासू ,,
७- श्री शिव भूषण सिंह ,,
८- श्री शशिधर द्विवेदी ,,
९- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ,,
१०- श्री लाल जी श्रीवास्तव ,,
११- श्री तिवारी ,,
१२- श्री शब्बीर अहमद सिद्दीकी ,,
१३- श्री प्रभू दयाल खरे ,,
१४- श्री सिंह ,,
१५- श्री देव शरण गर्ग, प्रधानाध्यापक, गुजराती पाठशाला, सतना
१६- श्री मोती लाल दीक्षित ,, केन्द्र बेसिक प्राथमिक पाठशाला, सतना
१७- श्री जाफर अली ,, प्राथमिक शाला, पड़ाव, सतना
१८- श्री शिव लाल सिंह ,, प्राथमिक शाला, मौहार
१९- श्री जयमंगल सिंह तिवारी ,, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला, हिनौती।
२०- श्री भैयालाल द्विवेदी ,, प्राथमिक शाला, जनार्दनपुर
२१- श्री महेन्द्रपाल सिंह ,, ,,
२२- श्री नारायण सिंह ,, प्राथमिक शाला, नागौद
२३- श्री रामनरेश मिश्र ,, प्राथमिक शाला, देवराजनगर
२४- श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव ,, जू०हा०स्कूल, सितपुरा

२५- श्रीमती कमला देवी, प्रधानाध्यापिका, खरमखेड
२६- श्रीमती राजकुमारी ,, कन्या पाठशाला, अमरपाटन
२७- श्रीमती रामप्यारी देवी, ,, बा०प्रा०पा० रामपुर
२८- श्रीमती स्लबर्ट, ,, सिन्धी कैम्प ।
२९- श्रीमती चन्द्रकली देवी पाण्डे ,, सेजहटा
३०- श्रीमती गिरजा कुमारी ,, कुलगढ़ी
३१- कुमारी सुधा शुक्ल ,, सोहाबल ।
३२- श्री रामखेलावन द्विवेदी, प्रधानाध्यापक, प्रा०शाला, लोधरी
३३- श्री बन बिहारी लाल श्रीवास्तव, ,, केमार (बेला)
३४- श्री केशव प्रसाद ,, सहिया (बेला)
३५- श्री बाला प्रसाद वर्मा ,, सज्जनपुर
३६- रामानुज प्रताप सिंह ,, दलदल
३७- श्री बिहारी लाल निगम ,, सिंहपुर
३८- श्री बसन्तलाल खरे ,, रैगांव
३९- श्री गंगा सिंह ,, डगडीहा
४०- श्री रमाशंकर तिवारी ,, रहिकवारा
४१- श्री यमुना प्रसाद अग्रवाल ,, जलो
४२- श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव ,, खुटठा
४३- श्री विश्वेश्वर नाथ सिंह ,, कोटर
४४- श्री ईश्वर दीन द्विवेदी ,, अमरपाटन
४५- श्री अवध बिहारी श्रीवास्तव ,, बिरसिंहपुर
४६- श्री महेश दत्त पाठक ,, मैहर
४७- श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल ,, उचहरा
४८- श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र ,, मटनवारा
४९- श्रीमती सुरेश्वरी देवी, प्रधानाध्यापिका, स०पा०, रैगांव
५०- श्रीमती ~~सुरेश्वरी देवी~~ सरस्वती देवी ,, कोठी ।

परिशिष्ट स

उन प्रश्नों का विशद विवरण जिनके आधार पर साक्षात् भेंटों में विचार विमर्श किया गया ।

१- जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर आपके विचार से ग्राम स्कूलों में कम उपस्थिति के क्या कारण हैं?

२- शिक्षा पद्धति की ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जिनके कारण उपस्थिति कम होती है?

३- कम उपस्थिति के लिये प्राकृतिक कठिनाइयां कौन कौन सी हैं?

४- उपस्थिति की कमी को दूर करने के लिये आपके क्या सुझाव हैं ?

५- आपके विचार प्राथमिक शिक्षा में क्या अप्रशिक्षित शिक्षक बच्चों कु स्वभाव के अनुसार व्यवस्था करने में असमर्थ होते हैं? यदि हां, तो किन बातों में ?

६- शिक्षण के दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षा के प्रथम व अंतिम कक्षा में कौन सी कक्षा महत्वपूर्ण है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि छोटे ~~सिक~~ बच्चों के लिये छोटे शिक्षक व बड़े बच्चों के लिये बड़े शिक्षक हो?

७- एक शिक्षक स्कूल के विरोध में या पक्ष में आपके क्या विचार हैं?

८- विकास योजना १३३ के अन्तर्गत नये स्कूल खोलने में आपने कौन सी विभागीय व शासकीय त्रुटियों को अनुभव किया है? उनके संबंध में आपके क्या सुझाव हैं?

९- क्या आप सहमत हैं कि अपूर्ण प्राइमरी स्कूल बड़े स्कूलों के लिये बिना उनके शिक्षा स्तर को गिराये पोषक सिद्ध होते हैं? यदि हां, तो कारणों का उल्लेख कीजिये ।

१०- गरीबी तथा अभिभावकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं? क्या इस प्रकार बच्चों की शिक्षा व उपस्थिति पर प्रभाव पड़ता है? इसको दूर करने के लिये क्या सुझाव हैं?

११- छोटी कक्षाओं में गृह परीक्षा पर अपने विचार प्रकट किरिये और उनके सुधार के लिये सुझाव दीजिये ।

१२- क्या भर्ती के लिये कोई निश्चित समय होना चाहिये?

१३- प्राथमिक शालाओं में क्षति व अवरोध रोकने के लिये आपके क्या सुझाव हैं और उनमें से प्रत्येक किस भाँति क्रियान्वित हो सकता है?

१४- एक ही स्कूल में प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन श्रेणी में विभिन्नता के आप पक्ष में हैं या विपक्ष में? अपने मत के समर्थन में कारण दीजिये ।

१५- आपके मत से तीव्र बुद्धि के लोगों की शिक्षा व्यवसाय की ओर अरुचि होने के क्या कारण हैं ?

१६- आपके मत से शिक्षकों को नार्मल ट्रेनिंग व बेसिक ट्रेनिंग में जाने के लिये अरुचि होने के क्या कारण हैं?

१७- प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों के स्तर को सुधारने के लिये आपके क्या सुझाव हैं?

१८- शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिये प्रेरित करने के लिये आपके क्या सुझाव हैं?

१९- प्रशिक्षण के लिये मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्रों के प्रति आपके क्या विचार हैं? इसके सुधार के लिये आपके क्या सुझाव हैं?

२०- प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों की भर्ती के लिये क्या सुझाव आप देते हैं?

२१- आपके विचार जिले में वर्तमान शाला भवनों में क्या दोष हैं?

२२- विकास योजना १३३ के अनुसार ग्रामीणों द्वारा शाला भवन के निर्माण में सुधार हेतु आपेक क्या सुझाव हैं?

२३- स्थान व भवन की समस्या के लिये आपके क्या सुझाव हैं?

२४- यदि आपके मत से हमारी प्राथमिक शालाओं में सामग्रियों की कमी है तो उसके क्या कारण हैं?

२५- हमारे बच्चों के स्कूलों को मितव्ययिता से सामग्री से परिपूर्ण करने के लिये आपके क्या सुझाव हैं?

२६- शिक्षक वग्रामीण इस समस्या का तात्कालिक निदान किस प्रकार आप कर सकते हैं?

२७- क्या आपके मत से प्राइमरी शिक्षा को सरकारी नियंत्रण व अधिकार से हटाकर स्थानीय संस्थाओं को सौंप देना उचित होगा ? अपने विचारों की पुष्टि कीजिये ।

२८- क्या आप सहमत हैं कि प्राथमिक शालाओं में वर्तमान कार्य प्रणाली पूर्व की अपेक्षा निकृष्ट है? यदि हाँ, तो उसके लिये शासन व नियंत्रण किस सीमा तक उत्तरदायी है?

२९- जिला शाला निरीक्षक व स्थानीय संस्थाओं में सहयोग उत्पन्न करने के लिये आपके क्या सुझाव हैं?

३०- क्या आपके विचार से जिला शाला निरीक्षक का स्कूलों पर नैतिक के सिवा अन्य कोई नियंत्रण नहीं है? क्यों? इसके सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं?

३१- जिला शाला निरीक्षकको नियंत्रण के लिये अधिक योग्य बनाने हेतु आपके क्या सुझाव हैं?

३२- आपके विचार से क्या निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रबन्ध व निरीक्षण उपयुक्त होता है?

३३- निरीक्षण व प्रबन्ध को अधिक उपयुक्त बनानेहेतु आपके क्या सुझाव हैं ?

३४- निरीक्षक वर्ग को व्यावसायिक सुझाव देने के लिये स्थानीय संस्थाओं को किस प्रकार सचेत रखा जा सकता है?

३५- बालकों को घर में दूषित वातावरण मिलने के आपके मत से क्या कारण हैं?

३६- बालकों के घर के दूषित वातावरण को सुधारने हेतु कुछ क्रियान्वित सुझाव दीजिये ।

३७- बालकों व बालिकाओं की स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं ? उनके सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं?

३८- स्कूलों में पाठ्यक्रम क्रियाओं के सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं?

३९- आपके मत से प्राइमरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन होने चाहिये?

४०- आपके मत से जिले में केन्द्रानुसार अनिवार्यता से सफलता मिलेगी? अपने कथन की पुष्टि कीजिये ।

४१- अनिवार्य शिक्षा योजना को सफल बनाने हेतु अपने सुझाव दीजिये ।

श्रीमान् प्रधान अध्यापक महोदय । प्रधान अध्यापिका महोदया

प्राथमिक शाला । माध्यमिक शाला प्राथमिक विभाग ।

....

मैं सतना जिले की बालिकाओं की नि:शुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान कर रही हूं । इस अनुसंधान का उद्देश्य सतना जिले की बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में प्रस्तुत कठिनाइयों को ज्ञात करना है । मेरे कार्य की सफलता आपके सहयोग पर निर्भर है । अत: प्रार्थना है कि निम्नलिखित बातों का यथार्थ प्रामाणिक उत्तर इसी पत्रक पर लिखकर यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें ।

अधिकांश प्रश्नों के उत्तर उन्हीं प्रश्नों के नीचे व सम्मुख दिये हुए हैं । आप जिन उत्तरों से सहमत हों उनके सम्मुख: का चिन्ह तथा जिन उत्तरों से असहमत हों उनके सम्मुख: : का चिन्ह लगा दें तथा रिक्त स्थानों में आवश्यकतानुसार अपना मत भी लिखें ।

आपके उत्तर पूर्णरूपेण गुप्त रहेंगे तथा इनका उपयोग केवल अनुसंधान कार्य के द्वारा शिक्षण कार्य के रूप में किया जायेगा ।

प्रेषक

हस्ताक्षर -

(श्रीमती शंकर देवी मिश्र)

केयर आफ जे०एन०मिश्र,

सेक्शन कन्ट्रोलर, सेन्ट्रल रेल्वे, सतना ।

शाला: १- प्राथमिक । माध्यमिक शाला का प्राथमिक विभाग..............

२- शाला ग्राम तथा उसके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की कुल जनसंख्या...

उपस्थिति: ३- शाला की निम्नांकित ५ वर्षों की बालिकाओं की उपस्थिति का विवरण-

सन्	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१
औसत दर्ज छात्र संख्या					
औसत उपस्थिति					

४- सन् १९६०-६१ की औसत लिखित छात्रों की संख्या और उपस्थिति का मासिक उल्लेख कीजिये ।

माह	जुलाई ६०	अगस्त ६०	सितम्बर ६०	अक्टूबर ६०	नवम्बर ६०	दिस० ६०	जन० ६१	फर० ६१	मार्च ६१	अप्रैल ६१
औसत लिखित संख्या										
औसत उपस्थिति										
जिन माहों में औसत उपस्थिति ७५ प्र०श० से कम हो तो उसके कारण										

अवरोध व क्षति: ५- निम्नांकित खानापूरी कीजिये:-

सन्	पहिली कक्षा में भर्ती बालिकाओं की दर्ज संख्या	खाना २ में बिना पास किये शाला छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या	खाना २ की बालिकाओं में अनुत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या कक्षावार	खाना २ में से प्राथमिक पास करने वाली बालिकाओं की संख्या ।
१	२	३	४	
१	२	३	४	

१९५६-५७

१९५७-५८

१९५८-५९

१९५९-६०

१९६०-६१

कारण: ६- बिना प्राथमिक परीक्षा पास किये अधिकांश बालिकाओं ने शाला क्यों छोड़ दी?

१- शाला के वातावरण से भयभीत होकर

२- शिक्षकों की डांट के भय से

३- पाठ्यक्रम न समझ सकने के कारण

४- पुस्तकें व पठन सामग्री न जुटा सकने के कारण

५- बीमारी के कारण

६- गृह कार्य में सहायता देने के कारण

७- संरक्षकों की उदासीनता

८- अधिक आयु या विवाह हो जाने के कारण

९- शाला में अध्यापिका होने के बजाय अध्यापक होने के कारण

१०- रुचि के अनुकूल विषय न पढ़ाये जाने के कारण

११- अन्य कारण ।

७- उन कारणों का उल्लेख कीजिये जिनमें बालिकायें निश्चित समय में प्राथमिक परीक्षा नहीं पास कर सकीं ।

१- पहली कक्षा में अनिपुण शिक्षण

२- एक शिक्षक स्कूल होने के कारण

३- पाठ्यक्रम से बाहुल्यता या जटिलता

४- उत्साहवर्धन की कमी

५- संरक्षकों की असावधानी

६- अनियमित उपस्थिति

७- अनियमित भर्ती

८- अन्य बातें

:६- प्राथमिक शाला के अप्रशिक्षित शिक्षकों का विवरण

क्रम	नाम शिक्षक	पद	योग्यता	विवरण
१				
२				
३				
४				
५				
६				
७				
८				
६				

:१०- अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण क्यों नहीं हो पाया ।

१- प्रशिक्षण में चुने नहीं गये

२- अपनी आर्थिक या अन्य परिस्थिति से विवश हो न जा सके

३- अधिक आयु होने के कारण

४- अनुत्तीर्ण होने के कारण

५- अन्य बातें

:११- शाला के ऐसे शिक्षकों का प्रतिशत जिन्हें वेतन की कमी के कारण प्रायवेट ट्यूशन या खेती बारी में समय लगाना पड़ता है ।

:१२- शाला भवन का विवरण दीजिये ।

१- संस्था क्या स्वतंत्र भवन है या किराये का : स्वतंत्र भवन । किराये

२- वार्षिक किराया

३- शाला में पर्याप्त स्थान व खेल का मैदान है: हां । नहीं ।

४- कमरों के अन्दर प्रकाश व वायु संचार पर्याप्त है या नहीं: हां। नहीं

:१३- पाठ्य व आवश्यक सामग्री:

शाला में पर्याप्त सामग्री है या नहीं निम्नलिखित खानापूरी कीजिये :

क्रमांक	संख्या	पर्याप्त है या नहीं।	यदि अपर्याप्त है तो कितनी चाहिये।
१- टाट			
२- डेस्क			
३- कुर्सी			
४- टेबुल			
५- आलमारी			
६- घड़ी			
७- लोटा			
८- बाल्टी			
९- श्यामपट			
१०- नक्शे			
११- चार्ट्स			
१२- डस्टर			
१३- प्वाइंटर			
१४- चाक			
१५- पाठ्यपुस्तकें			
१६- कुदाली			
१७- फावड़ा			
१८- खम्भा			
१९- फव्वारा			

:१४- सह पाठ्य क्रियायें:

आपकी शाला में निम्नलिखित सह पाठ्य क्रियाओं में से कौन कौन सी होती हैं:-

क्रियाएं	हां या नहीं	महीने में कितने दिन होती हैं

१- पर्यटन

२- स्काउटिंग

३- गर्ल्स गाइडिंग

४- बाल सभा

५- वाद विवाद

६- सांस्कृति कार्यक्रम

७- खेलकूद

८- अन्य

:१५- क्या उपर्युक्त क्रियाओं में सभी विद्यार्थी भाग लेते हैं या कुछ चुने हुए:

:१६- क्या उपर्युक्त क्रियाओं को चलाने के लिये पर्याप्त सामग्री है? हां। नहीं

:१७- इसको चलाने के लिये आपकी क्या आवश्यकतायें एवं सुझाव हैं?

१-

२-

३-

४-

५-

:१८- शारीरिक शिक्षा:

१- क्या शाला में स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा का प्रावधान है? हां। नहीं

२- क्या कोई इस सम्बन्ध में प्रशिक्षित अध्यापक शाला में है: हां। नहीं

३- क्या आवश्यक सामग्री पर्याप्त है: हां। नहीं

४- यदि नहीं है तो आपकी क्या आवश्यकतायें हैं:

क-

ख-

ग-

घ-

:५- ५-सप्ताह में कितने दिन इस प्रकार की शिक्षा को अवसर मिलता है?

:१९- क्या विद्यार्थी का स्वास्थ्य सम्बन्धी निरीक्षण होता है: हाँ। नहीं
यदि हाँ, तो साल में कितने बार और किसके द्वारा होता है:

१- एक बार २- दो बार ३- तीन बार

क- डाक्टर द्वारा ख- वैद्य द्वारा ग- शिक्षक द्वारा द- अन्य

:२०- हस्तकला:

क्या शाला में हस्तकला का प्रावधान है: हाँ। नहीं:

क- यदि हाँ तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी कलायें सिखाई जाती हैं:

१- मिट्टी कला

२- काष्ठ कला

३- कताई व बुनाई

४- चटाई व चिकें बनाना

५- टोकरी व पंखे बनाना

६- कागज का नाम

७- अन्य कोई

ख- क्या शाला में सिखलाई जाने वाली कलाओं के उपयुक्त सामग्री है: हाँ। नहीं

ग- यदि नहीं तो किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है:

१-

२-

३-

:२१- पाठ्यक्रम

शाला में आपके अनुभव के अनुसार ऐसे कौन नये विषयों का शिक्षण प्रारम्भ होना चाहिये जो बालिकाओं के भावी जीवन के लिये उपयोगी हो व शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करे ।

१-

२-

३-

:२२- पाठ्य पुस्तकें

क- क्या पाठ्यपुस्तकों के पाठ बालिकाओं के रुचि के अनुकूल हैं: हां।नहीं

ख- यदि नहीं तो ऐसे विषयों का नाम दीजिये जिन पर पाठ्य पुस्तकों में पाठ होने चाहिये । उदाहरण के लिये दो विषय दिये गये हैं:

१- गार्हस्थार्थिक जीवन

२- सामाजिक जीवन

३-

४-

५-

:२३- आपके गांव या क्षेत्र में प्रायवेट स्कूल हैं यदि हां तो कितने:

क- उसकी स्थिति: १- गांव के बीच में २- गांव के बाहर ३-

ख- शिक्षक का नाम................. उसकी योग्यता........

ग- छात्रों से क्या फीस ली जाती है

घ- छात्रों की संख्या

ङ०- क्या छात्रायें भी स्कूल में पढ़ती हैं

च- उस स्कूल से निकटतम राजकीय स्कूल की दूरी क्या है?

छ- उस स्कूल के खुलने का कारण

:२४- केन्द्र शालायें:

क्या आपकी शाला केन्द्र है: हां।नहीं

अ- यदि हां तो उन स्कूलों का विवरण जो केन्द्र के अन्तर्गत हैं:

क्रम	स्कूलों के नाम	केन्द्र से दूरी	शिक्षकों की संख्या	छात्राओं की संख्या
१-				
२-				
३-				
४-				
५-				
६-				
७-				
८-				
९-				

क- केन्द्र के प्रधान अध्यापक होने के नाते आप अपने क्या क्या कर्तव्य महसूस करते हैं:

१- केन्द्रीय शालाओं में पाठ्य सामग्री को पूर्ण करना

२- केन्द्रीय शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति करना

३- केन्द्रीय शालाओं की शिक्षा की प्रगति करना

४- केन्द्रीय शालाओं की पूर्ण व्यवस्था करना

५- केन्द्रीय शालाओं का प्रतिनिधित्व करना

६- केन्द्रीय पाठशालाओं का वातावरण अनुकूल रखना

७-

८-

ख- केन्द्र के प्रधान अध्यापक होने के नाते आपको क्या क्या अधिकार हैं:

१- केन्द्रीय शालाओं की शिक्षा की अवनति पर उपयुक्त अध्यापक भेजना

२- अध्यापकों की अनियमित कार्यवाही को रोकना

३- शालाओं के आवश्यक व्यय को प्रबन्ध करना

४-

५-

ग- केन्द्र के प्रधान अध्यापक के कर्तव्य पालन करने में क्या क्या असुविधायें हैं

१- केन्द्राध्यक्ष को केन्द्रीय पाठशालाओं के निरीक्षण करने का अधिकार न होना ।

२- योग्य और उत्साही अध्यापकों को विभाग द्वारा प्रोत्साहन का कोई विधान न होना

३-

:२५- केन्द्र प्रणाली को जारी रखने के सम्बन्ध में आपका क्या मत है । अपना मत प्रदर्शन करने के लिये नीचे लिखे मतों में से किसी एक में जिससे आप सहमत हों सही का चिन्ह लगा दीजिये ।

१- केन्द्र की प्रणाली इसी प्रकार जारी रखी जावे:

२- केन्द्र प्रणाली को बिलकुल बन्द कर दिया जावे:

३- आवश्यक परिवर्तन लाकर इस प्रणाली को जारी रखा जावे ।
मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

१-

२-

३-

:२६- सह शिक्षा:

आपकी शाला: पुत्री शाला है या सह शिक्षा शाला :

१- यदि सह शिक्षा शाला है तो आपके स्कूल की कुल दर्ज संख्या:
बालिकाओं की दर्ज संख्या:

कक्षा १	कक्षा २	कक्षा ३	कक्षा ४	कक्षा ५

२- आपकी शाला से निकटतम पुत्री शाला की दूरी क्या है:

३- तथा उसका नाम क्या है:

३- बालिकाओं का पुत्रीशाला में प्रवेश न लेकर आपकी शाला में प्रवेशे लेने का मुख्य कारण क्या है:

अ- आपके स्कूल से पुत्रीशाला दूर है:

ब- पुत्रीशाला में व्यवस्था ठीक नहीं है:

स- पुत्रीशाला में प्रवशे नहीं मिलता:

द- पुत्रीशाला में पढ़ाई सन्तोषजनक नहीं है:

य- अन्य:

४- बालिकाओं के प्रवशे के कारण आपकी शाला में कौन कौन सी समस्यायें उत्पन्न हो गई है?ज

१- गृहविज्ञान व शिल्प सकला की शिक्षा के साधन व साधक नहीं है:

२- उनके अनुकूल वातावरण नहीं है

३- अध्यापक को अधिक सतर्क रहना पड़ता है

४- अन्य

५- इन समस्याओं का आप निवारण किस प्रकार करते हैं:

क- गृह विज्ञान व शिल्प कला की सैद्धांतिक शिक्षा पाठशाला में होती है और प्रायोगिक शिक्षा बालिकायें अपने घर में सीखती हैं।

ख- शिक्षक शुद्ध वातावरण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते हैं

ग- अन्य

६- उनको निवारण करने में आपकी क्या कठिनाइयां हैं:

१- उचित शिक्षा नहीं हो पाती

२- अधिक बन्धन रहता है:

३-

७- आपको इस सम्बन्ध में किस प्रकार की सहकारी सहयोग की आवश्यकता है:

क- बालिका शालाओं की भांति शिक्षण व खेलकूद सामग्री मिलनी चाहिये।

ख- पुत्री शालाओं की उचित व्यवस्था होनी चाहिये

ग- अन्य

८- आप सहकारी शिक्षा से कहां तक सहमत हैं? नीचे दिये हुए कथनों में से किसी एक कथन पर सही का चिन्ह लगाइए तथा कारण लिखिये जिससे आप सहमत हों:

१- सह शिक्षा नहीं होनी चाहिये : कारण:

२-

३-

:२७- क्या आपकी शाला में गरीब बालकों की सहायतार्थ निम्नांकित बातों

का कोई सरकारी प्रबन्ध है:

१- बालिकाओं को ड्रेस देना: हां। नहीं

२- पुस्तकें देना : हां। नहीं

३- मेडिकल सहायता: हां। नहीं

४- नाश्ता देना: हां। नहीं

५- किसी अन्य रूप में कोई सहायतादि हों तो विवरण दीजिये

६- उपरोक्त बातों में आपके क्षेत्र में जन सहयोग कितना प्राप्त है

७- यदि नहीं तो किस रूप में प्राप्त हो सकता है ।

:२८- अनिवार्य शिक्षा की समस्यायें?

आपके क्षेत्र में क्या कभी अनिवार्यता की ओर जोर दिया गया है?

हां। नहीं

१- अनिवार्य शिक्षा की आयु की बालिकाओं के प्रवेश कराने का आपके क्षेत्र में क्या प्रबन्ध है:

१-

२-

३-

४-

२- क्या आपने कभी यह पता लगाया कि आपके मुहल्ले में कितनी बालिकायें प्रायमरी शिक्षा की आयु की हैं: हां। नहीं, यदि हां तो कितनी.......

:२९- आपके मत से बालिकायें शाला में पढ़ने क्यों नहीं आती । निम्नांकित मतों में से जिन मतों से आप सहमत हों उसके सामने सही का चिन्ह लगा दीजिये:

१- घर में काम करना पड़ता है

२- गरीबी के कारण नौकरी करनी पड़ती है

३- पाठशाला घर से बहुत दूर है

४- माता पिता अशिक्षित हैं जिससे शिक्षा का महत्व ही नहीं समझते ।

५- स्कूल जाने के लिये शिक्षकों या गांव के लोगों की ओर से जोर नहीं दिया जाता।

६- अन्य

७-

भवदीय..........
